पंचम माला, खंड 56, अंक 11, बुधवार, 21 जनवरी, 1976 1 माघ, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVI, No. 11, Wednesday, January 21, 1976 Magha 1, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 56 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषयसूची/CONTENTS

अंक 11, बुधवार, 21 जनवरी, 1976/1 माघ, 1897 (शक)

No. 11, Wednesday, January 21, 1976/Magha 1, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 205, 206, 208, 210 से 212 और 214	Starred Questions Nos. 205, 206, 208, 210 to 212 and 214 . . .	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 207, 209, 213 और 215 से 224	Starred Questions Nos. 207, 209, 213 and 215 to 224 . . .	15—21
अतारांकित प्रश्न संख्या 917 से 931 और 933 से 1017	Unstarred Questions Nos. 917 to 931 and 933 to 1017	21—71
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	71—75, 104
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . .	76
मोटरगाड़ी (शोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion Vehicles (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha . . .	76
लोक लेखा समिति—188वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee—	
	Hundred and eighty-eight Reports .	76
समाचार एजेंसियों के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* re-structuring of News Agencies—	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla .	77—78
प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक—	Regional Rural Banks Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider—	
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty . .	78-79
श्री पी० नारसिंहा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy .	79-80
श्री नाथुराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha .	80
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade .	80-81
श्री यद अहमद आगा	Shri Syed Ahmad Aga . .	81
श्री जगन्नाथ मिश्रा	Shri Jagannath Mishra	82
श्री अरविंद बाला पंजनौर	Shri Aravinda Bala Pajanor .	82-83

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the Floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	83-84
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	84
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	84
श्री नवल किशोर सिन्हा	Shri Nawal Kishore Sinha	84
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh	85
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya	85
श्री नारायण चन्द्र पाराशर	Shri Narain Chand Parashar	85
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	85—87
खण्ड 2 से 34 और 1	Clauses 2 to 34 and 1	88—92
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री प्रणव कमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	93, 94
श्री नरेन्द्र कमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	93
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	93
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. 'Madhukar'	93-94
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty	94
आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolutions *re.* Disapproval of Maintenance of Internal Security Ordnances and Maintenance of Internal Security (Amendment) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	95—98
श्री सुरेन्द्र महंती	Shri Surendra Mohanty	98—100
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	100—101
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	101—104
मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	104

लोकसभा
LOK SABHA

बुधवार, 21 जनवरी, 1976/1 माघ, 1897 (शक)

Wednesday, January 21, 1976/Magha 1, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाँचवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

*205. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिसम्बर, 1975 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) क्या योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) यद्यपि योजना आयोग योजना की प्रगति की बराबर समीक्षा करता रहता है, किन्तु उसने दिसम्बर, 1975 में पांचवीं योजना का विशिष्ट मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किया है ?

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री डी० डी० देसाई : समाचार पत्रों से हमें यह पता चला है कि योजना आयोग के सदस्यों द्वारा मध्यावधि मूल्यांकन सम्बन्धी चर्चा को ध्यान में रख कर योजना परिव्यय में पर्याप्त रूप से वृद्धि की जायेगी । इसी दौरान प्रधान मंत्री का 20 सूत्री कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकास के बारे में उनके विभिन्न वक्तव्य हमारे समक्ष हैं । जो कुछ हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय सभा को वित्तीय लक्ष्यों के बारे में, जो विशेषकर प्रमुख क्षेत्र (कोर सैक्टर) के लिए किए गए हैं, बता सकेंगे ? क्या उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं रखा गया है, उनके लिए नियत धनराशि में से कुछ राशि निकाल कर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की जा रही है ?

श्री आई० के० गुजराल : प्रधान मंत्री द्वारा तैयार किये गये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है ? यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुरूप ही है। अगले वर्ष के लिए, जिसके बारे में हम विभिन्न राज्यों से विचार विमर्श कर रहे हैं, वित्तीय प्रावधान करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित सावधानी बरती जा रही है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था की जाये। सामान्य प्रगति के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान राष्ट्रपति के अभिभाषण की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें कहा गया है कि आने वाले वर्ष में इस वर्ष की तुलना में योजना परिव्यय में 25 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

श्री डी० डी० देसाई : मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। जहां तक ग्रामीण विकास योजना का सम्बन्ध है, जिसका प्रधान मंत्री ने विज्ञान कांग्रेस तथा अन्य कई स्थानों पर उल्लेख किया है, मैं जानना चाहता हूं कि योजना आयोग इस दिशा में कहां तक रुचि रखता है। मैं योजना मंत्री से यह जानना चाहता हूं। दूसरे उन्होंने यह सामान्य उत्तर दिया है कि योजना आयोग 20 सूत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगा। इतना ही कह देना पर्याप्त नहीं है क्योंकि प्रधान मंत्री चाहती हैं कि इस 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को व्यापक रूप से कार्यान्वित किया जाये। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि योजना मंत्री को महत्वहीन क्षेत्रों पर धन व्यय नहीं करना चाहिए। ग्रामीण विकास तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या वह आश्वासन देंगे कि इस प्रयोजन के लिए नियत राशि को अन्यत्र व्यय नहीं किया जायेगा ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र को यह आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं कि प्रमुख क्षेत्र के लिए नियत राशि में से कुछ धनराशि अन्य प्रयोजन पर व्यय की जायेगी। हमारा ध्यान मुख्य रूप से प्रमुख क्षेत्र पर है। और जैसा कि उन्हें पता है प्रमुख क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था आती है। उदाहरण के लिए हम लघु तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं और पम्पों पर काफ़ी धन व्यय कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार 50 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जानी है। इसी तरह हम आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के विकास की ओर भी पर्याप्त रूप से ध्यान दे रहे हैं। भूमि सुधार के लिए भी धन का प्रावधान किया जा रहा है। अतः उन्हें किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए कि धनाभाव के कारण 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी तरह शिथिलता दिखाई जायेगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जहां तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बंध है, अब इस तरह की कोई योजना नहीं रही। अब तो सरकार ने वार्षिक योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है और पंचवर्षीय योजनाओं को तिलांजलि दे दी है।

श्री आई० के० गुजराल : मेरे माननीय मित्र एक कुशल संपद् विद हैं। मुझे आशा है कि उनके दिमाग से यह भ्रम दूर हो जायेगा कि पंचवर्षीय योजनाओं का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना को प्राथमिकता दी जा रही है। पांचवीं योजना में देश के विकास के लिए समुचित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। तदनुसार अतीत में वार्षिक योजनाएं बनाई जाती रही हैं। और उसी तरह हम अब भी वार्षिक योजनाएं बना रहे हैं। निस्संदेह हमारी कुछ कठिनाइयां भी हैं। यही कारण है कि हमने पांचवीं योजना का अभी अंतिम प्रारूप पेश नहीं किया है। जैसा कि आपको पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुद्रास्फ़ीति है और बढ़ते हुए मूल्यों से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें संसाधन जुटाने का काम सरल नहीं होता। किन्तु वर्षानुवर्ष मूल्यांकन करने से हम आशावान हुए हैं और गत वर्ष का कार्य..... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पैन्यूली

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप उत्तर क्यों नहीं देते ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के लिये माननीय सदस्य के व्यवधानों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यली : प्रश्न के पैरा 3 में पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध करने का उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्षानुवर्ष और एक योजना के पश्चात् दूसरी योजना के बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही हैं, मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या पांचवीं योजना के अंत तक लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा दिए जायेंगे। और मानव संसाधनों का पूरी तरह उपयोग किया जायेगा ताकि पांचवीं योजना के अंत तक बेरोजगारी की समस्या न रहे ?

श्री आई० के० गुजराल : यदि हम संभवत: ऐसा वायदा कर पाते तो हमारी सारी समस्यायें हल हो जातीं। प्रमुख बात यह है कि योजना बनाने का उद्देश्य समस्याओं को हल करना है। एक ही योजना से समस्यायें हल नहीं हो सकती। बेरोजगारी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिस पर विभिन्न पहलुओं से विचार किया जाना है। उदाहरण के लिए जनसंख्या में होने वाली वृद्धि भी बेरोजगारी का एक कारण है। इसके अतिरिक्त हमारा फलता हुआ शैक्षणिक आधार भी शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि करता है। साथ ही योजना से रोजगार के बहुत अवसर पैदा होते हैं। ये प्रयास जारी रहने चाहिएं क्योंकि बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या एक ही योजना से हल नहीं हो सकती।

फिल्मों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन

*206. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रचार व क्रियान्वयन के लिए फिल्म उद्योग का सहयोग लेने की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस संबंध में फिल्म उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) मंत्री ने इस मामल पर कुछ प्रमुख निर्माताओं से बातचीत की है। उनके प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं। इसके अलावा, सरकार ऐसी डाकुमैन्ट्री फिल्मों का निर्माण और उनका प्रदर्शन करने में फिल्म प्रभाग की एजेंसी का पूरा उपयोग कर रही है जिनका सामाजिक उद्देश्य हो और जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से सम्बद्ध हों। इसमें गैर सरकारी निर्माताओं द्वारा बनाई गई इस प्रकार की छोटी फिल्में प्राप्त करना भी शामिल है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सूचना और प्रसारण मंत्री ने फिल्म निर्माताओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु खुले रूप से नहीं कहा है। देश में फिल्म उद्योग प्रचार का एक प्रमुख साधन है। इस पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर सबसे बढ़िया फिल्म बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने का विचार किया है ? क्या आपने राज्य सरकारों को कह दिया है कि वे इस तरह की डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दे दें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का प्रचार मुख्य रूप से डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों द्वारा होना चाहिए ? जहां तक राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्बन्ध है यदि डाक्यूमेन्ट्री फिल्में सृजनात्मक हों तो वे इसके अन्तर्गत आती हैं और उन पर विचार किया जायेगा। जहां तक डाक्यूमेंट्री फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट देने का प्रश्न है उन पर इस तरह का कोई कर नहीं लगाया जाता और इसलिए राज्य सरकारों को इस बारे में लिखने की कोई जरुरत नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। क्या फीचर फिल्मों को 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए कहा गया है ? इस पृष्ठभूमि में आप ऐसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की व्यवस्था कर रहे हैं और क्या आपने राज्य सरकारों को ऐसी फिल्मों पर मनोरंजन कर न लगाने के लिए कहा है ? जहां तक डाक्यूमेंट्री फिल्मों का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि उनके बारे में क्या किया जा रहा है ह।

श्री धर्मवीर सिंह : 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि न्याय सुनिश्चित किया जाय, उत्पादन बढ़ाया जाय और कठिनाइयां दूर की जायें। देश में जिन नई फिल्मों का निर्माण हो रहा है, उनमें इन बातों को स्थान दिया जा रहा है। जहां तक अन्य विचारों का सम्बन्ध है, वे कार्यवाही हेतु बहुत अच्छे सुझाव हैं। मुझे पूरी आशा है कि बनने वाली नशे फिल्मों में 20 सूत्री कार्याक्रम में निहित बातों को नया मोड़ दिया जायेगा।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक यह है कि इस कार्य में लोगों को विशेषकर युवा-वग को सम्मिलित किया जाये और उसके लिए देश की वास्तविक स्थिति को समझना आवश्यक है। क्या सरकार को पता है कि आज फिल्मों में देश की अवास्तविक स्थिति का चित्रांकन किया जाता है। आज कल फिल्मों में केवल हिंसा तथा सेक्स को ही अधिक स्थान दिया जाता ह जिससे युवा पीढ़ी दूसरी ही दिशा की ओर अग्रसर हो रही है। अत : क्या सरकार ने फिल्म उद्योग को कुछ निदेश दिए है कि वे फिल्मों में उचित और वास्तविक स्थिति को स्थान दें ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए इस विशेष प्रश्न का हम पृथक उत्तर दे रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय फिल्म उद्योग फिल्मों में देश की वास्तविक स्थिति को सही रूप में प्रदर्शित नहीं कर रहा। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये हैं कि हमारी फिल्में न केवल अधिक यथार्त बनें अपितु वे फिल्मों में उन सामाजिक तथा अन्य विकासों का चित्रण करें, जिनका देशवासियों से सम्बन्ध है और इसीलिए निर्माताओं तथा फिल्म उद्योग से सम्बद्ध अन्य लोगों से इस बारे में बातचीत हुई है और उनसे उत्साहजनक उत्तर मिले हैं।

श्री अनन्त राव पाटिल : केन्द्रीय फिल्म प्रभाग तथा राज्य फिल्म प्रभागों द्वारा गत 6 महीनों के दौरान कुल कितनी डाक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई हैं और उनके नाम क्या हैं ? क्या सरकार गैर-

सरकारी डाक्यूमेंट्री फिल्म निर्माताओं को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम पर डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इस बारे में जानकारी एकत्र करेंगे और सभा पटल पर पेश करेंगे।

श्रीमती रोजा देशपाँडे : क्या 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए मंत्री महोदय ने निर्माताओं तथा फिल्म कलाकरों पर दबाव डाला है क्योंकि कभी कभी वे निर्माता को इस बात के लिए बाध्य करते हैं। फिल्मों में मार-धाड़ तथा लड़ाई कम होनी चाहिए। साथ ही भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों को आधा नग्न दिखाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। आजकल उनकी फिल्में इन्हीं बातों पर निर्भर करती हैं। क्या आपने बड़े-बड़े निर्माताओं तथा कलाकारों पर इस बात के लिए दबाव डाला है कि युवा वर्ग को शिक्षित-करने के लिए अच्छी फिल्मों का निर्माण हो ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, हम वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा विचार है कि हम इस सम्बन्ध में उनकी विचारधारा बदलने में सफल हुए हैं। केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने भी इस दिशा में बहुत कठोर रवैया अपनाया है। यहां तक कि कुछ निर्माणाधीन फिल्मों या लगभग पूर्ण फिल्मों और पूरी तरह निर्मित फिल्मों में हमने इस कार्यक्रम के अनुसार कुछ परिवर्तन कराये हैं। किन्तु कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें पास कर लिया गया है और वे अब प्रदर्शित भी हो गई हैं। किन्तु इन फिल्मों के अलावा सभी नई बनने वाली फिल्मों को सरकार की नीति के अनुसार बनाया जा रहा है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का ध्यान एक तेलगू फिल्म के प्रति दिलाया गया है जो सरकार की दो नीतियों तथा सिद्धांतों अर्थात् परिवार नियोजन और भूमी सुधार के विरुद्ध है ? उस फिल्म को पुरस्कार भी दिया गया है ? इस फिल्म का नाम **ततम्मा कला** हैं और इसके निर्माता को पहले ही पदमश्री मिल चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे पता नहीं कि माननीय सदस्य किस पुरस्कार का उल्लेख कर रहे हैं। मैंने न तो यह फिल्म देखी है और न इसके बारे में कुछ सुना है। चूंकि माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया है, अत : मैं इस पर विचार करूंगा।

बिजली के वितरण के लिए एकीकृत ग्रिड व्यवस्था

*208. **श्री रानेन सेन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समूचे देश में बिजली का वितरण करने के लिए एकीकृत ग्रिड व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर, पश्चिम दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व—इन पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड बनाये जा रहे हैं ताकि विद्युत उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए और कमी वाले इलाकों में अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों से बिजली पहुंचाने के लिए विभिन्न घटक विद्युत प्रणालियों के प्रचालन कार्य को एकीकृत प दिया जा सके। इन क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों का एकीकरण करके

अन्त में इन्हें एक अखिल-भारतीय ग्रिड में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

डा० रानेन सेन : गत चार या पांच वर्षों से देश के कई भागों में बिजली की कमी रही है और इसके फलस्वरुप उद्योग, परिवहन आदि को हानि उठानी पड़ रही है । इस बारे म इस सभा में कई बार चर्चा हुई है और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत ग्रिड का विचार सामने आया । मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी अभी भी वह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसको विकसित किया जा रहा है ? क्या यह उचित समय नहीं है कि इसका विकास कर दिया जाये ?

श्री कृष्ण, चन्द्र पंत : सौभाग्य से गत वर्ष की तुलना में विद्युत स्थिति इस वर्ष कुछ अच्छी है । मैं माननीय सदस्य की पहली बात का उल्लेख कर रहा हूं । क्षेत्रीय ग्रिड के बारे में मैंने जो कारण बताया है वह इसलिए बताया क्योंकि यह एक विकास प्रक्रिया है । पहला चरण पावर स्टेशन का निर्माण है, जिसका सम्बन्ध सीधे उपभोक्ताओं से है । दूसरा चरण कुछ पावर स्टेशनों को मिलाना है । तीसरा चरण राज्य के सभी पावर स्टेशनों को मिलाना है, फिर क्षेत्र के अन्दर और फिर विभिन्न राज्यों के बीच । उत्पादक तथा उपभोक्ता केन्द्रों को जोड़ा जा रहा है । अधिक बोल्टेज के माध्यम से इन सभी को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है । अत : यह एक अनवरत प्रक्रिया है । ऐसी बात नहीं है कि इस दिशा में कुछ काम नहीं हो रहा है । वास्तव में कुछ क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड बहुत ही बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं । गत वर्ष जब बिजली की कमी हुई थी तो न केवल क्षेत्र के ही अन्दर अपितु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को बिजली की सप्लाई की गई थी । अत: कार्य रुका हुआ नहीं है । यह सही है कि गत कुछ वर्षों के दौरान हमने काफी हद तक क्षेत्रीय ग्रिड बनाए हैं किन्तु ऐसा नहीं कह सकते कि वे पूर्ण संतोषजनक स्थिति में हैं ।

डा० रानेन सेन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात का पता है कि तीन वर्ष पूर्व उत्तरी बंगाल में छलकोला तथा उत्तरी बिहार में कटिहार या मुजफ्फरपुर में पावर हाउस बनाने का प्रस्ताव किया गया था क्योंकि उत्तर बंगाल तथा उत्तर बिहार पूर्णतया अंधकारपूर्ण क्षेत्र हैं ? न तो वहां बिजली का उत्पादन होता और न वहां बिजली की सप्लाई के लिए कोई ग्रिड प्रणाली है । इसके फलस्वरूप वहां व्यापार और उद्योगों का विकास नहीं होता । मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर बिहार तथा उत्तर बंगाल के विद्युत गृहों का क्या हुआ है और क्या इन दो राज्यों के उत्तरी भागों में कोई ग्रिड प्रणाली है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उत्तर बंगाल तथा उत्तर बिहार क्षेत्र के लिए क्या किया जा रहा है । जहां तक मुझे याद है इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फराक्का में एक सुपर ताप बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है तथा इसे विश्व बैंक को पेश किया गया है ।

डा० एच० पी० शर्मा : राष्ट्रीय ग्रिड को कार्यरूप न दिये जाने का एक मुख्य कारण यह है कि प्रादेशिक बोर्डों के पास सांविधिक शक्तियां नहीं है । प्राक्कलन समिति ने विद्युत सम्बन्धी अपने 39वें प्रतिवेदन में स्पष्ट सिफारिश की है कि जब तक इन बोर्डों को सांविधिक शक्तियां नहीं दी जातीं, कार्य पूरा नहीं होगा । इस बारे में सरकार ने क्या किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैं पहले कह चूका हूं अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय लाइनें स्थापित की जा रही हैं । सांविधिक बोर्ड तभी काम कर सकते हैं जब लाइनें हों । लाइनों के बिना बोर्ड

प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते । इस लिए मूल प्रश्न यह है कि इस दिशा में क्या किया जा रहा है । चौथी योजना में 30 लाइनें आरम्भ की गई थीं । उन में से 14 लाइनें पूरी हो गई हैं और 16 पूरी की जा रही हैं । पांचवीं योजना में और आरम्भ की जायेंगी । केन्द्रीय ग्रिड केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं । क्षेत्रीय ग्रिड स्थापित करने की दिशा में अच्छा कार्य हुआ है तथा अन्तरक्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है । सारी अर्न्तराज्यीय लाइनों का वित्तपोषण पूर्ण रुप से केन्द्र द्वारा किया जाता है । इस लिए इस दिशा में प्रगति हो रही है और मैं आशा करता हूं कि राज्य भी पर्याप्त पूंजी लगायेंगे ।

जहां तक सांविधिक शक्तियों का सम्बन्ध है, इस के लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है, क्यों इसका राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है । क्षेत्रीय बोर्डों के वर्तमान ढांचे में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और सचिव केन्द्र से नियुक्त किया जाता है । कर्मचारी केन्द्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । वर्तमान वस्तुस्थिति यही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि सरकार फरक्का जैसे सुपर तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सुपर तापीय विद्युत केन्द्र विकासशील विचार धारा का अंग है क्या कुछ विशेषज्ञों द्वारा दी गई इस राय की ओर उन का ध्यान दिलाया गया है कि सुपर विद्युत केन्द्र बनाने से अधिक हानि होने की संभावना है क्योंकि एक सुपर विद्युत केन्द्र में खराबी हो जाने से सारा कार्य ठप्प हो जायेगा और सुपर विद्युत केन्द्रों में खराबी होने से ग्रिड बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वस्तुत : ग्रिडों के होने पर ही हम सुपर विद्युत केन्द्र बना सकते हैं, क्योंकि ग्रिडों से ही आपसी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, कहीं भी खराबी होने की दिशा में ग्रिड की समूची क्षमता काम में लाई जा सकती है । सामान्य नियम यह है कि बड़े से बड़ा केन्द्र भी ग्रिड की क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । यदि ग्रिड की क्षमता 5000 मैगावाट है और 500 मैगावाट के सेट लगाये जायें, तो किसी सेट के अचानक खराब होने पर उस की कमी को पूरा किया जा सकता है । हम इस आधार पर कार्य कर रहे हैं ।

Khadi and Village Industries Commission

*210. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether Government give assistance for development of Khadi and Village industries through Khadi and Village Industries Commission ; and

(b) if so, the names of the members and office-bearers of the Khadi and Village Industries Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma) : (a) Yes, Sir.

(b) The names of the Members of the Khadi and Village Industries Commission are as follows :

(i) Shri Ghanshyambhai Oza, Chairman.
(ii) Shri Balmiki Choudhary, Member.
(iii) Shri Jagpat Dube, Member.

The Khadi and Village Industries Commission Act and Rules provide for appointment of a Financial Adviser and Chief Executive Officer in the Commission. These posts are held by Shri P.K. Ganapathy and Shri J.N. Tewari respectively.

Shri Ramavatar Shastri : The basis on which the members of the Khadi and Villages Industries Commission are nominated and whether all the three members fulfil the condition required of them ?

The details of the amount allotted to the States by the Khadi and Village Industries Commission during the last three years, Statewise ?

Has any memorandum been submitted by the Khadi and Village Industries Commission Employees Union in regard to the development of khadi or about their demands and if so, reaction of the Government thereto ?

Shri A. P. Sharma : So far as the requirements of a person for membership of the Commission are concerned, the main consideration is his interest in khadi and his competency to discharge his duties. There is no other specific condition in this regard.

The details about the Statewise allotment of funds by the Khadi and Village Industries Commission are not available with me at present and the same will be laid on the Table in due course.

So far as the question of memorandum submitted by the employees is concerned. They might have submitted their memorandum to the Commission, but Government have not received any memorandum.

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that one of the Members of the Commission is also a Member of Rajindra Prasad Memorial Committee and he has been given first class railway pass ? Is it also a fact that he has charged Rs. 2200/- from the Khadi Commission despite having free railway pass and whether it is also a fact that C.B.I. has recommended that he should be prosecuted under Section 420 I.P.C. and the anti-corruption law and if so the name of the said Member and the action proposed to be taken against him ?

Shri A. P. Sharma : This question does not arise from the main question.

Shri Ramavatar Shastri : I can tell you the name.

Mr. Speaker: I think the Minister does not have the information with him, he can give it later on.

माननीय सदस्य एक प्रकार से आरोप लगा रहे हैं । यदि उन्हें इस प्रकार का प्रश्न पूछना था तो उन्हें या तो मंत्री को लिखना चाहिए था अथवा मुझे लिखना चाहिए था । चूंकि उन्होंने यह प्रश्न अब पूछा है, मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे अगर यदि उन के पास कोई सूचना होगी तो बाद में दे देंगे ।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether the Khadi and Village Industries Board is a political organisation and whether most of the persons connected therewith are the same who were a party to total revolution conspiracy and had been taking part in the elections and whether complaints have been received against them and if so, the action taken against them ?

Shri A. P. Sharma: It is a fact that most of the people connected with this organisation were such who were taking part in the agitation, but those persons are not connected with the Central Khadi Commission, they are in the Khadi organisation of the States. The Government have taken action against such persons in the recent past.

Shri Ram Singh Bhai : As you have stated that assistance is given to the Khadi and Village Industries by the Central Government, I would like to know whether Government propose to make it obligatory on Members of Parliament, Legislators, Government officers and employees to Cooperae by purchasing goods of Khadi and Village Industries with one month' pay.

Shri A. P. Sharma: It is a suggestion which can be considered.

शाहदरा, दिल्ली में अपराधों में वृद्धि

*211. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यमुनापार क्षेत्र में शाहदरा, दिल्ली में अपराधिक मामलो में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है; और

(ख) इस क्षेत्र में अपराधो को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) यमुना पार क्षेत्र शाहदरा दिल्ली में अपराधों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सन् 1974 में भारतीय दण्ड संहिता के 2605 मामलों के मुकाबले में सन् 1975 में 2120 मामलों की सूचना मिली थी।

(ख) दिन रात पैदल तथा घुड़सवार पुलिस और वायरलैस लगी मोटरसाकिलों से गश्त लगाई जाती है। कुछ इलाकों में पुलिस के कुत्ता दस्ते रात को गश्त में मदद करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कमज़ोर स्थानों पर "नाकाबन्दी" की जाती है। खतरनाक गुंडों के खिलाफ संगठित कार्यवाही की गई है और बहुतों को इलाके से बाहर निकाल दिया गया है। जनता के साथ बेहतर ढंग से तालमेल रखने के लिए पुलिस सहायता केन्द्र और नागरिकों के स्वयं सेवी दस्ते बनाए गए हैं। डिविजनल आफिसर तथा बीट कांस्टेबलों के इलाकों में हुए अपराधों के लिए उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है और जब कभी अकुशलता और लापरवाही ध्यान में आती है तो सुधार के लिए उपाय किए जाते हैं। सामाजिक अपराधों में खास तौर से औरतों और लडकियों के अनैतिक पणन की समस्या से निपटने के लिए दुराचार वरोधी दस्ता कार्य करता है।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने 1975 के मामलों की 1974 के मामलों से तुलना की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये मामले किस प्रकार के हैं, क्या ये चोरी के हैं अथवा हत्या के या मारपीट के और क्या 1975 में इन की संख्या में वृद्धि हुई है ? इससे हमें पता लग जायेगा कि वहां अपराधों की स्थिति कितनी गम्भीर है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह पुलिस की मिली भगत से किया जा रहा है और यदि हां तो क्या सरकार ने इस की जांच की है और क्या किन्ही पुलिस अधिकारियों को सजा दी गई है ? ड्यूटी पर लापरवाही करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ?

श्री ओम मेहता : इन मामलों में पुलिस की कोई मिली भगत नहीं है। परन्तु जब ऐसे मामले जानकारी में आते हैं तो हम कार्यवाही करते हैं। जब कभी पुलिस अधिकारियों की लापरवाही होती है, तो हम कार्यवाही करते हैं।

जहां तक डकैती और हत्या का संबंध है यदि आप चाहें तो मैं पूरी दिल्ली के बारे में आंकड़े दे सकता हूं, जिन से यह पता चल जायेगा कि डकैती आदि के मामलों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं, पूरी दिल्ली के बारे में आंकड़े नहीं चाहिएं। मैंने पूछा था कि क्या कोई कार्यवाही की गई है। आप कहते हैं कि जब कोई मामला सामने आता है तो हम कार्यवाही करते हैं। इस लिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही की गई है और कितने मामलों में ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अगला प्रश्न पूछिये।

श्री भोगेन्द्र झा : उन्होंने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले प्रश्न पर नहीं जाना चाहता । यदि माननीय सदस्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं, तो मैं मंत्री अथवा सरकार को एक विशेष प्रकार का उत्तर देने के लिए वाध्य नहीं कर सकता ।

श्री सयैद अहमद आगा : मैं देश में अपराध की स्थिति के बारे में एक साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपात की घोषणा के बाद शाहदरा में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है ?

श्री ओम मेहता : आपात की घोषणा के बाद दिल्ली में अपराधों की संख्या में भारी कमी हुई है । अब लगभग 25 प्रतिशत कम अपराध होते हैं । मैं यह भी कह सकता हूं कि डकैती, हत्या, हत्या के प्रयास राहजनी तथा चोरी के मामलों में भारी कमी हुई है । वर्ष 1975 में भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 27,605 मामले दर्ज किये गये, जब कि वर्ष 1974 में 32,528 मामले दर्ज किये गये थे । वर्ष 1974 में 16,948 मामले हुए थे तथा आपात में घट कर 12,548 रह गये । इस लिये 26.5 प्रतिशत गिरावट आई है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा पहला प्रश्न शाहदरा के बारे में था, तो उनके पास शाहदरा के बारे में अलग आंकड़े होने चाहिये थे । कम से कम भविष्य के लिये वह इस बात का ध्यान रखें ।

दूसरे मैं अपराध की गम्भीरता के बारे में, विशेषतया डकैती और हत्या आदि के बारे में जानना चाहता हूं । क्या इन मामलों में वृद्धि हुई है

पुलिस प्रशासन में भी गिरावट आई है । स्थिति यह है कि पुलिस में जो व्यक्ति गत दो वर्षों से सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया जा रहा है कि उनके आयु आदि के शपथ पत्र स्वीकार्य नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों का मनोबल नहीं गिर रहा है और गम्भीर अपराधों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है ?

श्री ओम मेहता : यदि आप को अलग आंकड़े चाहिये तो मैं वर्ष 1975 और 1974 की शाहदरा क्षेत्र की अपराध स्थिति के बारे में बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप बता चुके हैं ।

श्री ओम मेहता : उन्होंने कहा कि मैंने शाहदरा के बारे में आंकड़े नहीं दिये और मैंने केवल समस्त दिल्ली के आंकड़े दिये हैं । मैं शाहदरा के सम्बन्ध में भी आंकड़े दे सकता हूं । अपराधों की संख्या में कोईवृद्धि नहीं हुई है : डकैती के 1974 में 5 मामले और 1975 में केवल 3 ; हत्या, 1974 में 23, 1975 में 14, हत्या का प्रयास 1974 में 56, 1975 में 28, राहजनी, 1974 में 81, 1975 में केवल 19 ।

कोका कोला के बारे में बालचन्द्रन समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

*212. **श्री शशि भूषण:** क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मन्त्री बालचन्द्रन समिति के और युनुस समिति के कोका कोला के बारे में प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 12 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला बोटलर्स अपना पेय बनाने का प्रयास कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार बालचन्द्र न समिति के सुझाव क्रियान्वित करने का है ;

(ख) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिक अ ुसन्धान संस्था ने कोका कोला के विकल्प के रूप में कोई यथोचित फ़ार्मूला तैयार किया है, और

(घ) यदि हां, तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : कोका कोला के बाटलर्स द्वारा स्वय अपना पेय तैयार करने की सम्भावनाओं का अभी पता लगाया जा रहा है। बालचन्द्र ने समिति ने भी अन्य बातों के साथ साथ बाटलर्स द्वारा पूर्णतया देशी पेय विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। सी सन्दर्भ में 1975 में बाटलर्स के साथ एक बैठक हुई थी। देश में तैयार किए जाने वाले सभी मृदु पेयो में समान रूप से काम आने वाले तत्वों के तथा आयात को खतम करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस विषय में अनुसन्धान और विकास करने की भी आवश्यचता पर सभी सहमत थे। पेय बोतलों में भरन वालों को यह भी बताया गया था कि यदि वे अपने ब्राण्ड का मदु पेय बनाना चाहते हैं तो उन्हें सरकार सभी प्रकार की सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) : बताया जाता है कि सेण्ट्रल फ़ुड टैक्नोलाजीकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट मैसूर ने एक ऐसा फ़ार्मूला तैयार किया है जिसका प्रयोग कोका कोला पेय के बदले में किया जा सकेगा। सरकार देश में इस प्रकार के फ़ार्मूले का वाणिज्यिक रूप में उपयोग करने की दृष्टि से उक्त इन्स्टीट्यूट से वार्तालाप करने में सक्रिया है।

Shri Shashi Bhushan: In 1971, Balachandran Committee had made certain recommendations wherein it was stated that the coca-cola bottlesr would develop their own indigenous drinks but the recommendation of that Committee was not implemented. It appears that the bo ttlers are not interested in developing the indigenous drinks. I would like to know when the reports of Balachandran Committee and Yunus Committee would be implemented.

श्री टी० ए० पाई : युनुस समिति ने कोका कोला के आयात के बारे में फ़ैसला किया था और उस सिफ़ारिश को स्वीकार कर लिया गया है। बालचन्द्रन समिति ने भी निर्यात के आंकड़ों के सम्बन्ध में कुछ सिफ़ारिशें की थी, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। एक महत्वपूर्ण सिफ़ारिश यह थी कि हमें भारतीय पेय विचसित करना चाहिये। हमने इस सिफ़ारिश को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद को सभी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के पास भेजा था और केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्था ने एक पेय का फ़ार्मूला तैयार किया है जो कोका कोला से बहुत मिलता जुलता है।

Shri Shashi Bhushan : Is it a fact that the export of Coca Cola Export Corporation amounted to Rs. one crore in 1974 and it was allowed to take Rs. 1.20 crores outside the country The said Corporation has been given a free hand for import as well and now its export has come down to Rs. 4-5 lakhs. What are the reasons therefor? Why has the said Corporation allowed to export leather sports and fish etc.? Indian exporters can do this job very well.

श्री टी० ए० पाई : 1971 और 1974 के बीच कोका कोला के निर्यात की कुल आय 7,06,00,000 रुपये थी और उन्होंने इस अवधि में 2.52 करोड़ पये बाहर भेजे। 1974 में उन्होंने 116.86 लाख रुपये बाहर भेजे थे किन्तु इनमें 1972 का 81.36 लाख रुपये का लाभ और 1969 का यहां के कार्यालय का 35.50 लाख रुपये का व्यय भी शामिल था। यहां तक वस्तुओं के निर्यात का सम्बन्ध

है, हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि कोका कोला को निर्यात से प्राय उसके अपने उत्पादों से ही हो किसी अन्य वस्तु से नहीं।

श्री के० लकप्पा : क्या कोका कोला निर्यात निगम को सम्पूर्ण रूप से पुनर्गठित करने के लिये कोई प्रयास किया गया है क्योंकि कोका कोला स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ? क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्था, मैसूर को आदेश दे दिया गया है कि वह इस मामले पर विचार करे ताकि देश में कोका कोला, इसके प्रचार और स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव को तुरन्त रोका जा सके ?

श्री टी० ए० पाई : हमने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है जो कोका कोला का स्थान ले सकता है किन्तु हमें इसका प्रचार करना होगा और लोगों को समझाना होगा कि उन्हें इस पेय को स्वीकार करना होगा। कोका कोला संगठन का निर्यात एफ०ई०आर०ए० के अन्तर्गत होगा और यह संगठन रहेगा या नहीं, यह एक अलग बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कोका कोला कम्पनी, कोका कोला तैयार करने के अलावा, बोतलबन्द सोडा भी बेचती है। सभी भारतीय बोटलर्स इस शत प्रतिशत विदेशी कम्पनी पर निर्भर करते हैं ! सोड़ा बनाने तक के मामले में, जिसे कोई भी बना सकता है और जिसके लिये देश में भी पर्याप्त जानकारी मौजूद है। ये बोटलर्स सोड़ा बनाने के मामले में भी इस कम्पनी पर क्यों निर्भर हैं ?

क्या बालवन्द्रन समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी कि इस कम्पनी को अपना संचालन इस प्रकार करना चाहिये जिससे देश में 20 प्रतिशत विदेशी मुद्रा आये और विदेशी मुद्रा बाहर न भेजी जाये और क्या यह कम्पनी इस सिफारिश पर अमल नहीं कर सकी है ? आंकड़ों से पता चलता है कि वह कम्पनी अभी भी काफी विदेशी मुद्रा बाहर भेज रही है। जब इस कम्पनी को अपनी विदेशी मुद्रा इक्वीटी को कम करने के लिये नहीं कहा गया, तो फिर ये सिफारिशें किस प्रकार क्रियान्वित होंगी।

श्री टी० ए० पाई : हमने इन उद्योगों को लाइसेंस दिये हैं कि वे यह पेय तैयार करें। ये उद्योग फैण्टा या सोड़ा जो भी चाहें तैयार कर सकते है। अधिकांशत: ये कम्पनियां सभी वैकल्पिक पेयों के होते हुए भी कोका कोला के नाम से चल रही है। भविष्य में हम देखेंगे कि उन्हें इन पेयों के लिये किसी विदेशी कम्पनी पर निर्भर न रहना पड़े। विभिन्न बोटलरों द्वारा तैयार किये गये विभिन्न पेयों की मात्रा का हमें पता नहीं है। हम देखेंगे कि क्या कोका कोला के नाम से दूसरे पेय भी बाजार में आ रहे हैं।

कोका कोला का निर्यात गिर रहा है। पिछले वर्ष इसमें कमी हुई। हम इस पर विचार कर रहे हैं। कोका कोला के निर्यात को देख कर ही कोका कोला निर्यात निगम बनाया गया था। यदि कोका कोला का निर्यात ही कम हो जाता है तो कोका कोला निर्यात निगम की जरूरत ही नहीं रहेगी।

जहां तक धन के बाहर भेजने का सम्बन्ध है, उन्होंने कई वर्षों में देश में $4\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की सम्पत्ति बना ली है। बाहर भेजी जाने वाली धनराशि का सम्बन्ध किसी एक वर्ष के निर्यात से नहीं है।

आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् फिल्मों के स्तर में सुधार करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

*214. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् फिल्मों के स्तर में सुधार करने हेतु उनके मन्त्रालय द्वारा कोई प्रयास किये गए हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस बारे में फ़िल्म प्रोड्युसर्स गिल्ड अथवा सैंसर बोर्ड से कोई सिफ़ारिशें की गई थीं अथवा उन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) : जी, हां। फ़िल्म सैंसर बोर्ड के अध्यक्ष को मार्फ़त ये निर्देश जारी किए गए हैं कि फ़िल्मों में हिंसा या सेक्स की अधिकता जैसे अवांछनीय तत्व निकाल दिए जाएं। सरकार फ़िल्मों के स्तर में सुधार करने और उन्हें सामाजिक रूप से उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सेंसरशिप और सम्बन्धित विषयों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का आगे पुनरीक्षण कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : कोई फिल्म अच्छी है या बुरी, यह बात दर्शकों की पसन्द पर निर्भर करती है। किसी भी फिल्म की सफलता प्रदर्शक, वितरक और निर्माता पर मूल रूप से निर्भर करती है। अधिकांशतः फिल्में निर्माता अथवा वितरक की इच्छा पर नहीं बनती बल्कि प्रदर्शक की इच्छा पर बनती हैं क्योंकि इनका मुख्य लक्ष्य बाक्स-आफिस में सफलता प्राप्त करना होता है। तो क्या यह सच है कि पिछले 20 वर्षों में लोग ऐसी ही फिल्मों को ही पसन्द करने लगे हैं जिनमें हल्की मजाक, सेक्स और अपराध की भरमार होती है और प्रदर्शक निर्माताओं से ऐसी ही फिल्में बनाने के लिए कहते हैं।

तो क्या मंत्री महोदय इन चीजों को रोकने, प्रदर्शकों पर नियंत्रण लगाने, और प्रत्येक राज्य में सरकारी थियेटर खोलने तथा सरकारी खर्च पर फिल्में बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि लोगों की पसन्द को बदला जा सके ? वर्ना लोगों की पसन्द को नहीं बदला जा सकता।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की है वह मैं बता चुका हूं। यह सच है कि फिल्मों के प्रदर्शन के लिये थियेटरों की कमी है और इसी कारण निर्माता प्रदर्शकों के दबाव में आ जाते हैं। किन्तु हमने देखा है कि बहुत से निर्माता फिल्मों में अनावश्यक सेक्स और अपराध के दृश्यों को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। निर्माणाधीन फिल्मों में यह स्वस्थ प्रवृत्ति देखने को मिल रही है और माननीय सदस्य भी इस अन्तर को देखेंगे।

जहां तक सरकार द्वारा संचालित थियेटरों का सम्बन्ध है, हम इस मामले पर कई वर्षों से गौर कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों से बातचीत की है। कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है लेकिन कुछ राज्यों में सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं की गई। हम थियेटरों की कमी को दूर करने और प्रदर्शकों के हानिकर दबाव को रोकने का भरसक प्रयास करेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : फिल्मों के स्तर में सुधार करने के लिये क्या सेक्स और अपराध के दृश्यों को निकाल देना ही काफी है ? क्या यह देखना जरूरी नहीं है कि ऐसी फिल्में बनाई जायें जिनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण को महत्व दिया जाये ? तो मंत्री महोदय पूना फिल्म इन्स्टीट्यूट को अधिक धन क्यों नहीं दे रहे हैं और फिल्मों के निर्माण के लिये ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त क्यों नहीं निर्धारित कर रहे जिनसे राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय विचारधारा को प्रोत्साहन मिले ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह सच है कि सेक्स और हिंसा के दृश्यों को निकालने मात्र से फिल्मों का स्तर नहीं सुधरेगा ? फिल्मों का सामाजिक उद्देश्य भी होना चाहिये। सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रख कर फिल्में बनाने वाले निर्माताओं को बढ़ावा देनेहेतु विभिन्न पग उठाये जायेंगे और उठाये जा रहे हैं। फिल्मों में मनोरंजन का भी समुचित स्थान होगा। अच्छी फिल्मों के निर्माण

के लिये लोगों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत में फिल्म वित्त निगम के अलावा एक और संस्था भी है । कुछ प्रगति हुई है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है । मैं आशा करता हूं कि श्री दास मुन्शी जैसे विद्वान लोगों का हमें सहयोग मिलता रहेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फिल्में समस्त देश में हमारे लोगों के मनोरंजन का सर्वाधिक प्रचलित एकमात्र साधन हैं, क्या सरकार और अधिक बड़े स्तर पर फिल्में बनाने के और कुछ सिनेमाघरों, जैसे कलकत्ता और बम्बई में मट्रो सिनेमा को अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में विचार करेगी ? क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है और क्या सरकार और अधिक लोगों का समुचित रूप से मनोरंजन करने के कार्य को सम्भाल सकती है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं बता चुका हूं कि हम फिल्म उद्योग को बढ़ाने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी सहायता और मार्गदर्शन से अधिकाधिक थियेटरों का निर्माण हो । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का सहयोग भी जरूरी है ।

हम फिल्म डिवीजन में बहुत सी फिल्में बनाते हैं । किन्तु ये अधिकांशत: वृत चित्र होते हैं । ये वृतचित्र सामाजिक दृष्टि से अर्थपूर्ण विषय-वस्तु पर आधारित होते हैं । जिनका राष्ट्रीय उद्देश्य होता है। हम फीचर फिल्मों का निर्माण नहीं करते किन्तु फीचर फिल्म के निर्माताओं को हम समुचित मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि फिल्मों में स्वस्थ नवीन तथा कलात्मक दृष्टिकोणों को सुस्थापित किया जा सके ।

श्री वसन्त साठे : अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के मार्ग में मुख्य समस्या थियेटरों और सिनेमा घरों की है । इस समय पसन्द के नाम पर आप फिल्मों में हिंसा, सेक्स आदि का प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि ऐसी फिल्में बाक्स-आफिस की दृष्टि से लोकप्रिय है । यह निर्माताओं और प्रदर्शकों का एक बहाना है । निर्माता भी आजकल ऐसी ही फिल्में बना रहे हैं । यदि आप अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीयकरण की बात क्यों नहीं सोचते ? मैं कुछ थियेटरों और सिनेमाघरों को अपने हाथ में लेने की बात नहीं कहता । आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । तभी आप अच्छी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी ऐसा करना लाभप्रद होगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे को अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिये वर्ना मंत्री महोदय प्रश्न को भूल जायेंगे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सदस्यगण ठीक ही कह रहे हैं कि प्रदर्शन केन्द्रों और थियेटरों की कमी के कारण ही निर्माताओं पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है । हम इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री भान सिंह भौरा : क्या यह सच है कि कुछ फिल्मों में अनावश्यक और अन्धविश्वासपूर्ण दृश्य दिखाये जाते हैं जो अनपढ़ लोगों को गुमराह करते हैं ? क्या सरकार इन्हें रोकने के लिये कुछ उपाय कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यदि ये अनावश्यक दृश्य सेंसर के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं करते तो वे फिल्मों में शामिल कर ही लिये जाते हैं । हम ऐसे दृश्यों को नहीं चाहते किन्तु निर्माता चाहते हैं । यदि निर्माता फिल्मों के कुछ अनावश्यक दृश्य शामिल करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये गैर भारतीयों को प्रोत्साहन

*207. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये गैर भारतीयों तथा तकनीकी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार इंजीनियरों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिये सहायता दी गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश ी राज्य सरकार ने यह बताया है कि वह भारत से बाहर रहने वालों और तकनीकीविद् उद्यमकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने वाली एक योजना पर विचार कर रही है जिसमें अल्पांश भागीदार के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के भाग लेने का प्रावधान है। योजना के विवरणों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

Recommendations made by NCC Evaluation Committee

*209 **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the main recommendations made to the Government on the 24th January, 1974 by the National Cadet Corps Evaluation Committee constituted in 1972; and

(b) the recommendations out of them which have been accepted and implmented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Pztnaik): (a) and (b). The NCC Evaluation Committee has made a number of recommendations with regard to the organisation and training of the NCC. The main recommendations of the Committee are briefly as under:—

1. The NCC should continue as a separate organisation besides the National Service Scheme and National Sports Organisation.

2. The enrolment of cadets should be voluntary and selective. The strength of Senior Division should be reduced from the present about 6 lakhs to 4 lakhs so that this Division be selective and subject to more intensive training. The strength of Girls Division should, however, be slightly increased and the strength of the Junior Division be maintained at the present strength.

3. The Heads of Institutions (Principals and Headmasters) should associate themselves more closely with the NCC activities. Attendance at any activity with the NCC should count towards academic attendance. Whole-time NCC Commissioned Officers should be slowly disbanded. Only selected regular service officers should be posted to NCC. Suitable lecturers, with at least 3 years standing should be selected for grant of part-time Commission and given intensive training before Commissioning. The officers should retire after 15 years of service or on attaining 45 years of age, whichever is earlier.

5. The training programme should be more intensive and realistic. It should be generally restricted to two years.

6. In view of the rising prices, the camp allowance should be raised so that the cadets can be given adequate and nourishing food.

7. The academic instructions could be compressed within five days a week in the educational institutions. The sixth day of the week could be utilised for imparting NCC training. The day may be called 'Field Day' and commence with patriotic training for an hour followed by separate training for NCC, National Service Scheme and National Sports Organisation.

8. Long service medals for 5 years, 10 years and 15 years service in the NCC may be instituted for NCC Commissioned Officers and NCC Cadet Instructors.

2. The following recommendations of the Committee have been accepted and implemented:—

(i) Reduction of strength of Senior Division NCC from 6 lakhs to 4 lakhs.

(ii) Raising of camp messing allowance.

(iii) Long Service Medals for NCC Commissioned Officers.

(iv) The period of training for NCC Cadets to be two years and third year training for only those cadets who choose to make Armed Forces as their career.

The other recommendations are under active consideration.

बड़े व्यापार गृहों से प्रेस को अलग करना

*213. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के बड़े व्यापार गृहों से प्रेस को अलग करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा अनुमानत: कब तक कर लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : मामला विचाराधीन है और इस मामले में निर्णय लेने में कितना समय लगेगा यह फिलहाल बताना कठिन होगा।

कोयला खानों में कोयले का भारी स्टाक जमा हो जाना और कोयले की माँग में गिरावट

*215. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में कोयले का भारी स्टाक जमा हो गया है और इसकी मांग में गिरावट आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) : अप्रैल से नवम्बर, 1975 के दौरान कोयले के उत्पादन व प्रेषण में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमश: 65 लाख टन और 64.90 लाख टन की वृद्धि हुई। खान मूहाना स्टाक में भी वृद्धि हुई, जो नवम्बर, 1974 के अन्त में 56.40 लाख टन था, नवम्बर, 1975 के अन्त में बढ़ कर 77.50 लाख टन हो गया। वर्तमान स्टाक चार सप्ताह से कम के उत्पादन का द्योतक है, जिसे बहुत अधिक नहीं समझा जा सकता यद्यपि पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ बिजलीघरों, ईंट-भट्टों व अन्य औद्योगिक इकाइयों की खरीद पूर्ववर्ती अनुमानों के अनुसार नहीं रही हैं, फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि कोयले की मांग में आम गिरावट आई है। इन क्षेत्रों की मांग ताप बिजली उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ बढ़ रही है, क्योंकि पन-बिजली का

उत्पादन कम हो रहा है तथा व्यस्त औद्योगिक सत्र की शुरूआत हो रही है। खपत केन्द्रों पर भण्डार बनाने के लिये कोयले की अधिक पूर्ति तथा तेल के बदले कोयले का उपयोग करने आदि के उपाय भी किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान में मिराज विमान बनाने के कारखाने

*216. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फ्रांस के व्यापार मन्त्री ने इस बात से इन्कार किया है कि फ्रांस की इच्छा पाकिस्तान में मिराज विमान बनाने के कारखाने लगाने की है?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : फ्रांस के विदेश व्यापार मन्त्री ने रक्षा उत्पादन मन्त्री के साथ अपने विचार-विमर्श में स्पष्ट किया कि फ्रांस के पास पाकिस्तान में सैनिक विमान के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने की कोई योजनाएं नहीं थीं।

औद्योगिक उत्पादन, लागत और मूल्यों की कृषि से समता

*217. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी औद्योगिक उत्पादन, लागत और मूल्यों की कृषि से समता नहीं है; और

इस असन्तुलन को दूर करने और स्वस्थ सामंजस्य जाने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) और) (ख) : औद्योगिक उत्पादन और मूल्यों तथा कृषि उत्पादन और मूल्यों के बीच प्रत्यक्ष रूप से कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में उत्पादन और मूल्य की प्रवृत्ति का सुनिश्चय भिन्न भिन्न कारकों द्वारा होता है। यद्यपि हाल के महीनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है यह सम्भव है कि 1975–76 में औद्योगिक उत्पादन के मुकाबिले कृषि उत्पादन की दर अधिक होगी। कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य में भी औद्योगिक उत्पादों के मुकाबले अधिक गिरावट आ सकती है। यद्यपि कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों विशेष कर जो कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के लिए निवेश के रूप में है और जिनका उपयोग कृषकों द्वारा किया जाता है की मूल्य निर्धारण में समन्वित नीति अपनाना उपयुक्त होगा। किन्तु ऐसी नीति लागू करने में कुछ कठिनाईयां हैं। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन कोई भी पूर्णतया सरकार के नियन्त्रण में नहीं है। इसी प्रकार मूल्य नियन्त्रण की कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों की केवल कुछ एक वस्तुओं पर ही लागू है। फिर भी सरकार की नीति औद्योगिक और कृषि उत्पादों का सन्तुलित विकास करने की रही है ताकि इन दोनों क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य यथासंभव परस्पर सम्बद्ध रहे।

प्राथमिकता के आधार पर पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश के गाँवों का विद्युतीकरण

*218. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश के गांवों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली देने के लिए सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश में वैगन निर्माण एकक

*219. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में वैगन निर्माण एकक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में कागज बनाने के कारखाने

*220. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज बाजार में संकट विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार केरल में कागज बनाने की मिलें स्थापित करने के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : कागज की भिन्न-भिन्न किस्मों के प्रचालित मूल्यों में अनेक कारणों से 1975 के प्रारम्भ से गिरते रहे हैं। कागज का मूल्य 1974 में बहुत अधिक बढ़ गया था और ये मूल्य शायद बाजार की दीर्घ कालीन सप्लाई/मांग के समीकरण को पूरी तरह नहीं बताता है। अतएव वर्ष 1974 में कागज की कीमतों में जो गिरावट आई वह न तो अप्रत्याशित ही है और न वह चिन्ता का कारण ही है। कागज के विद्यमान मूल्यों के होते हुए भी, कागज उद्योग से आशा है कि उसमें अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक लाभ होगा। कीमतों के गिरने में सहायक कुछ तथ्य नीचे दिये गये हैं :—

(1) सभी वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आयी है उसी के साथ-साथ कागज की कीमतें भी गिरीं।

(2) खपत में कमी करने और कागज की सस्ती किस्मों का प्रयोग करने की सामान्य प्रवृत्ति;

(3) हिसाब में न दिखाई गई धनराशि को वापस ले लिये जाने के कारण और बैंकों से ली जाने वाली अग्रिम राशि से नकद रकम मिलने में कटौती।

(4) प्रतिस्पर्द्धात्मक पद्धतियों का अपनाया जाना।

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोहायम जिले के केल्लोर नामक स्थान में प्रतिवर्ष 80,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाली एक अखबारी कागज की परियोजना

स्थापित कर रहा है। केरल में अन्य पार्टियों को भी कागज मिलें स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किए गये हैं।

विद्युत उत्पादन तथा इसकी खपत की स्थिति

*221. **श्री वसंत साठे :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के कुछ महीनों में विद्युत उत्पादन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र में विद्युत् उत्पादन तथा उसकी खपत में बहुत भारी अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत् उत्पादन के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। देश में बिजली के कुल उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है ।

(ख) ऊर्जा की कमी 5 प्रतिशत से भी कम है। बिजली की जितनी मांग है उसकी तुलना में उत्पादन की क्षमता कम है। बिजली की पूर्ति भिन्न भिन्न स्थानों पर उपयुक्त तरीके से भिन्न भिन्न समय में करके इस स्थिति का सामना किया जा रहा है। ऐसा करना जितना अधिक संभव है, उतना अधिक किया जा रहा है ताकि उत्पादन और अनिवार्य सेवाओं पर बिजली की कमी का असर यथा-संभव कम हो ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नयी विद्युत् योजनाओं की परियोजना-रिपोर्टें भेजी हैं। इन योजनाओं का लाभ छठी योजना की अवधि में होगा। इन परियोजना-रिपोर्टों की परीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जा रही है ।

इलेक्ट्रोनिकी उद्योग के लिये कच्चे माल और विदेशी मुद्रा की कमी

*222. **श्री पी० गंगादेव :** क्या इलेक्ट्रोनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग को कच्चे माल की अनुपलब्धता और विदेशी मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रिकस मंत्री तथा आंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इस प्रकार की समस्याओं का सामना इस उद्योग को भी अन्य ऐसे उद्योगों की भांति करना पड़ रहा है, जो किसी न किसी सीमा तक आयातित सामग्रियों तथा संघटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं ।

(ख) कच्चे माल और संघटकों के स्वदेशी स्रोतों के विकास का क्रमबद्ध कार्यक्रम हमारी लाइसेंसिंग तथा अनुसंधान एवं विकास नीति का ही एक भाग है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार एवं प्रौद्योगिकी विकास निगम का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरण व सहायता मिल सके और उसमें तेजी आए तथा आयात के लिए विदेशी मुद्रा का इष्टतम उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी के लघु एककों को जब कभी गैर-

परम्परागत मुद्रा क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई होती है, तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डच क्रेडिट, पश्चिम जर्मनी क्रेडिट अथवा ब्रिटेन-क्रेडिट जैसे अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक स्रोतों में विशेष सहूलियतें प्रदान की जाती हैं ।

1974–1984 के लिए इलेक्ट्रानिकी उत्पादन का लक्ष्य

*223. **श्री राजा कुलकर्णी : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी आयोग ने 1974 से 1984 की 10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रानिकी उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) क्या भारत उपरोक्त अवधि में प्रतिरक्षा का इलेक्ट्रानिकी सामान, उपभोक्ता सामान, चिकित्सा सामान तथा इलेक्ट्रानिकी कल पुर्जों के निर्माण में आत्म निर्भर बन जायेगा ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी) :

(क):–इलेक्ट्रानिक आयोग द्वारा वर्ष 1974 से 1984 तक की अवधि के लिए निर्धारित किये गये उत्पादन के क्षेत्रवार लक्ष्य ।

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	उत्पादन		योग
	1974–79	1979–84	1974-84
1. उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी	692	1655	2347
2. जन-सम्पर्क . . .	52	135	187
3. संचार, रेडार तथा नौ-परिवहन प्रणालियां	653	1560	2213
4. अभिकलित्र (कम्प्यूटर) .	186	445	631
5. नियंत्रण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी	95	260	355
6. चिकित्सा इलेक्ट्रानिकी . .	45	170	215
7. उपकरण .	155	351	506
8. संघटक पुर्जे .	595	1400	1995
9. सामग्री . .	125	385	510
10. सामान्य सुविधाएं . . .	10	24	34
योग .	2608	6385	8993

(ख):–ऐसा अनुमान है कि 1984 तक भारत इन सभी वस्तुओं के निर्माण के मामले में लगभग आत्म निर्भर हो जायगा । ऐसी संभावना है कि आयात का दायरा केवल निम्नलिखित मदों

तक सीमित रहेगा : विशेष किस्म की कुछ छुटपुट अथवा जरूरी मदें, रक्षा के प्रयोजनों के लिए आयातित शस्त्रों अथवा आयुध प्रणालियों के कुछ पुर्जे, चिकित्सा-इलेक्ट्रानिकी से सम्बन्धित अत्यन्त जटिल एवं परिष्कृत और लघु आकार के उपस्कर, और व्यावसायिक स्तर के ऐसे संघटक पुर्जे जिनकी मांग अत्यन्त कम है और जिनका देश में उत्पादन करना खर्चीला सिद्ध होगा । दूरदर्शन की पिक्चर ट्यूबों के लिए ग्लास शेलों का आयात भी किया जा रहा है । उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी उपस्करों के मामले में हम पहले ही आत्म-निर्भर हैं ।

गुजरात की वर्ष 1976–77 के लिए वार्षिक योजना

224. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1976–77 के लिए गुजरात की वार्षिक योजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार गुजरात को इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि देगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) 1976–77 की वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया है और 193.25 करोड़ रुपये की योजना व्यवहार्य मानी गई है योजना का विवरण तैयार किया जा रहा है

विमुक्त जातियों तथा खानाबदोश जनजातियों की शिक्षा-सुविधायें

917. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि विमुक्त जातियों तथा खानाबदोश जनजातियों को भी वही अथवा उसी प्रकार की शिक्षा-सुविधायें दी जायें जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

केरल में भूमि का अन्तरण

918. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला अस्पताल, कन्नूर के विस्तार के हेतु रक्षा विभाग की कुछ भूमि का राज्य सरकार को अन्तरण करने के बारे में केरल सरकार ने भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध को इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि वह भूमि एक सैनिक यूनिट के लिए चाहिए थी, जिसे पास ही के एक स्थल से वहां ले जाना था और उस

स्थल को कुछ अन्य परिसम्पत्तियों के साथ, राज्य सरकार को एक कालेज आदि के लिए देना था। राज्य सरकार ने उस जगह के लिए पहले अनुरोध किया था और हमने उसे मान लिया था। केरल के मुख्य मंत्री को तदनुसार पहले ही सूचित कर दिया गया है।

नेपा अखबारी कागज की किस्म और रीलों की पैंकिग

919. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा उत्पादन कारखाने से अखबारी कागज की रीलों को भेजने से पूर्व पैंकिंग, कवर करने तथा हुकों को लगाने के स्तर में गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या नेपा अखबारी कागज तथा रीलों की पैंकिंग की किस्म में सुधार लाने की कोई योजना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख): नेपामिल में बने अखबारी कागज की पैंकिंग में काम में लाये जाने वाला कोरस और लपेटने का कागज आयातित अखबारी कागज की तुलना में मजबूत नहीं होता है। आयातित अखबारी कागज की रीलों मे लगने वाले मैटल कोर एण्डस नेपा मिल को भी प्राप्त हो सके। अधिक मजबूत कोरस और लपेटने के कागज का रीलों का उपयोग किया जाये इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं। अखबारी कागज की किस्म का जहां तक प्रश्न है नेपा मिल उसकी चमक में और लगायी जाने वाली सामग्री में सुधार लाने हेतु कदम उठा रहा है।

बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कारखाना

920. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित गगल में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने के लिये मैसर्स ए० सी० सी० लिमिटेड को लाइसेंस की मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी, यहां पर अनुमानत: कितना वार्षिक उत्पादन होगा और इस परियोजना की स्थापना की सम्भावित तारीख क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के गागल में सीमेंट का एकक स्थापित करने के लिए मैं० ए० सी० सी० को कोई भी लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया है। 32.90 करोड़ रुपये की लागत से 4 लाख मी० टन क्षमता का एक संयंत्र गागल में स्थापित करने लिए कम्पनी से प्राप्त एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के अनिर्णीत मामले

921. श्री बसन्त साठे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1975 के अन्त में महाराष्ट्र राज्य के पेंशन के कितने मामले लम्बित थे और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : महाराष्ट्र से 31 दिसम्बर, 1975 तक स्वतन्त्रता सेनानियों के 18593 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं । इनमें से 6240 मामले अस्वीकृत किये गये, 9470 स्वीकृत किये गये और 2883 मामलों में अन्तिम निर्णय लिया जाना शेष है ।

न मामलों में से अधिकांश मामले आवेदकों द्वारा राजनैतिक यातनाओं के बारे में किये गये दावों के लिखित प्रमाण के अभाव में लम्बित पड़े हैं । राज्य सरकारों से राज्य/जिला स्तर समितियों के परामर्श से जांच रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिये कहा गया है । सम्बन्धित आवेदकों से अपने दावों के समर्थन में आवश्यक लिखित प्रमाण भेजने के लिये अनुरोध किया गया है ताकि उनके मामलों को, जहां तक सम्भव हो, शीघ्र निपटाया जा सके ।

FINALISATION OF FIFTH PLAN

922. Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) the time by which the Fifth Five Year Plan is likely to be finalised ; and

(b) the total plan provision envisaged in the revised Fifth Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) :

(a) and (b) : As the price situation at home has stablished, the relevant exercises for reassessing the resources and the *inter see* priorities are under way within the Commission. The international situation, however, still remains Fluid. It is not, therefore, possible at this stage to indicate the time by which the Fifth Five Year Plan may be finalised or the likely total plan outlay.

Issue of Letters of Intent for Setting up Industries in M. P.

923. Shri Martand Singh :

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state the number of letters of intent for setting up industries in Madhya Pradesh issued during the Fifth Plan period alongwith the names of industries, their locations and capital ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya)·

75 letters of intent have been issued during the years 1974 and 1975 (upto Nov.) for setting up new undertakings in Madhya Pradesh. Names of the parties, items of manufacturers, locations and other details of letters of intent are publised in the " Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", " Journal of Industry & Trade " and " Monthly list of letters of intant/industrial licences", copies of which are available in the Parliament Library. Data relating to capital issued in respect of letters of intent granted are not maintained.

गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों को प्रतिशतता में वृद्धि/कमी

924. **श्री समर गुह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है ; और

(ख) योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मानदंड के अनुसार अब गरीबी के स्तर में रहने वाले लोगों की प्रतिशतता क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। गरीबी के स्तर से नीचे जोवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के सहारे लगाया जाता है। ये आंकड़े अभी तक केवल वर्ष 1970–71 तक के उपलब्ध हैं।

आपात् स्थिति के दौरान सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिये एक समिति का नियुक्त किया जाना

925. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात स्थिति के दौरान सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को जांच करने के लिये सरकार का विचार एक समिति बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). जी नहीं श्रीमान। किन्तु विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों में छानबीन समितियों आदि द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की 50/55 वर्ष की आयु पर छानबीन की जा रही है, जिससे कि उन व्यक्तियों को नौकरी से हटाया जा सके जो अकुशल हैं, अथवा जिनमें सत्यनिष्ठा का अभाव है अथवा दोनों हो कमियां हैं।

ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग

926. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इकानामिक तथा साइन्टिफिक रिसर्च फ़ाउन्डेशन के अध्ययन के अनुसार उद्योगों को ईंधन तेल की वर्तमान आवश्यकता को 60 प्रतिशत मात्रा आगामी दो, तीन वर्षों में कोयले से पूरी की जा सकती है ;

(ख) क्या उक्त अध्ययन के अनुसार ईंधन-तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने से तेल के आयात पर व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा 1200 करोड़ रुपये से घटकर 948 करोड़ रुपये रह जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार को इकानामिक और साइंटिफ़िक रिसर्च फ़ाउन्डेशन के अध्ययन का पता है ।

(ग) सरकार की यह नीति है कि जहां कहीं प्रौद्योगिकीय रूप से व्यावहारिक हो, ईंधन तेल के स्थान पर कोयले के उपयोग के प्रयत्न किये जायें, बशर्ते कि परिवहन और लदान सुविधायें भी सुलभ हों ।

पश्चिम बंगाल की सेन-रैले नामक साइकिल कम्पनी को सरकारी नियंत्रण में लेना

927. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के माध्यम से पश्चिम बंगाल की सेन-रैले यूनिट को अपने नियंत्रण में ले लिया है ;

(ख) क्या उपरोक्त यूनिट के प्रबन्ध का संचालन ठीक ढंग से न होने के बारे में कोई जांच की गई ; और

(ग) क्या अधिग्रहण से पूर्व इस यूनिट को ऋण के रूप में बहुत बड़ी धनराशि दी गई थी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). औपचारिक जांच के बिना प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मै० सैन रेले लिमिटेड और उसके चार सहायक एककों के सम्बन्ध में सरकार इस बात से सन्तुष्ट थी कि एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी जिससे उपक्रम के उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी और इस प्रकार की स्थिति रोकने के लिये तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक था । इसलिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने शुरू में 8 सितम्बर, 1975 को औद्योकि पुनर्निर्माण निगम द्वारा उपक्रम का प्रबन्ध अधिग्रहण प्राधिकृत किया । बाद में उपक्रम का प्रबंध अधिग्रहण करने हेतु आई० आर० सी० आई० के स्थान पर 12-9-75 के एक प्राधीकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया था ।

(ग) यह समझा जाता है कि भारत के औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने उपक्रम के प्रबन्ध अधिग्रहण से पूर्व इसे पर्याप्त सहायता प्रदान की थी ।

कागज और लुग्दी बनाने के कारखाने

928. **श्री टुना उराँव** :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज और लुगदी बनाने के कितने कारखाने हैं, उनकी क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने में वर्षवार कितना कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उत्तर बंगाल और नागालैंड में नये कारखानों की स्थापना के लिए कितने लाइसेंस/प्राशय-पत्र कहां कहां के लिए जारी किए गए और उनमें से प्रत्येक किस स्थिति में है ; और

(ग) ये कारखाने अनुमानतः किस किस तारीख तक स्थापित हो जायेंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : तथ्यों का सुनिश्चय किया जा रहा है और वे सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

ताप बिजली संयंत्रों की कार्यकुशलता में वृद्धि है

929. **श्री डो०डी० देसाई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और दिसम्बर, 1975 के बीच ताप बिजली संयंत्रों की कार्यकुशलता बढ़ी है ; और

(ख) क्या ताप संयंत्रों में रखरखाव की मुख्य समस्याओं पर काबू पा लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में (उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). उत्पादन क्षमता का उपयोग किये जाने की दृष्टि से जून और दिसम्बर, 1975 के बीच ताप विद्युत् उत्पादन यूनिटों के कार्य निष्पादन में, कुल मिलाकर, सुधार हुआ है । जून, 1975 में ताप विद्युत् यनिटों से 3784 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ जो उत्पादन क्षमता का 52 प्रतिशत उपयोग के बराबर था । इसकी तुलना में दिसम्बर, 1975 में 4159 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ जो उत्पादन क्षमता के 54 प्रतिशत उपयोग के बराबर था । बड़े बड़े ताप विद्युत् केन्द्रों में रख रखाव सम्बन्धी प्रक्रियायों में सुधार करने और उनका युक्तिकरण करने की दिशा में कार्यवाही गई है और ताप विद्युत् यूनिटों के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।

पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई

930. **श्री रानेन सेन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हाल में बड़ी मात्रा में तथा अनेक किस्मों के हथियार सप्लाई किये गये हैं ; और

(ख) बाहरी चुनौती का सामना करने के लिये हथियारों का अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सरकार को जानकारी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई पर से रोक हटा ली है । सरकार को यह भी जानकारी है कि शस्त्रों की सप्लाई के बारे पकिस्तान का एक अनुरोध अब अमेरिकी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) हमारी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा शस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि के लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Gang of International Swindlers unearthed

931. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a gang of international swindlers has been unearthed in the country ;

(b) if so, their names and the places to which they belong, as also the name of their ring leader; and

(c) the crimes committed by this gang in India during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Two cases have been registered in Connaught Place Police Station, New Delhi on 12-12-75 and 17-12-75 under sections 419/420/468/471-IPC and Section 419/420/464/474/379/120-B. I. P. C. against the following seven persons who have been arrested:—

1. Shri V. K. Jain
2. Shri Richhpal Sharma
3. Shri Om Prakash.
4. Shri Kanne Danial.
5. Miss Franscesa.
6. Mrs. Anton Wylam.
7. Mrs. Julia Wylam.

Persons at Serials 1 to 4 are Indian nationals, Serial 5 is an Australian national and Serials 6 and 7 are British nationals. Serial No. 1 and 2 are said to be the leaders of the gang. They are alleged to have used credit cards by impersonation. The cases are under investigation.

औद्योगिक विकास निगम के शेयर

७३३. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक विकास निगम के शेयरों को उनके द्वारा सम्बन्धित कम्पनियों में लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख): राज्य औद्योगिक विकास निगमों के संसाधनों की वर्तमान स्थिति, पूंजी बाजार में संसाधन एकत्र करने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के संदर्भ में भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के हित में राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा अपनी धन राशि के बारी बारी से उपयोग करने की सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकारों को इस प्रकार की परियोजनाओं में अंश धारिता के नमूने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए हैं जिनके अनुसार राज्य औद्योगिक विकास निगमों की अनुमति दे दी गई है कि वे निम्नलिखित आधार पर अपनी शेयर खरीददारी में निवेश रोक सकते हैं।

(i) जहां किसी राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी किये गये आशय पत्र क्रियान्वित नहीं किया गया है और परियोजना अभी स्थापित की जानी है, उस स्थिति में राज्य औद्योगिक विकास निगम अथवा कोई अन्य राज्य सरकारी क्षेत्र की संस्था की कम्पनी की कुल इक्विटी को 15 प्रतिशत तक इक्विटी पूंजी इस शर्त पर बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल में राज्य औद्योगिक विकास निगम अथवा राज्य सरकारी क्षेत्र की संस्था का एक निदेशक नामज़द किया जाएगा तथा कोई भी एक सह संवर्धक (प्रमोटर) कुल पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं रखेगा और कोई भी विदेशी कम्पनी अथवा एकाधिकार प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार उपक्रम सह संवर्धक

के रूप में सम्बद्ध नहीं किया जाएगा ।

(ii) जहां परियोजना स्थापित हो चुकी है और उसमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है उसमें राज्य औद्योगिक विकास निगम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंशधारिता के सम्बन्ध में निवेश पूरी तरह रोक सकता है :

(i) इस प्रकार के शेयरों को बिक्री जहां तक सम्भव हो सके जनता अथवा अन्य सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में की जाए ;

(ii) ऐसा कोई भी शेयर बड़े औद्योगिक गृहों को न बेचा जाए और तथा बिना भारत सरकार की पुर्वानुमति के विदेशी कम्पनियों को शेयर न बेचा जाए ।

टेलीविजन सेटों की मांग में कमी होने के कारण टेलीविजन उद्योग में संकट

934. **श्री वसन्त साठे :**

श्री धामनकर:

क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलिविजन सैटों की मांग में कमी के कारण टेलीविजन उद्योग को सामान्यतया तथा लघु एककों को विशेषतया गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या लघु उद्योग टेलीविजन एकक संघ ने उत्पादन शुल्क में कमी करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सामान्यत: यह बात सत्य नहीं है । हां, यह अवश्य है कि बिक्री सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण कुछ दूरदर्शन विनिर्माणक यूनिटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार उनके अभ्यावेदन पर विचार कर रही है । इसके साथ ही, यह भी अन्दाजा लगाया गया है कि स्वयं इन उत्पादन एककों द्वारा ही लागत में कमी किए जाने की काफी गुंजाइश है ।

विदेशों द्वारा भारतीय परमाणु विशेषज्ञता का आयात

935. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने परमाणु अनुसंधान प्रयोगशालाओं के विकास के लिए भारतीय परमाणु विशेषज्ञों को अपने यहां मंगाने में रुचि दिखाई है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के क्षेत्र में हम मित्र देशों के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

936. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या छंटनी और मुद्रास्फीति विरोधी उपायों के कारण देश में बेरोजगारी की स्थिति में और वृद्धि हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित वास्तविक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, काम तलाश करने वालों की संख्या 1971 में 51.0 लाख थी, जो 1973 में बढ़ कर 82.2 लाख हो गई और 1975 में (अक्तूबर, 1975 की समाप्ति तक) यह संख्या 92.7 लाख हो गई। इस प्रकार पिछले दो वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि 6 प्रतिशत हुई, जबकि 1971–73 की अवधि में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

(ग) इस बात का कोई संकेत नहीं है जिससे यह पता चले कि छंटनी और मुद्रास्फीति विरोधी उपायों के कारण बेरोजगारी की समग्र स्थिति में और वृद्धि हुई है। किन्तु, विनियोजन की गति, सम्पूर्ण आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाए गए उपायों के साथ-साथ और भी कई उपाय किए गए हैं।

देश में निर्मित फोम

937. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिफेंस इंस्टीट्यूट आफ फायर रिसर्च ने देश में निर्मित एक ऐसे फोम का विकास किया है जो जलते हुए तरल तथा ठोस पदार्थों को बुझा सकेगा ;

(ख) क्या यह फोम 380 वोल्ट तक चालू विद्युत् उपकरण में लगी आग को भी बुझा सकता है; और

(ग) क्या यह फोम, जब यह वाणिज्यिक आधार पर निर्मित किया जायेगा तो आयात किये गये सामान की जगह इस्तेमाल किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : (क) रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान ने पैट्रोल द्रव्यों पर लगी आग को बुझाने के लिए एक स्वदेशी फोम मिश्रण

का बिकास किया है लेकिन कुछ सीमा तक ठोस पदार्थों पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है ।

(ख) और (ग) : जी हां, श्रीमन् ।

Purchase of Military Hardware by Pakistan

938. **Shri Hari Singh :**
Shri Raghunandan Lal Bhatia :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have information about the recent purchase of military hardware by Pakistan from foreign countries ; and

(b) if so, whether Government have taken any action ?

The Minister of Defence (Shri Bansi Lal): (a) Yes, Sir.

(b) These developments are taken into account in planning our defence measures.

तमिलनाडु में औद्योगिक उत्पादन

939. **श्री एम० कल्यामुतु :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). तमिलनाडु में जनवरी, 1975 से बिजली के औद्योगिक उपयोग में बिजली की 60 प्रतिशत कटोती और मांग में 40 प्रतिशत कटौती लागू की गई थी और अप्रैल, 1975 में बिजली में यह कटौती बढ़ कर 75 प्रतिशत हो गई थी । इसे कुछ व्यस्त समय के प्रतिबन्ध को छोड़ कर जून, 1975 से हटा दिया गया था । सितम्बर, 1975 से व्यस्त समय का यह प्रतिबन्ध भी औद्योगिक एककों द्वारा बिजली का उपयोग करने पर से हटा दिया गया है । तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा अप्रैल-नवम्बर, 1975 के उत्पादन का एक नमूने का अध्ययन किया गया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि 1974 की इसी अवधि की तुलना में सीमेन्ट, सीमेन्ट मिल मशीनों, वाणिज्यिक वाहनों, मोटर साइकिलों, कृषि ट्रैक्टरों आक्सीजन और घुलनशील एसिटिलीन गैसों, कागज और कागज के गत्तों, गणना मशीनों आदि जैसी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है एवं कुछ अन्य वस्तुओं जैसे आटोमोबाइल टायरों और ट्यूबों, वाइसिकिलों, साबुनों और शुष्क सेलों के उत्पादन में गिरावट आई है लेकिन ऐसा बिजली की कमी के कारण नहीं हुआ है ।

Production of Watches by H. M. T.

940 **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the makes/types of watches being manufactured by H. M. T. at present ; and

(b) the amount of profit earned by H. M. T. from the production of watches during 1974-75 ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George): (a) The H.M.T. are manufacturing Ladies' and Gents' wrist watches of the following types at present:

Hand wound watches

Gents : SONA, JANATA, PILOT, JAWAHAR, CHINAR AND NISHAT
Ladies: NUTAN, PRIYA AND RAKHEE

Automatic Day-Date Watches with stainless steel case, gold plated case and aluminium alloy black case

(b) The Company as a whole earned a profit of Rs. 509 lakhs during the year 1974-75.

Directions issued to News papers and News Agencies regarding publications of News

941. **Shri B. S. Chowhan :** Willthe Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether some directions have been issued to newspapers and news agencies in regard to the publication of news : and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b). No directions have been issued. However, a set of guidlines have been issued, copy of which is placed on the Table of the House. [Placed in Library *See* No. LT-10190/76]. This is a working arrangement and does not supersede the censorship order.

नेपाल की करनाली पन-बिजली परियोजना के साथ सम्बद्ध भारतीय विशेषज्ञ

942. **श्री के० एन० मधुकर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की करनाली पन-बिजली परियोजना के नई सम्भाव्यता के अध्ययन में भारतीय विशेषज्ञों को सम्बद्ध किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). चीसापानी में करनाली परियोजना के कुछ पहलुओं की परीक्षा करने और इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए नेपाल के महामहिम की सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से, परामर्श-दाताओं की सेवाएं ली हैं। बांध के स्थान का चयन करना भी इसमें शामिल है। नेपाल

सरकार और भारत सरकार के बीच इस बात पर सहमति हो गई है कि परामर्शदाताओं द्वारा किए जा रहे अध्ययन कार्य में भारत नीचे लिखे अनुसार सहयोग करेगा :—

(1) दो भारतीय विशेषज्ञों को नेपाल में तैनात करेगा ;

(2) अन्वेषण के दौरान उच्च स्तर के भारतीय विशेषज्ञ निरीक्षण करने जाएंगे; और

(3) परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की रूपरेखा को समीक्षा के कार्य में भारतीय विशेषज्ञ सहयोग देंगे ।

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के निक्षेप

943. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के निक्षेपों का हाल ही में पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में आगे खोज सम्बन्धी प्रस्ताव क्या है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) दो वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराय क्षेत्र में यूरेनियम के भण्डार होने के संकेत मिले थे ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग उस क्षेत्र में यूरेनियम की मात्रा का पता लगा रहा है । अब तक ऐसा कोई भण्डार नहीं मिला है जो व्यावसायिक महत्व का हो ।

वर्ष 1976–77 के लिए उड़ीसा का वार्षिक योजना परिव्यय

944. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 के लिए उड़ीसा का स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय क्या है तथा उसमें राज्य सरकार का भाग कितना है ;

(ख) वर्ष 1973–74, 1974–75 और 1975–76 के दौरान उड़ीसा का स्वीकृत योजना परिव्यय कितना था; और

(ग) इन अलग-अलग वर्षों में योजना पर कितना व्यय किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) वर्ष 1976–77 के लिए वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर है विचारविमर्श किया गया है और यह पाया गया है कि 124.67 करोड़ रुपये की योजना व्यवहार्य है । योजना का विवरण तैयार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) 1973–74, 1974–75 और 1975–76 के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	अनुमोदित परिव्यय	राज्य सरकार द्वारा बताया गया व्यय
1973–74 . .	59.69	62.62
1974–75 .	76.27	73.04
1975–76 . . .	90.25	99.32 (प्रत्याशित)

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को विस्तार की अनुमति

945. **चौधरी नीति राज सिंह** : क्या **इलेक्ट्रानिक्स मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग भी ऐसा माल बना रहे हैं जो फिलिप्स इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है; और

(ख) फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को विस्तार करने की अनुमति देने तथा उन्हें स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : : (क) लघु उद्योग क्षेत्र के एकक वैसा ही माल बना रहे हैं जो फिलिप्स इण्डिया लि० द्वारा भी बनाया जा रहा है, जैसे, रेडियो सेट, एम्पलीफायर और लाउडस्पीकर, जो० एल० एस० लैम्प, विद्युत् फिटिंग, तिदीप्ति नलिकाओं (फ्लोरोसेंट ट्यूबों) के लिए चोक और स्टार्टर ।

(ख) : फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड को उन वस्तुओं के निर्माण का विस्तार करने के लिए जो लघु क्षेत्र के इलेक्ट्रोनिकी उद्योगों के लिए सुरक्षित हैं, अनुमति केवल इसी शर्त पर दी जा रही है कि उन्हें अपने विस्तार कार्यक्रम के 75 प्रतिशत से अधिक (सामान्यतः 90 से 100 प्रतिशत) उत्पादन का निर्यात करना पड़ेगा । जहां तक गैर-इलैक्ट्रोनिकी मदों का सम्बन्ध है अभी तक इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है ।

स्कूटर तथा ट्रैक्टर कारखाने

946. **सरदार स्वर्ण सिंह सोढी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संयुक्त क्षेत्रों सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्कूटर तथा ट्रैक्टरों के कितने कारखाने चल रहे हैं ;

(ख) उनका उत्पादन लक्ष्य क्या है तथा देश में उनकी कितनी मांग है; और

(ग) देश में उनकी मांगों को पूरा करने के लिए भारत कब आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकारी क्षेत्र के एक एकक और गैर-सरकारी क्षेत्र में तीन एकक स्कूटरों का निर्माण करते हैं। ग्यारह एकक, जिनमें एक सरकारी क्षेत्र का और दूसरा राज्य क्षेत्र का एकक शामिल है, कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण करते हैं।

(ख) तथा (ग). 1975–76 में 30,000 से अधिक ट्रक्टरों का उत्पादन होने की आशा है, जिनसे वर्तमान प्रभावी मांग पूर्ण हो जायेगी।

जहां तक स्कूटरों का सम्बन्ध है, 1974–75 में 88,363 स्कूटरों की तुलना में 1975–76 में 1,35,000 स्कूटरों का उत्पादन होने की संभावना है और 1978–79 तक प्रतिवर्ष 3,00,000 स्कूटरों का उत्पादन होने की सम्भावना है जिनसे देश में प्रभावी मांग पूरी हो जायेगी।

मैसर्स शार्पेज लिमिटेड की लाभांश दर

947. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर द्वारा संचालित और नियंत्रित मसर्स शापज लिमिटेड वर्ष प्रति वर्ष लाभांश की दर लगभग 70 प्रतिशत देता रहा है;

(ख) क्या इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम 'इरेस्मिक' के बल पर उपभोक्ता को लूटा गया है,; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने जनता के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क). मे० शारपेज लि० ने जिसमें मे० हिन्दुस्तान लीवर लि० की इक्विटी अंश धारिता 47.50 प्रतिशत है पिछले चार वर्षों में निम्नलिखित लाभांश दरें घोषित की हैं :—

वर्ष	लाभांश की दरें	
1971	70	प्रतिशत
1972	70	प्रतिशत
1973	50	प्रतिशत
1974	32	प्रतिशत

किन्तु वर्ष 1973 और 1974 के लाभांश का भुगतान कम्पनी (लाभांश पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, के अधीन है।

(ख) ब्राण्ड का नाम का उपयोग करने से भले ही कम्पनी को अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिली हो किन्तु सरकार के पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मे०

शार्पेज ने 'इरेस्मिक' ब्राण्ड नाम के बल पर उपभोक्ताओं को ज्ञान है । उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में बनाये गये कुल रेंजर और ब्लेडों का भाग देश में बने कुल ब्लेडों में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है ।

(ग) और (घ) में दिए गए उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता ।

नान-रेजीडेन्ट ओनरशिप की ट्रेड मार्क के प्रयोग की अनुमति

948. **श्री शशि भूषण** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नान-रेजीडेंट ओनरशिप कम्पनियों को 'ट्रेड मार्क' का प्रयोग करने की कितनी अवधि के लिए अनुमति दी गई है; और

(ख) मूलतः कितनी अवधि के लिए अनुमति दी गई थी और उसके नवीकरण हो जाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ख) नान-रेजीडेंट ओनरशिप कम्पनियों को 'ट्रेड मार्क' का प्रयोग करने की अनुमति प्रारम्भ में सात वर्षों के लिए दी जाती है । यह अवधि क्रमशः सात-सात वर्षों के लिए और आगे बढाई जा सकती है, बशर्ते नवीकरण का आवेदन-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर दिया जाये और निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाये ।

कोका कोला बोटलरी की बैठक

949. **श्री शशि भूषण**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री कोका कोला बोटलरों द्वारा भारतीय नामों से सोफ्ट पेय पदार्थों का उत्पादन सम्बन्धी 28 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3852 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोका कोला बोटलरों से किस तिथि को यह कहा जायेगा कि वे भारतीय नामों से सोफ्ट पेय पदार्थों का उत्पादन करें,

(ख) क्या आयातित विदेशी सामग्री का त्याग करने या भारतीय नामों से सोफ्ट पेय पदार्थ बनाने के लिए बोटलरों को राजी करने के लिए उन के साथ कोई बैठक की गई थी; और

(ग) कोका कोला बोटलरों की उस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) इस बारे में कोई विशेष तिथि बताना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग) : पूर्ण रूप से स्वदेशी हल्के पेय का विकास करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए कोका कोला बोटलरों के साथ बैठक की गई थी । देश में सभी हल्के पेयों में समान रूप से प्रयोग में आने वाले तत्वों के आयात को समाप्त करने के प्रयासों की आवश्यकता और उस दिशा में अनुसंधान और विकास करने की आवश्यकता के बारे में सभी उत्पादक एक मत थे । बोटलरों को यह भी बता दिया गया था कि यदि उनका हल्के पेयों के अपने ब्रांड बनाने का प्रस्ताव है तो उन्हें सरकार से सहायता मिलेगी । सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

चिलका झील पर नौसेना प्रशिक्षण स्कूल

950. **श्री पी० गंगादेव** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चिलका झील पर नौसेना प्रशिक्षण स्कूल के निर्माण के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और मंत्रालय को इस बारे में रिपोर्ट दे दी गई है; और

(ख) निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) चिलका में बायज प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परियोजना के सम्बन्ध में सभी प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिया गया है । कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। इस परियोजना का प्रथम चरण 1979 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

उद्योग को रियायतें

951. **श्री डी० डी० देसाई**: क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में ही उद्योग को जून, 1975 से अब तक विभिन्न प्रकार की क्या क्या रियायतें तथा छूटें दी गई हैं; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख). अधिष्ठापित क्षमताओं का पूरा उपयोग करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति में बहुत सी छूटों की घोषणा की है जिनमें से कुछ छूटों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) सरकार ने इस्पात की गढ़ी वस्तुओं, यात्री कारों और स्पात के पिंडों के निर्माताओं को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अंतर्गत विविधीकरण की सुविधाएं दी हैं, जिससे अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए बढावा मिल सके।

(2) निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने 15 चुने हुए इंजीनियरी उद्योगों में एक योजना अवधि में 75 प्रतिशत तक क्षमता तक में स्वत: वृद्धि की सुविधा की घोषणा की है ।

(3) उपकरणों के प्रतिस्थापन और आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप होने वाली अतिरिक्त क्षमता को मान्यता देने के लिए सरकार ने सरल बनाई गयी एक पद्धति की घोषणा की है

(4) सरकार ने 29 चुने हुए उद्योगों में लगे औद्योगिक उपक्रमों को अपनी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने की भले ही वह उनकी लाईसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक हो, कुछ शर्तों के अधीन, अनुमति दे दी है।

(5) उत्पादन कार्यों के लिए यथा संभव संसाधनों के संचालन को प्रोत्साहन देने और देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से तथा देश में उद्यमियों की

वृद्धि और विस्तार की व्यवस्था करने की दृष्टि से भी यह निर्णय किया गया है कि कुछ शर्तों के अधीन 21 चुने हुए उद्योगों को औद्योगिक लाईसेंस से पूरी-पूरी छुट दे दी जाये। यह सुविधा एम०आर०टी०पी० अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की सीमा के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों को नहीं मिलेगी।

लाईसेंस नीति और पद्धति मे उपर्युक्त परिवर्तनों के प्रभाव का मुल्यांकन कुछ समय व्यतीत होने के बाद ही किया जा सकता है जिसमें उसके परिणामों का विश्लेषण किया जा सके।

बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में अखबारी कागज/कागज का कारखाना

952. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैल्ला में एक अखबारी कागज/कागज के कारखाने की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी और यहां पर अनुमानत: वार्षिक उत्पाद कितना होगा और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना की स्थापना की भावित तारीख क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). मे० बिलासपुर इण्डस्ट्रीज लि० का बिलासपुर जिले के नीला में 60,000 मी० टन वार्षिक क्षमता को एक अखबारी कागज परियोजना स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। कम्पनी ने बताया है कि परियोजना की लागत करीब 100 करोड़ पये होगी तथा समें 1400 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में तथा करीब 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप मे रोजगार मिलने की आशा है।

(ग) कम्पनी आवश्यक वित्त की व्यवस्था कर रही है जिसके बाद वह पूंजीगत वस्तुओं के आयात का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया है कि आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के पश्चात् परियोजना को क्रियान्वित करने में करीब 3 वर्ष का समय लगेगा।

Production of Newsprints in Nepa Nagar

953. **Dr. Laxminarayan Pandeya**

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether therere is considerable difference in persheet weight between the 'newsprint' produced in Nepa Nagar and the international newsprint ; and

(b) if so, the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri C. P. Maurya): (a) and (b): International newsprint is made out of long fibred coniferous wood which has comparatively higher strength than the newsprint manufactured by Nepa Mills which is based on indigenous salai wood and bamboo. As such the sheet weight of Nepa Newsprint is higher, but the Nepa mills is taking all steps to ensure that the weight does not exceed 56GSM, without sacrificing strength.

आपात स्थिति के दौरान अत्यावयक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

954. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री एस० ए० मुरुगनत्तम :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की घोषणा के समय से चीनी, वनस्पतियों, दालों तथा तेलों के मुल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) व (ख). आपात् स्थिति की घोषणा के समय से चीनी, दालों और तेलों के मुल्य नहीं बढ़े हैं। वास्तव में खास तौर पर दालों और खाने के तेलों के मुल्यों में विशेष कमी हुई है। सब्जियों में, आलु के भाव आम तौर पर गिरे हैं। मुख्यत: प्याज है, जिसके मुल्य आपात् स्थिति के समय से बढ़े हैं। इसका कारण, यह है कि इसे ैदा करने वाले प्रमुख राज्यों, अर्था महाराष्ट्र और तमिल ना ु में सकी फ़सल आंशिक रूप से खराब ई है। हाल के सप्ताहों में प्याज के मुल्यों में भी कमी का ख आया है।

'स्लज गैस' का खाना पकाने के लिए उपयोग

955. **श्री सरोज मुकर्जी :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'स्लज गैस' का खाना पकाने के लिये उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर सके प्रयोग के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में ओखला सीवेज वर्क्स से सीवेज गैस के उपयोग के लिए एक परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है। सूचना मिली है कि बम्बई निगम भी, जोकि थोड़े से उपभोक्ताओं को सीवेज गैस सप्लाई कर रहा है, घरेलु स्तेमाल में सीवेज गैस की खपत बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

महिला अपराधियों की कैद में छूट

956. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के सम्मान में महिला अपराधियों की सजा में कुछ विशे छुट देने के आदेश दिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): निम्नलिखित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने अन्त र्ष्ट्रीय महिला वर्ष के स्मरणोत्सव पर महिला कैदियों को क्षमादान देने के आदेश जारी किये हैं :—

राज्य

(1) आन्ध्र प्रदेश (2) बिहार (3) कर्नाटक (4) मध्य प्रदेश
(5) महाराष्ट्र (6) राजस्थान (7) सिक्किम (8) तमिलनाडु
(9) त्रिपुरा (10) उत्तर प्रदेश (11) पश्चिम बंगाल।

संघ शासित क्षेत्र

(1) गोआ दमन और दीव (2) पांडिचेरी।

दक्षिण भारत में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी घोटाला

957. **श्री शशि भूषण :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण भारत में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी एक ऐसे बड़े घोटाले का पता लगाया है जिसमें कुछ मिशनरी पादरियों का मुख्य हाथ था; और

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा ी है ?

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख). हवाला शायद "परिस् से इन एक्सचेंज जगलरी" शीर्षक की रिपो का है जो 13 दिसम्बर, 1975 के ब्लिट्ज के अंक में प्रकाशित हुआ था और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन के कुछ मामलो, जिसमें कुछ पादरी अन्तर्ग्रस्त थे, का उल्लेख किया गया था। इन मामलों का सम्बन्ध 1965 से 1969 तक के वर्षों से है और अब न्हें विधि के अ ुसार आवश्यक दण्डिक कार्रवाई करके अन्तिम रूप दे दिया गया है।

राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में कमी

958. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970–71 से 1974–75 के बीच स्थिर मुल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि-दर मे निरन्तर गिरावट रिकार्ड की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ारा तयार किये गये अनुमानों के अनुसार, राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर में 1970–71

से 1973–74 तक की अवधि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी है :—

मूल्य	वृद्धि की दर (स्थिर मूल्यों पर)	
	कुल	प्रति व्यक्ति
1970–71 . . .	4.9	2.5
1971–72 . . .	1.4	−1.0
1972–73 . . .	0.9	−3.2
1973–74 (सामान्य अनुमान) . . .	3.1	0.8

राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के 1974–75 के लिए स कार के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1971–72 और 1972–73 में वृद्धि की दर में जो कमी हुई वह मुख्य रूप से देश के विभिन्न भागों में सूखे और बाढ़ के कारण कृषि उत्पादन में कमी होने के कारण थी। 1973–74 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का कारण, कृषि के उत्पादन में पर्याप्त सुधार था। विभिन्न औद्योगिक कच्चे माल की अपर्याप्त पूर्ति, बिजली की कमी, पूंजी लागत में मन्द वृद्धि और असामान्य मालिक–मजदूर संबंधों के कारण कुछ वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि पर भी असर पड़ा।

कलकत्ता तथा हावड़ा में औद्योगिक एककों को गैस की सप्लाई

959. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता और हावड़ा में अनेक औद्योगिक एककों के उत्पादन पर गैस की अनियमित सप्लाई का दुष्प्रभाव पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो इस अनियमित सप्लाई के क्या कारण थे, और

(ग) वहां औद्योगिक एककों को गैस की सप्लाई नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) सरकार को कलकत्ता और हावड़ा स्थित बहुसंख्यक औद्योगक एककों में होने वाले उत्पादन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है कि उनमें अनियमित रूप से आक्सीजन गैस सप्लाई करने के कारण गंभीर प्रभाव पड़ा है।

(ख) और (ग) :– प्रश्न ही नहीं उठता।

खान दुर्घटनाओं में वृद्धि

960. **श्री रानेन सेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1973, 1974 और 1975 के दौरान ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सेन्ट्रल कोल फील्ड्स, वेस्ट्रन कोल फील्ड्स लिमटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सिंगरेनी कोयला खानों में हुई खान दुर्घटनाओं को ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरुप इन कोयला खानों के श्रमिकों को गंभीर चोटें आयी हैं तथा मौतें हुई है ;

(ख) उन कोयला खानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां ये दुर्घटनायें हुई है ; और

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा जारी किए गए वर्ष 1973, 1974 और 1975 के दौरान खान अधिनियम तथा विनियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कितने अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) व (ख) एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 10/91/76]

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा 1973 से 1975 के दौरान खान अधिनियम तथा विनियम के अधीन चलाए गए अभियोगों की संख्या इस प्रकार है :–

1973 . . .	112
1974	16
1975	35

Use of Regional Language for combined Competitive Examination

961. **Shri M. C. Daga**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether a Committee has been set up under the Chairmanship of Dr. D. S. Kothari which would take decisions on making regional languages also as alternate *Vedia* for combined competitive examinaiions; and

(b) If so, whether the Committee has taken any decisions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) :

(a) and (b) : Committee under the Chairmanship of Dr. D. S. Kothari has been set up by the Union Public Service Commission. According to its terms of reference the Committee will *inter alia*, deal with "measures necessary to implement the decision of Government about the use of all languages included in the Eight Schedule to the Constitution, along with English, as *Vedia* for the I. A. S. etc. Examination ".

The Committee has not yet submitted its report to the Commission.

Recommendation of Administrative Reforms Commission regarding raising of quota of State Administrative Services in All-India Services

962. **Shri Raghunandan Lal Batia :**

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Administrative Reforms Commission had recommended that the quota of State Administrative Services in All-India Services should be raised to 40 per cent from 25 per cent; and

(b), if so, whether any amendment was made in the rules ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta):

(a) The Administrative Reforms Commission recommended that "in order to provide greater opportunities for the advancement of talented persons who are not already in Class—I.

(a) The quota of vacancies in Class—I to be filled by promotion may be increased upto a maximum of 40% where the existing quota falls short of that percentage".

This is the general recommendaion which also applies to promotion of State Civil Services Officers to the I. A. S.

(b) This recommendation is still under consideration.

Repairs of Danapur Cantonment roads and Government buildings damaged by Floods.

963. **Shri Ramavatar Shastri**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether entire land of Danapur Cantonment had been submerged by the floods of 1975 as a result of which Government and people had to suffer heavy losses ;

(b) if so, the action taken by Government ;

(c) whether cantonment roads and Government buildings were also damaged ; and

(d) if so, the action taken by Government for their repairs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik):

(a) to (d). Almost the entire area of Danapur Cantonment was inundated due to heavy Floods from 22nd to 27th August 1975. Normal floods relief operations by way of evacuating people from danger area etc. were carried out. Urgent and essential repairs/maintenance have been carried out to Cantonment roads and Government builings which were damaged.

पश्चिम बंगाल को अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिये वित्तीय सहायता

964. **श्री प्रिरंजन दास मुंशी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में हाल ही में हुये अन्तर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह का आयोजन करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इलेक्ट्रानिकी आयोग द्वारा भारत में आई० बी० एम० के कार्य की जाँच

965. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी आयोग ने भारत में आई० बी० एम० के कार्य की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गाँधी) : (क) इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने आई० बी० एम० तथा आई० सी० एल० द्वारा ली जाने वाली कीमतों के औचित्य की जांच करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयी कार्यकारी दल का गठन किया है ।

(ख) इस दल ने क्रमशः जुलाई, 1974 तथा नवम्बर, 1975 में अपनी दो अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है । इसके फलस्वरूप यह बात प्रकाश में आयी है कि आई० बी० एम० द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों में संशोधन की गुंजाइश है । मूल्यों में संशोधन करने के उद्देश्य से आई० बी० एम० के साथ बात चीत करने के लिए अब एक समझौता-वार्तादल का गठन किया गया है ।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धनता से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना

966. **श्री बसन्त साठे** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 20 प्रतिशत गरीब लोगों के जीवन-स्तर को निर्धनता स्तर से ऊंचा उठाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). पांचवीं योजना प्रारूप में उन नीतियों और कार्यक्रमों का समावेश किया गया है जिनका उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है । 20-सूत्री कार्यक्रम पांचवीं योजना के स्थान पर नहीं है । इसमें गरीब लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष महत्व के कुछ कार्यक्रमों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है और इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अधिक तत्परता तथा गत्यात्मकता से काम करने की भावना जगाने का प्रयत्न किया गया है । 20-सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजनायें तैयार की जा रही हैं ।

पटना में अन्तर्राष्ट्रीय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन

967. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय लोकतंत्र और प्रभुसत्ता के पक्ष में दिसम्बर में पटना में हुये अन्तर्राष्ट्रीय फ़ासिस्ट विरोधी सम्मेलन में एक संकल्प में अन्तर्राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य बिभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1975 में पटना में हुये फ़ासिस्ट विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित हुये संकल्प में अन्य बातों के साथ साथ सरकार तथा भारत में लोकतंत्री ताकतों के पक्ष में जो आन्तरिक फ़ासिस्ट ताकतों व विदेशीं साम्राज्यवादी प्रतिक्रिया के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है एकता तथा समर्थन व्यक्त किया था। संकल्प में विश्वजन मत से भारत की प्रभुसत्ता व स्वतन्त्रता की रक्षा तथा सामाजिक उन्नति और शान्ति के लिये भारतीय जनता को पूर्ण समर्थन देने की भी अपील की थी।

तमिलनाडु सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति

968. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने अभी तक प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार से समय समय पर आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति की रिपोर्ट देने को कहा है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तमिलनाडु में लागू न होने के बारे में कुछ प्रेस रिपोर्टें और शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं। सभी राज्यो में 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने के कार्य पर सरकार लगातार निगाह रख रही है और पुन-रीक्षण कर रही है।

Setting up of Cement Factories in M. P. and Rajasthan

969. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the annual domestic consumption of cement and the quantity of cement exported during this year;

(b) whether a proposal to set up more cement factories in Madhya Pradesh and Rajasthan has been approved and the work in this regard has been started ; and

(c) if so, the time by which the work regarding the setting up of these factories is likely to he completed?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B. P. Maurya):

(a) During the year 1975, 158·3 lakh tonnes of cement was released for domestic consumption and 3·18 lakh tonnes was exported.

(b)and(c): The following schemes have been approved in Madhya Pradesh and Rajasthan :—

Name of the party	Location	Capacity Lakh tonnes	Likely date of completion
MADHYA PRADESH			
1. Century Cement	. Maihar	7·50	1st half of 1979
2. Cement Corporation	. Neemuch	4·00	2nd half of 1978
3. Cement Corporation	Mandhar	1·80	2nd half of 1977
4. Cement Corporation	. Akaltara	4·00	1st half of 1978
5. Mysore Cement Ltd.	. Narsingarh	4·00	6th Plan
6. Ganges Mfg. Co.	. Patharia	4·00	6th Plan
7. Modi Spg. Wvg.Mills	. Jagdalpur	4·00	6th Plan
RAJASTHAN			
1. J.K. Synthetics Limited	. Nimbahera	4·20	1st Half of 1979
2. Kesoram Cement	. Patan	3·00	6th Plan
3. Delhi Cloth Mills	. Banas	8·00	6th Plan

लघु सुपर बाजारों की स्थापना हेतु राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना

970. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रत्येक जिला मुख्यालय और सब-डिवीजन मुख्यालय में लघु सुपर बाजार स्थापित करने हेतु सरकार का विचार भिन्न-भिन्न राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपर बाजारों ने खुले बाजार में अत्यावश्यक वस्तुओं की अनियत मूल्य-वृद्धि को रोका है ; और

(ग) वर्ष 1976 से राज्य स्तर पर कार्य आरम्भ करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत सरकार लघु सुपर बाजारों की स्थापना के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर चुकी है। तथापि, इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में हर जिला मुख्यालय और उप-मण्डलीय मुख्यालय में इस कार्यक्रम को लागू करने की कल्पना नहीं की गई है। लघु सुपर बाजार की स्थापना चयनात्मक आधार पर करने का विचार है, जिसमें विकास की सम्भाव्यता, स्थानीय मांग और आर्थिक आत्मनिर्भरता की सम्भावना को ध्यान में लिया जाना है।

(ख) सुपर बाजारों ने आम तौर पर खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की अनियत मूल्य वृद्धि को ऐसी वस्तुओं की विशेषरूप से कमी के दिनों में उपलब्धता सुनिश्चित करके रोका है।

(ग) 148 सुपर बाजार और 42 लघु सुपर बाजार स्थापित किये जा चुके हैं । वर्ष 1975–76 में 29 नये सुपर बाजार और 50 लघु सुपर बाजार खोलने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता का भुगतान किया जा रहा है ।

Alleged Smuggling out of Live Cartridges from a Military Depot

971. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased state :

(a) whether two bags full of live cartridges with army markings were recovered from a well in Datia (Madhya Pradesh);

(b) if so, the value and make thereof ; and

(c) whether these cartridges were smuggled out of the military depot ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin):

(a) to (c) : The requisite information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

उद्योग में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये सैल

972. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उद्योग की प्रगति पर ध्यान रखने के लिये सैल स्थापित किये हैं , और

(ख) क्या मंत्रालय को कोई रिपोर्ट भेजी जाती है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). जी हां । मंत्रालय में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे, सीमेंट, कागज आदि में हुई प्रगिति का पर्यवेक्षण करने हेतु प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं । ये प्रकोष्ठ उत्पादकों, राज्य सरकारों, रेलवे आदि से निकट का सामंजस्य बनाये रखते हैं जिससे कि रुकावटें, यदि कोई हुई तो, उन्हें कम से कम समय में दूर करने का सुनिश्चिय किया जा सके । जिन अन्य उद्योगों के लिए प्रकोष्ठ नहीं बने हैं मंत्रालय के भिन्न भिन्न अनुभाग तथा/अथवा विकास परिषदें उनमें होने वाली प्रगति देखती हैं । ये प्रकोष्ठ मंत्रालय में सर्वाधिक प्रगति रिपोर्ट भेजते रहते हैं ।

सूडान में भारतीय सहयोग से उद्योग

973. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान में भारतीय तकनीकी जानकारी की सहायता से बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगों की स्थापना की बहुत अधिक सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). सूडान में भारतीय सहयोग से सीमेंट, चीनी और कपड़े जैसे कुछ क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए दिए गए लाइसेंसों/आशय पत्रों का उपयोग करना

974. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974–75 के दौरान राज्यवार, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए वस्तुतः कितने लाइसेंसों/आशयपत्रों का उपयोग किया गया और उनमें प्रत्येक बड़े व्यापार गृह तथा विदेशी नियंत्रित कम्पनी का हिस्सा कितना है ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : 1972–75 (नवम्बर, 1975) की अवधि में पिछड़े क्षेत्रों में नए उपक्रमों की स्थापना करने के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों और बड़े गृहों/एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया और विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों को पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या का राज्य वार ब्यौरा बताने वाले विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—10192/76**] । 1972–75 (नवम्बर, 1975) तक की अवधि में जारी किए गए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस क्रियान्वयन की विभिन्न दशाओं में हैं । प्रायः औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तिथि से परियोजना को क्रियान्वित करने में तीन से चार वर्ष का समय लगता है ।

अखबारी कागज का उत्पादन

975. **श्री सरोज मुखर्जी**: क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) देश में अखबारी कागज तथा कागज की अन्य किस्मों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) वर्ष 1975 के लिए अखबारी कागज तथा सफेद कागज की हमारी वर्तमान वार्षिक आवश्यकता कितनी है और देश के उत्पादन से इसकी कुल सप्लाई कितनी है और विदेशी से कितनी मात्रा में कागज का आयात किया गया; और

(ग) कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के लिए क्या कार्यक्रम है ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) नेशनल न्यूज-प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स जो इस समय देश में अखबारी कागज का उत्पादन करने वाला एक मात्र एकक है, प्रतिवर्ष 30,000 मी० टन से 90,000 मी० टन तक अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु विस्तार कार्यक्रम को अपने हाथ में ले रहा है । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन केरल में प्रतिवर्ष 80,000 मी० टन की क्षमता से एक अखबारी कागज परियोजना स्थापित कर रहा है जिसके 1978 के अन्त तक चालू होने की आशा है । अखबारी कागज और अन्य किस्मों के कागज का निर्माण करने के लिए बहुत सी अन्य योजनाओं को आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

(ख) वर्ष 1975 के लिए अखबारी कागज की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता का अनुमान 2.50 लाख मी० टन लगाया गया है। जहां तक सफेद कागज का संबंध है, वर्ष 1975 के लिए 1.80 लाख मी० टन की अनुमानित आवश्यकता देशी उत्पादन से पूरी की गई है। सामान्य किस्मों के कागज के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। केवल कुछ विशेष किस्म के कागजों के आयात की अनुमति दी जाती है। पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित आयात किया गया है।

1972–73	9.96 करोड़ रु०
1973–74	10.15 करोड़ रु०
1974–75	12.87 करोड़ रु०

(ग) जिन योजनाओं के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं, सरकार उनकी प्रगति की समीक्षा कर रही है ताकि अड़चनों का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। छोटे तथा मझोले उद्यमियों द्वारा कृषि अविशिष्ट से कागज का निर्माण लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है शर्त यह है कि मशीनों के आयात या विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ द्वारा विकसित उपकरण

976. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेन्ट्स आर्गेनाइजेशन, चड़ीगढ ने कुछ आधुनिक किस्म के उपकरणों का विकास किया है, ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी. एस. आई. ओ.) चण्डीगढ द्वारा बहुत से उपकरण प्रारम्भ से ही विकसित किए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान निम्मलिखित जटिल उपकरण संगठन द्वारा विकसित किए गए हैं।

1- बी सी स्केन्नर

2- मन्की चैम्बर

3- इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्ड

4- पेटेन्ट मोनी टरिंग सिस्टम

5- डी जी टल मैजरिंग इन्स्ट्रूमेन्ट्स (डी जी एलटी मीटर), फ्री क्वेन्सी मीटर, पैनल मीटर और डिजीटल क्लोक)

6- प्रोसेस कन्ट्रोल इन्ट्रूमेन्ट्स (डी जिटल पी एच मीटर, फोमलैवल कन्ट्रोलर और पी एच कन्ट्रोलर और बाटल एनालेसि-किट, ओकसीजन एनलाइसंस) डिजोल्वड सहित)

7- ओपथैलमोमीटर।

सलाल पनबिजली परियोजना का निर्माण कार्य

977. **डा० के० एल० राव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सलाल पनबिजली परियोजना कब शुरु की गई थी;

(ख) इस परियोजना को कब तक चालू कर दिया जाएगा ; और

(ग) सरकार का विचार इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही करने का है ?

उर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जम्मू और कशमीर में सलाल जल विद्युत परियोजना कार्यान्वियन के लिए 1970 में हाथ में ली गई थी।

(ख) आशा की जाती है कि परियोजना का पहला यूनिट 1982 की पहली तिमाही में कार्यरभ कर देगा।

(ग) योजना सूची के अनुसार, इस परियोजना से छठी योजना में लाभ प्राप्त होने हैं। कार्य को प्रगति की समीक्षा समय समय पर की जाती है और उपलब्ध साधनों से परियोजना को यथा शीघ्र पूरा करने के लिए जहां भी आवशयक होता है, समुचित कार्यवाही की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना

978. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विदयूततीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदश में वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए मंजूर की गई ग्रामीण विदयूतीकरण संबंधी योजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक पर कितनी लागत आयगी।

(ख) इन परियोजनओं में से प्रत्येक के पुरा होने को लक्ष्य तिथि क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर कितने गांवों में बिजशी लग जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विदयुतीकरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 1975-76 के दौरान अब तक हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड की 4ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं कुल 2.39 करोड़ रुपये ऋण सहायता के लिए स्वीकृत की हैं। इन योजनाओं का विवरण उपाबंध में दिया है।

वर्ष 1975-76 की शेष अवधि में और 1976-77 में और योजनाओं की स्वीकृति देना इस बात पर निर्भर होगा कि राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कितनी योजनाओं प्रायोजित की जाती है और अपने निर्धारित मानदण्डों और निदेशी सिद्धान्तों के अनुसार निगम द्वारा कितनी योजनाऐं अनुमोदित की जाती हैं।

(ख) स्वीकृत की गई उक्त योजनाएं 1979-80 में पूरी की जानी हैं।

(ग) आशा है कि उपर्युक्त योजनाएं पूरी हो जाने पर 1432 गांवों को बिजली मिलने लगेगी।

विवरण

हिमाचल प्रदेश की ग्राम विद्युतीकरण की उन योजनाओं का विवरण जो ग्राम विद्युतीकरण निगम ने वर्ष 1975–76 के दौरान अनुमोदित कीं ।

क्रम सं०	योजना का नाम	गांवों की संख्या	पम्पसेटों की संख्या	लघु उद्योगों की संख्या	घरेलू/ वाणिज्यिक कनैक्शनों की संख्या	मंजूर किए गए ऋण की रकम (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	हमीरपुर जिले के सुजानपुर और नादौन खंड	442	46	88	4722	57.806
2.	मन्डी जिले के गोपालपुर और धरमपुर खंड	439	41	97	6235	68.970
3.	मन्डी जिले का मन्डी खंड	342	6	62	7067	66.049
4.	सिरमौर जिले के नाहन और रेणुका खंड	209	12	41	3150	46.390
	जोड़	1432	105	288	21174	239.215

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

979. **श्री धामनकर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 में महाराष्ट्र राज्य को विद्युतीकरण के लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और अब तक इस कार्य पर कितनी वास्तविक राशि व्यय की गई ;

(ख) उक्त योजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ; और

(ग) वर्ष 1976–77 में महाराष्ट्र राज्य में कितनी योजनाएं आरम्भ की जायेंगी और उनके लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितने परिव्यय की मंजूरी दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने 1975–76 के दौरान अब तक महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की कुल 4.97 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वाली ग्यारह ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की हैं । इन योजनाओं से 906 ग्रामों में 7784 पम्पसेटों और 537 लघु उद्योगों को बिजली मिलेगी ।

ये योजनाऐं 5 वर्ष की अवधि में विभिन्न चरणों में पूरी की जाएंगी । निगम द्वारा स्वीकृत की गई ऋण की राशि का भुगतान भी किस्तों में किया जाएगा । उपर्युक्त योजनाओं के लिए 1.79 करोड़ रुपये की पहले वर्ष की किस्तों का भुगतान चालू वित्त वर्ष में किया जाना है । इन योजनाओं पर कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ग) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को 1976–77 के लिए ऋण-सहायता देने की बात उस राज्य द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या पर तथा अपने निर्धारित मानदण्डों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इन योजनाओं का अनुमोदन निगम द्वारा किए जाने पर निर्भर होगी। महाराष्ट्र का ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी 1976–77 का परिव्यय अभी अन्तिम रूप से तय नहीं हुआ है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

980. श्री एस० एम० सिद्धया क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 और 1975–76 में अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये कर्नाटक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि छात्रवृत्तियां प्रदान करने में विलम्ब के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयां हो रही हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) किया गया आवंटन इस प्रकार है :—

	1974–75	1975–76
	(लाख रुपयों में)	
अनुसूचित जातियां	50.00	72.48
अनुसूचित जन जातियां	1.00	1.30
कुल जोड़	51.00	73.78

(1975–76 के बारे में आंकड़े अनन्तिम हैं और वित्त वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार से वास्तविक मांगों की प्राप्ति के बाद अन्तिम रूप दिया जाएगा)

(ख) विलम्ब से बचने के लिये, 1975–76 से कर्नाटक सरकार ने मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां मंजूर करने की शक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारियों को प्रदान कर दी है।

Percentage fall in the Prices of Sugar, Vegetable Oil and Cement during Emergency

981. Dr. Laxminarayan Pandey :Will the Minister of Industry and Civil Supplies: be pleased to state the percentage fall in the prices of sugar, vegetable oil and cement during the period of present emergency in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A. C. George) : As regards sugar, the wholesale price index has fallen by about 6% during the period of the present Emergency. As regards retail prices, there has been no change in respect of levy sugar. As regards levy free sugar in the open market, the fall in retail prices has ranged between 2% to 17% in various States.

As regards vegetable oils, the wholesale price index has fallen by about 24%. As regards retail prices the fall has ranged between 27% and 40% in the case of ground-nut oil, 9% to 19% in the case of gingely oil, 3 to 20% in the case of coconut oil and 3% to 25% in the case of mustard oil in different consuming centres in the country.

As regards cement, the wholesale price index has registered a marginal increase of about 1%

फैजाबाद के एक स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन दिया जाना

982. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद के श्री रामअनुज पांडे के पुत्र श्री राम शबद पांडे स्वतंत्रता सेनानी को ताम्रपत्र दिया गया था;

(ख) क्या उनकी पेंशन के मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ग) उन्हें कब तक पेंशन दिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) श्री राम शबद पाण्डेय को केन्द्र सरकार द्वारा ताम्रपत्र प्रदान नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किये जाने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन में रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). उनके पेंशन के मामले को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक यातना के समर्थन में लिखित प्रमाण नहीं भेजा है। उनसे और राज्य सरकार से उनके दावे के समर्थन में आवश्यक लिखित प्रमाण भेजने के लिये अनुरोध किया गया है ताकि उनका मामला जहां तक संभव हो शीघ्र तय किया जा सके।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अपराध के मामलों में वृद्धि

983. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) अपराध रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में जुलाई से दिसम्बर, 1975 तक की अवधि में सूचित किये गये अपराध के मामलों में 1974 की इसी अवधि के मुकाबले मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) राज्य सरकार ने अपराधों को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :--

1. मार्गों पर निगरानी रखने के लिये सामरिक महत्व के ठिकानों पर वायरलेस लगी गश्ती गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।
2. सभी महत्वपूर्ण तथा अधिक यातायात वाले मार्गों पर वाहन आवागमन की कानवाई पद्धति आरम्भ की गई है। कानवाई सशस्त्र व्यक्तियों के संरक्षण में जाती है।
3. निरन्तर जांच करने के लिये रोडवेज बस अड्डों तथा रेलवे स्टेशनों पर प्रासंगिक पहरे (पिकेटस) की व्यवस्था की जाती है।

4. संदिग्ध वाहनों की रात दिन जांच करने के लिये राजमार्गों पर बैरियर तथा चौकियां स्थापित की गई हैं।

5. महत्वपर्ण स्थानों पर रात की गश्त के लिये अस्थायी बाहरी चौकियां बनाई गई हैं।

6. सड़क रोककर लूटमार करने के मामलों की जांच पड़ताल के लिये विशेष दस्ते गठित किये गये हैं।

7. विशेष अपराध विरोधी अभियानों की व्यवस्था की जा रही है।

8. सिद्धहस्त गुण्डे नजरबन्द किये जा रहे हैं।

9. अवांछनीय व्यक्तियों की जिन पर अपराधियों की सहायता करने अथवा अपराध करने का सन्देह है, बन्दूकों के लाइसेंसों की जांच की जा रही है तथा स्थगित किये जा रहे हैं।

चीन द्वारा बढ़िया हथियारों तथा प्रक्षेपणास्त्रों की खरीद

84. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समाचार की जानकारी है कि चीन ने अभी पश्चिम से अद्यतन राडार, हवा से हवा में मार करने वाले नवीनतम माडल के प्रक्षेपणास्त्र तथा आधुनिकतम इलैक्ट्रानिक्स तथा संगणकों की अन्य किस्में और सही दिशा में मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र खरीदे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सरकार ने ऐसे समाचार देखे हैं।

(ख) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली इन और सम्बन्धित गतिविधियों को हमारी रक्षा योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आपात स्थिति से पूर्व और बाद में दिये गये विज्ञापन

985. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के गत छः महीनों में विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों, साप्ताहिक पत्रों तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं को उनके मंत्रालय द्वारा कितने रुपयों के मूल्य के विज्ञापन दिये गये; और

(ख) आपात् स्थिति के पूर्व के छः महीनों में उन्हें कितने विज्ञापन दिये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जुलाई–दिसम्बर, 1975 की अवधि के दौरान समाचार-पत्रों और नियतकालिक पत्रों को एक करोड़ 9 लाख रुपये के मूल्य के विज्ञापन जारी किये गये हैं।

(ख) जनवरी–जून, 1975 की अवधि के दौरान 54 लाख 44 हजार रुपये के मूल्य के विज्ञापन जारी किये गये थे।

भारतीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा निर्माण

986. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा किये गये निर्माण के बारे में सरकार को पता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

हंगरी को कोक भट्टी संयंत्र बेचने का प्रस्ताव

987. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी को कोक भट्टी संयंत्र बेचने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर हंगरी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर अभी भी इंजीनियरिंग प्रोजक्ट्स (इंडिया) और हंगरी के मैसर्स नाइकेक्स के बीच बातचीत चल रही है।

Sale of Paper by Nepa Mills

988 **Dr. Laxminarayan Pandeya**:

Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether the National News- print and Paper Mills, Ltd. Nepanagar sold 10,000 tonnes of paper in 1974-75 in Delhi, Bombay and Kanpur at the rate of Rs. 1350/- per tonne;

(b) whether the Chairman of the Mills had the information that the price of paper was going to be Rs.1850 per tonne in the near future;

(c) whether this resulted in loss to the tune of lakhs of rupees and a complaint to this effect had also been made; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES, (Shri B.P. Maurya) :

(a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

पाइप लाइन द्वारा 'सीवेज गैस' की सप्लाई की योजना

989. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने प्रारम्भ में 100 घरों को पाइपलाइन द्वारा 'सीवेज गैस' सप्लाई करने की योजना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) और (ख). दिल्ली में ओखला सीवेज वर्क्स के सीवेज संयंत्र से 4 किलोमीटर की दूरी के अन्दर रहने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सीवेज गैस

...

की सप्लाई के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। परियोजना पर 148 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है और इसका विकास दो चरणों में किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 1000 घरों को गैस का वितरण करने की योजना है और दूसरे चरण में सप्लाई बढ़ाकर कुल 10,000 घरों को सप्लाई करने का प्रस्ताव है। आशा की जाती है कि परियोजना का अनुमोदन किये जाने के बाद दो वर्षों में यह पूरी हो जायेगी।

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

990. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०बी०एम० और फायरस्टोन ने सरकार को सूचना दी है कि वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और उसके अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार विदेशी पूंजी के अंश का अनुपात कम नहीं करेंगे; और

(ख) क्या इलैक्ट्रोनिक्स निगम ने यह सिफारिश की है कि आई०बी०एम० से अपना कार्य समाप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए ?

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) रिजर्व बैंक आफ इंण्डिया ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) (क) और (ग) के अधीन मै० आई०बी०एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन को अपने कार्यकलाप जारी रखने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर अनुमति दी है कि अनुमति प्राप्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर ही कम्पनी की भारतीय शाखा 40 प्रतिशत से अधिक को गैर आवासीय भारतीय कम्पनी में बदल दी जायेगी। उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ही रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने आशयपत्र भी मै० फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कं० को अपने कार्यकलाप जारी रखने हेतु अन्य बातों के साथ साथ इस शर्त पर अनुमति दे दी है कि अनुमति प्राप्ति की 2 वर्षों की अवधि के भीतर ही गैर आवासीय कम्पनी की पूंजी अर्थ-व्यवस्था घटाकर 40 प्रतिशत तक कर दी जायेगी। आशय पत्रों के उत्तर में रिजर्व बैंक को दोनों कम्पनियों ने कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं। ये अभ्यावेदन अभी रिजर्व बैंक के विचाराधीन हैं।

(ख) जी, नहीं।

तल्चर, उड़ीसा में कोक प्लांट

991. **श्री जगन्नाथ राव मिश्र** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तल्चर, उड़ीसा में प्रस्तावित कोक प्लांट के लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : तालचर के प्रस्तावित फार्म्ड कोक प्लांट के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 3.5 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

कागज उद्योग में ईरान से पूंजी निवेश

992. **श्री मधु दंडवते :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ईरान ने भारत में कागज उद्योग में धन लगाने और तैयार माल को खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : भारत और ईरान सरकारों में ईरान की आवश्यक व यथासंभव वित्तीय सहायता से कागज उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिए दोनों देशों में सहयोग संबंधी बातचीत हुई हैं।

हरिजनों तथा आदिवासियों के पुनर्वास के लिये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

993. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में हरिजनों तथा आदिवासियों के पुनर्वास के लिये कोई ठोस कार्य आरम्भ नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में हरिजनों और आदिवासियों के पुनर्वास के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मकान बनाने के लिये सहायता अनुदान देने की योजना आरम्भ की है। इस कार्य के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 30 लाख और 4 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। राज्य सरकार ने अन्य उपाय भी आरम्भ किये हैं जैसे बन्धक मजदूर उन्मूलन, ग्रामीण ऋणों की वसूली का अधिस्थगन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन कृषि मजदूरों को कानूनी सलाह प्रदान करने के लिये जिलास्तर पर कानूनी सहायता समितियों की स्थापना आदि।

त्रिसूली पनबिजली परियोजना के जलाशय की दीवार का गिरना

994. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिसूली पनबिजली परियोजना के, भारतीय संसाधनों द्वारा निर्मित गाद-निकासी टैंक के जलाशय की दीवार के गिर जाने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो दीवार गिरने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मई, 1975 में त्रिसूली परियोजना के गाद-निकासी टैंक के परीक्षण के दौरान तटबंध का 40 फुट भाग अन्दर की ओर धंस गया था। प्राकृतिक टीलों की पोली जगहों में से पानी रिसने के कारण यह भाग धंस गया था। यह क्षति बहुत हल्के किस्म की थी और इसकी शीघ्र ही मरम्मत कर दी गई थी और तब से उक्त गाद-निकासी टैंक सफलतापूर्वक काम कर रहा है।

Availability of Drinking water in Villages under Minimum Needs Programm e

995. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the number of villages in each State where drinkirg water is not available even row; and

(b) the time by which drinking water will be made available to them under the minimum needs programme?

The Minister of state in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) : (a) As per assessment made in 1972-73 by the Centrally sponsored Special Investigation Division, number of villages in each State not covered by protected drinking water supply is indicated in the statement enclosed.

(b) Efforts are being made to cover most of the villages in the minimum possible time but no date line can be fixed because it will depend on the availability of resources, financial, manpower and material for the purpose.

Statement

Number of villages in various States where protected drinking water supply is not available

State		
1. Andhra Pradesh	16875	
2. Assam	19982	
3. Bihar	67665	
4. Gujarat	18584	
5. Haryana	6068	
6. Himachal Pradesh	14083	
7. Jammu & Kashmir	5701	
8. Karnataka	22974	
9. Kerala	788	
10. Madhya Pradesh	63723	
11. Maharashtra	35229	
12. Manipur	1866	
13. Meghalaya	4360	
14. Nagaland	814	
15. Orissa	38905	
16. Punjab	10621	
17. Rajasthan	31985	
18. Sikkim	*	*About half of the rural areas have been provided with drinking water facilities.
19. Tamil Nadu	13212	
20. Tripura	4720	
21. Uttar Pradesh	103809	
22. West Bengal	38530	

समाचारपत्रों पर से पूर्व सेंसर का हटाया जाना

996. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों पर लगा पूर्व सेंसर हटा लिया गया है; और

(ख) क्या इस बारे में अनुदेश जारी किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। सरकार द्वारा 26 जून, 1975 को जारी किया गया पूर्व सेंसरशिप आदेश लागू है। तथापि, समाचार पत्रों को इस स्पष्ट धारणा के आधार पर पूर्व सेंसरशिप से छूट दी गई थी कि वे स्वतः नियमन से काम लेंगे और सेंसरशिप आदेश के किसी भी उल्लंघन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों द्वारा सेंसरशिप विनियमों का पालन किये जाने में उनकी सहायता के लिये मुख्य सेंसर ने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं।

देश में कोयले पर आधारित विद्युत् क्षेत्र

997. **श्री पी० गंगादेव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में 1976–77 में बिजली की अधिक उत्पादन की सम्भावना हैं ।

(ख) यदि हां, तो यह सुधार किन कारणों से संभव हो सका है; और

(ग) सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर कोयले पर आधारित विद्युत् क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1976-77 में विद्युत् का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में अच्छा होने की संभावना है बशर्ते कि 1976–77 में मानसून से वर्षा सामान्य हो, क्योंकि जल-विद्युत् केन्द्रों का कार्य मानसून वर्षा पर निर्भर है।

(ख) और (ग). अन्य उपायों के साथ साथ निम्नलिखित उपायों से देश में विद्युत् की सप्लाई की स्थिति में, कुल मिलाकर, सुधार हुआ है :—

(1) प्रचालन और रख-रखाव के कार्य का अच्छी तरह निर्देशन करने से ताप-विद्युत् उत्पादन क्षमता के उपयोग में सुधार।

(2) विभिन्न ताप-विद्युत् केन्द्रों को कोयले की पूर्ति के लिए सुनिश्चित प्राप्ति स्थानों की व्यवस्था करके कोयला परिवहन व्यवस्था का युक्तिकरण।

(3) प्रचालन और रख-रखाव करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण, रख-रखाव की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण तथा ताप-विद्युत् केन्द्रों के प्रबंधकार्य में सुधार और अतिरिक्त पुर्जों को प्राप्त करने और पर्याप्त मात्रा में इनका स्टाक रखने की स्थिति में सुधार।

(4) 1974–75 के दौरान 1720 मेगावाट की तथा 1975–76 के दौरान लगभग 2000 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता का प्रतिष्ठापन।

औद्योगिक एककों में उपयोग के लिये सूर्य ऊर्जा का उत्पादन

998. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि औद्योगिक एककों में उपयोग के लिये सूर्य ऊर्जा के उत्पादन के सम्बंध में अनुसंधान किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी परियोजनाओं के लिये कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्य किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). सूर्य ऊर्जा के उपयोग के लिए उपकरणों के विकास के सम्बंध में एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। मेसर्ज़ बीएचईएल, सी०ई०एल०, अमूल डेरी, टीईआरआई तथा ज्योति लिमिटेड जैसे संगठन भी सौर ऊर्जा के उपयोग संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों को अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए धन दिया जा रहा है। जहां भी अपेक्षित होता है और आवश्यक समझा जाता है, वहीं तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है और धन जुटाया जाता है।

प्रौद्योगिकी का आयात

999. **श्री एच० एन० मुखर्जी**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगपतियों को प्रौद्योगिकी का आयात न करने की चेतावनी दी है और उन्हें कहा है कि वे देश में विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग करें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या पग उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) एवं (ख). प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनशील रही है। प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों में अनुसंधान एवं विकास के महत्व को निरन्तर मान्यता दी है। विदेशी पूंजी-निवेश तथा सहयोग को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र में तथा उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखा जाता है जहां देश के भीतर देशीय तकनीकी जानकारी का पर्याप्त रूप से विकास हो चुका है। फिर भी, यदि निर्यात की गारंटी दी जायेगी और ऐसे निर्यात के लिए उचित संभावनाएं होंगी, तो प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

जहां तक एम०आर०टी०पी० अधिनियम के क्षेत्राधिकार में न आने वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा विदेशी कम्पनियों (जैसा कि एफ०ई०आर०ए० के अन्तर्गत पारिभाषित हैं) का सम्बन्ध है, उन्हें अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों द्वारा उपलब्ध परिणामों के आधार पर उत्पादन क्षमता स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इन उपक्रमों को अपने ही अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता के लिए वर्तमान सांविधिक व्यवस्थाओं के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने होंगे, ऐसे आवेदनों को सामान्य रूप से अनुमति प्रदान कर दी जायेगी।

एम०ई०टी०पी० तथा विदेशी कम्पनियों के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है जिससे कि वे अपने द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी हेतु लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकें।

औद्योगिक लाइसेंसों पर पुनर्विचार

1000. **श्री धामनकर** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लघु उद्योगों की गणना करने के परिणामस्वरूप अनेक जाली एककों के पता लगने पर बड़े एककों को दिये गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों की भी उसी प्रकार जांच करने के बारे में विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंसों की क्रियान्विति की संवीक्षा सम्बन्धित प्रशासकीय मंत्रालय/तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। लाइसेंस जारी होने की तारीख से औद्योगिक उपक्रम में उत्पादन प्रारम्भ होने तक औद्योगिक लाइसेंस धारी उद्यमकर्ताओं को प्रत्येक छमाही में 30 जून, और 31 दिसम्बर की समाप्ति पर एक महीने के भीतर ही रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंसिंग अन्डरटेकिंग्स रूल्स, 1952 के नियम 19 के अधीन विहित 'जी' फार्म में एक विवरणी देनी पड़ती है। यदि अनुमति प्रदान किये गये समय के भीतर औद्योगिक लाइसेंस की क्रियान्विति की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी तो सम्बन्धित मंत्रालय लाइसेंस का प्रतिसंहरण करने के लिये कदम उठा सकता है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1956 की धारा 12 के अधीन यदि बिना युक्तिसंगत कारणों के लाइसस धारी विहित समय में स्थापना करने या स्थापना करने के लिये प्रभावी कदम उठाने में असफल रहता है तो सरकार औद्योगिक लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर सकती है।

टेलीविजन पर वाणिज्यिक प्रसारण प्रारम्भ करना

1001. **श्री धामनकर**: क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टैलीविजन पर वाणिज्यिक प्रसारण प्रारम्भ करने के बारे में व्यापारियों और वाणिज्यिक फर्मों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) टैलीविजन केन्द्रों को इस से कितनी आय होने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपराज्य मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

(ख) अभी कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि टेलीविजन पर वाणिज्यिक प्रसारण पहली जनवरी, 1976 से ही आरम्भ हुआ है।

ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत्रों से लाभ उठाने का प्रस्ताव

1002. **श्री धामनकर** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संकट को दूर करने के लिये ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों जैसे सौर, भूतापीय ज्वार तथा वायु कोयले से संश्लिष्ट तेल और गैसीकरण से लाभ उठाने का कुछ प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) और (ख). ऊर्जा प्राप्ति के परम्परागत साधनों से इतर विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करने की दिशा में नीचे लिखे अनुसार कार्यवाही की गई है :—

1. **सौर ऊर्जा** : पिछले दो वर्षों में विभिन्न केन्द्रों में सौर ऊर्जा पर अनुसन्धान और विकास कार्य आरम्भ किया गया है। यह कार्य मुख्यतया नीचे लिखे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किए जाने के बारे में किया जा रहा है :—

   (1) सिंचाई पम्पों के लिए

   (2) वाटर हीटर, कुकर और भट्टियों के लिए

   (3) स्पेस हीटिंग के लिए

   (4) अनाज और अन्य कृषि और वन उत्पादों को सुखाने के लिए

   (5) पानी में से नमक अलग करने वाले आसवन गृहों के लिए

   (6) शीतलन और रेफ्रिजरेशन के लिए

   (7) बिजली उत्पादन के लिए

2. **भू-तापीय ऊर्जा** : (1) भू-तापीय विद्युत के अनुसन्धान और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से एक परियोजना हाथ में ली गई है।

   (2) जम्मू और कश्मीर में पुगा में एक मार्गदर्शी भू-तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक परियोजना तैयार की गई है ।

   (3) देश में भू-तापीय ऊर्जा का विकास करने और उसका उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक भू-तापीय ऊर्जा समन्वय समिति गठित की गई है।

3. **ज्वार विद्युत** : ज्वार शक्ति विकसित करने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में एक विशेषज्ञ ने हाल ही में इस देश की यात्रा की थी। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की परीक्षा करने के बाद आगे कार्रवाई की जायेगी।

4. **पवन विद्युत** : आड़ी धुरी वाली पवन चक्कियों की डिजाइन बनाई जा रही है और इनका ढांचा तैयार किया जा रहा है। इस वर्ष के अन्त तक इनका प्रयोग विभिन्न राज्यों में किया जाएगा। खड़ी धुरी वाली पवन चक्कियों के बारे में भी अनुसन्धान और विकास कार्य चल रहा है।

5. **कोयले से कृत्रिम तेल** : कोयले को तेल में बदलने की उद्योग विद्या की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की गई है।

6. **कोयले का गैसीकरण** : मुख्यतया, कोयले से हल्के बी०टी०यू० गैस का उत्पादन किए जाने के सम्बन्ध में काम चल रहा है। कलकत्ता के पास धानकुनी में और आंध्र प्रदेश में रामाकृष्णापुर में एक-एक निम्न ताप कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने के बारे में भी फैसला किया गया है। धानकुनी के संयंत्र से औद्योगिक और घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस का उत्पादन भी किया जाएगा। कोयले से चलने वाले तीन उर्वरक संयंत्रों का काम भी हाथ में ले लिया गया है। ये संयंत्र कूपर्स की कोयला गैसीकरण प्रक्रिया पर आधारित हैं। इन संयंत्रों में से दो संयंत्रों में अर्थात् तलचर संयंत्र में और रामागुण्डम संयंत्र में निर्माण कार्य बहुत आगे पहुंच चुका है।

पाँचवीं योजना में विद्युत यूनिटों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

1003. **डा० के० एल० राव** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की ऐसी विद्युत परियोजनाएं उनकी मात्रा सहित, कौन-कौन सी हैं जिन पर पांचवीं योजना में भी कार्य होना है।

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं के कब तक चालू हो जाने की आशा है ; और

(ग) चौथी योजना का विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, जिन पर पांचवीं योजना में कार्य हो रहा है, पांचवीं योजना में विद्युत यूनिटों के लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां क्या होंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). चौथी योजना की अवधि में लगभग 9.23 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता की प्रतिष्ठापना की योजना बनाई गई थी, जिसमें से 5.03 मिलियन किलोवाट की क्षमता को पांचवीं योजना में लाया गया था। वर्ष 1974–75 पांचवीं योजना का प्रथम वर्ष था। वर्ष 1974–75 के दौरान और 1975–76 में अब तक क्रमशः 1.72 मिलियन किलोवाट और लगभग 1 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता चालू कर दी गई है। चौथी योजना की शेष परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

2. पांचवीं योजना की रूप-रेखा में योजनावधि के दौरान कुल 16.55 मिलियन किलोवाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित करने की परिकल्पना की गई थी। चौथी योजना की परियोजनाएं पूरी होने पर उपलब्ध होने वाली क्षमता भी इसमें शामिल है। उक्त उत्पादन क्षमता में से लगभग 11.4 मिलियन किलोवाट तक की क्षमता की वृद्धि पांचवीं योजना की रूप-रेखा में सम्मिलित नई परियोजनाएं कर देंगी। उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए, इन योजनाओं में से कई योजनाएं प्रारम्भ कर दी गई है।

तापीय संयंत्रों का कार्य

1004. **डा० के० एल० राव** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे तापीय केन्द्र कौन-कौन से हैं जहां मशीन प्रतिवर्ष 4000 किलोवाट प्रति घण्टा अथवा इससे कम कार्य करती है ; और

(ख) इसके क्या करण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1974-75 में ऊर्जा का जो उत्पादन हुआ उसके आधार पर उन ताप-विद्युत केन्द्रों के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें 4000 यूनिट/किलोवाट से कम उत्पादन हुआ :—

क्रम सं०	केन्द्र का नाम	कारण
1.	राजघाट (दिल्ली)	सेटों का पुराना होना, बायलरों का जीर्णोद्धार करना। डा ों में फायर ब्रिकों संबंधी मरम्मत का लम्बा काम इसमें शामिल था।
2.	एन्नोर (तमिलनाडु)	बायलर के सहायक साधनों का बारम्बार खराब हो जाना, बायलर में धातुमल जमा होना, ट्यूबें लीक होने के कारण मजदूरी में बायलरों का उपयोग न किया जा सकना, एक जेनरेटर ट्रांसफारमर में आग लगना।
3.	बेसिन ब्रिज (तमिलनाडु)	यह एक पुराना विद्युत केन्द्र है। इसके कूलिंग टावर को बदला जा रहा है। जो कूलिंग टावर है उसकी क्षमता आधी रह गई है, इस कारण इस केन्द्र से विद्युत उत्पादन कम हो रहा है।
4.	पतरातू (बिहार)	टर्बो जेनरेटर रोटर मरम्मत के लिए जाने के कारण 50 मेगावाट के एक सेट का उपलब्ध न होना, और टर्बाइन के ब्लेडों में सिलिका के जमा होने के कारण अन्य सेटों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन में कमी आना। बायलर की ट्यूब लीक होने के कारण मजबूरी में यूनिटों का बार बार बन्द किया जाना, बायलर में धातुमल जमा होना, मजबूरी में और व्यवस्थानुसार काम बन्द किए जाने के बाद पुनः कार्यरत होने में अत्यधिक समय लगना।
5.	दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम)	कोयला मिलों के जीर्णोद्धार के कारण लम्बे समय तक काम बन्द रहना।
6.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	केवल खाई में आग लग जाना और कुछ सेटों में ब्लेड सम्बन्धी खराबियां (इन्हें अब सुधार लिया गया है) और अधिक मांग के समय से इतर समय में कम मांग होना।

7.	तलचर (उड़ीसा)	इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर की खराबी, बायलर की क्षमता में कमी क्योंकि जब भी मिल की रिंग या वाल बदली जाती है तब कोई अतिरिक्त कोयला मिल उपलब्ध नहीं रहता। आई०डी० फैन में बार-बार खराबी, बायलर भट्ठी में कई विस्फोटों का होना और मजबूरी में या व्यवस्थानुसार काम न लिया जा सकना।
8.	नेवेली	लिग्नाइट उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन में कमी हुई। यूनिट नं० 2 में आग दुर्घटना हुई थी।

आपात स्थिति की घोषणा के बाद संगठनों पर प्रतिबन्ध

1005. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद किन-किन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाये गये ; और

(ख) क्या इनमें से किसी संगठन की सम्पत्ति और निधि जब्त की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 3 और 4 जुलाई, 1975 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में जारी की गई अधिसूचनाओं में केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारत की आन्तरिक सुरक्षा एवं रक्षा नियम 1971 के नियम 33 के उप-नियम (1) देश में कुछ संगठनों, जिनकी एक सूची संलग्न है, पर लागू होगा।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा, जो इन संगठनों की सम्पत्ति और धन के बारे में कार्यवाही करने के लिये सक्षम हैं, जहां आवश्यक है, भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं रक्षा नियम 1971 के नियम 33 के उपबन्धों के अधीन उचित कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

1. आनन्द मार्ग
2. प्रोटिस्ट फोरम आफ इण्डिया।
3. प्रोटिस्ट ब्लाक आफ इण्डिया।
4. विश्वसंक्रांति सेवा जिसे वोलिन्टियर सोशल सर्विस भी कहा जाता है।
5. सेवा धर्म मिशन।
6. एजुकेशन रिलीफ एण्ड वेलफेयर सेक्शन।
7. प्रगतिशील भोजपुरी समाज।
8. आंगिक समाज।
9. बघेलखण्ड समाज

10. यूनिवर्सल प्रौटिस्ट लेबर फेडरेशन।
11. यूनिवर्सल प्रौटिस्ट स्टुडेन्ट्स फडरेशन।
12. रेनेसन्स यूनिवर्सल क्लब।
13. रेनेसन्स आर्टिस्ट एण्ड राईटर्स एसोसिएशन।
14. आनन्द मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम।
15. कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिन वादी) (चारू मजूमदारग्रुप--प्रो लिन पिआओ सेक्शन)।
16. कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी--लेनिन वादी) (चारू मजूमदार ग्रुप--एण्टी लिन पिआओ सेक्शन)।
17. युनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिन वादी) (एस०एन० सिंह--चन्द्र पूल्ला रेड्डी ग्रुप)।
18. दी आन्ध्र प्रदेश कम्यूनिस्ट कमेटी (क्रांतिकारी) (टी० नागी रेड्डी ग्रुप)।
19. कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिन वादी) (सुनीति घोष--शर्मा सेक्शन)।
20. इस्टर्न इण्डिया जोनल कन्सोलिडेशन कमेटी आफ दी कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिन वादी)।
21. दी माओस्ट कम्यूनिस्ट सेन्टर।
22. दी मुक्ति युद्ध ग्रुप।
23. यूनिटी सेन्टर आफ कम्यूनिस्ट रेवोल्यूशनरिज़ आफ इण्डिया (मार्क्सवादी-लेनिन वादी)।
24. सेन्टर आफ इण्डियन कम्यूनिस्ट्स।
25. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ।
26. जमाते इस्लामे हिन्द।
27. जमाते इस्लामे जम्मू एण्ड कश्मीर।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विकास के लिये भारत और कनाडा के बीच सहयोग न किया जाना

1006. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भारत में परमाणु ऊर्जा सयंत्रों के विकास में भारत को सहयोग देने से इनकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): (क) तथा (ख) : नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग से सम्बन्धित बातचीत भारत तथा कनाडा के बीच अभी चल रही है।

Violation of Censorship by News papers

1007. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of newspapers in the country which violated censorship after its enforcement in June, 1975; and

(b) the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) 272

(b) Action was taken according to the requirements of a case. This consisted of oral warning, written warning, withdrawal of exemption from pre-censorship, seizure of copies, seizure of printing press, order to make security deposit or, in extreme cases, prosecution in a court of law.

Progress in setting up of T.V. Centre at Patna

1008. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the television Centre in Patna would start functioning by 1976-77 as scheduled; and

(b) the work completed so far in connection with the setting up of Centre?

The Deputy Minister in the Minisrty of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) & (b). The proposal to set up a TV transmitting Centre at Patna will be taken up on availability of resources.

सहकारी समितियों द्वारा विपणन कार्य में कमी

1009. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या उद्योग और नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों द्वारा दिय जाने वाले कृषि ऋण और विपणन कार्य में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सहकारी समितियों द्वारा ग्रमीण क्षेत्रों म भारी लागत पर निर्मित मूलभूत ढांचे की आर्थिक क्षमता को बनाये रखन के लिये मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). सहकारी सोसायटियों के सभी प्रकार के विपणन कार्यों में कोई कमी नहीं हुई है। वास्तव में, सहकारी सोसायटियों ने कृषि उपज का जो विपणन किया उसका मूल्य जून, 1973 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में 922 करोड़ रुपये से बढ़ कर जून, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में लगभग 1215 करोड़ रुपये हो गया है। तथापि, कुछ राज्यों में गहूं के बारे में भारी कमी हुई है। इसका कारण यह है कि सहकारी सोसायटियों की वसूली का अपर्याप्त कार्य दिया गया। सहकारी सोसायटियो द्वारा निर्मित आधार-ढांचे का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिये विपणन सहकारी सोसायटियों को अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, सम्बन्धित राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सहकारी सोसायटियों को वसूली कार्य में पर्याप्त भूमिका दें।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

1010. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान तथा विकास निगम को सौंपने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाये ।

(ख) क्या करोड़ों रुपये कमाने वाले बड़े-बड़े उद्योग-अनुसन्धान एवं विकास पर कोई धनराशि खर्च नहीं करते; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने हेतु औद्योगिक विकास को राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के साथ सम्बद्ध करने के लिये तीन ठोस कदम उठाये गए हैं । ये कदम हैं --(1) एन आर डी सी के माध्यम से उद्योग को, देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य अनुसन्धान संस्थाओं में विकसित जानकारी के लाइसेंस प्रदान करना (2) देश में चुने हुये क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अन्तराल को भरने के लिए, उद्योग के सहयोग से विकासपरक परियोजनाओं का प्रतिष्ठान (3) देश में पहली बार एन आर डी सी जानकारी के अवशोषण के लिए विशेष रूप से स्थापित नई कम्पनियों की इक्विटी पूंजी में साझेदारी ।

तथापि, इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता का अभिप्राय पूर्ण प्रौद्योगिकी स्वतन्त्रता नहीं है । विदेशों के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ सम्बद्ध रहने के साथ साथ हमारा लक्ष्य वास्तव में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं को उन्नत बनाना है ।

(ख) उद्योगों द्वारा अनुसन्धान एवं विकास में निवेश सामान्यतः उनकी उत्पादन उपलब्धि के अनुरूप नहीं किया जा रहा है ।

(ग) सरकार उद्योगों को (1) वैज्ञानिक अनुसन्धान पर किए गये व्यय पर, आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन कर प्रोत्साहन (2) उद्योग में वैज्ञानिक अनुसन्धान करने के लिये अनुसन्धान एवं विकास एककों द्वारा अपेक्षित विशिष्ट उपस्करों तथा सामग्री के आयात के लिये सुविधायें (3) उन मामलों में जहां उद्योगों द्वारा स्वतः ही अपने अनुसन्धान एवं विकास एककों में प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया है, औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के सम्बन्ध में तरजीह देकर, अपनी ही अनुसन्धान एवं विकास सुविधाओं को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दे रही है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लगभग तीन वर्ष से उद्योगों में अनुसन्धान और विकास एककों के पंजीकरण की योजना चलाई जा रही है । इसके अतिरिक्त एन आर डी सी के द्वारा संस्थापित उद्योगों में से नये उद्यमियों को प्रौद्योगिकी के क्षतिज स्थानान्तरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि दूसरे देशों से एक ही प्रकार की प्रौद्योगिकी के बार-बार आयात की आवश्यकता न रहे ।

चौथी योजना के दौरान विद्युत् उत्पादन

1011. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का भारी भण्डार जमा होने पर भी चौथी योजना में विद्युत् उत्पादन लक्ष्य का मुश्किल से दो तिहाई पूरा हो पाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय स्थिति क्या है और भविष्य के लिए क्या योजना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कुछ ताप-विद्युत् केन्द्रों में कुछ समय पहले बिजली का उत्पादन कम होने के लिये जिम्मेदार प्रमुख कारणों में से एक कारण रहा है, कोयले का घटिया किस्म का होना और इसकी मात्रा पर्याप्त न होना। विभिन्न विद्युत् केन्द्रों को अच्छी किस्म का कोयला पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने की व्यवस्था करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं, यथा कोयला विभाग में एक स्थायी कोयला व्यवस्था समिति की स्थापना। इस दिशा में जो कार्यवाही की गई है उसमें अन्यों के साथ-साथ रेलवे, राज्य बिजली बोर्डों और केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान को भी शामिल किया गया है।

ताप-विद्युत् यूनिटों से बिजली के उत्पादन मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। ताप-विद्युत् केन्द्रों से 1974-75 में कुल उत्पादन लगभग 40,659 मिलियन यूनिट का हुआ। 1975-76 के दौरान दिसम्बर, 1975 तक ताप-विद्युत् यूनिटों से बिजली का उत्पादन 31.448 मिलियन यूनिट हुआ। आशा की जाती है कि जनवरी से मार्च, 1976 के दौरान ताप-विद्युत् संयंत्रों से लगभग 12210 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।

कोयला खनन प्राधिकरण द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कोयले की किस्म और मात्रा के बारे में शिकायतें

1012. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में हाल ही में हुई कोयला उपभोक्ताओं की बैठक में कोयला खनन प्राधिकरण द्वारा सप्लाई किये गये कोयले की किस्म और मात्रा के बारे में विभिन्न शिकायतें की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कोयले का विपणन, उपयोगीकरण तथा परिवहन के बारे में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 18 और 19 दिसम्बर, 1975 को कलकत्ते में एक कांफ्रेंस की गयी थी जिसका उद्देश्य कोयला उपभोक्ताओं, कोयला उत्पादकों तथा रेलवे की मुख्य-मुख्य समस्याओं की जानकारी हासिल करना तथा उन समस्याओं को सुलझाने हेतु विभिन्न उपायों पर विचार-विनिमय करना था। विचार विमर्श के दौरान कुछ उपभोक्ताओं ने जहां सप्लाई किये गये कोयले की किस्म और मात्रा के बारे में शिकायतें कीं, वहां वे इस बात से भी सहमत थे कि हाल ही में इस दिशा में सुधार हुआ है। कोयले की किस्म सम्बन्धी समस्याओं तथा कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किये गये और किए जा रहे उपायों जैसे किस्म नियंत्रण संगठन की स्थापना, संयुक्त निरीक्षण व नमूनाकरण की शुरुआत, कोयले की बिक्री के ठेकों में जुर्माने और बोनस की धारा जोड़ना, जिम वाशर्स व डिशैलिंग प्लांटों सहित परिष्करण संयंत्रों, तौल मशीनों आदि की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया। चर्चा में भाग लेने वालों

की आम राय थी कि इन समस्याओं पर विचारों के निरन्तर आदान प्रदान की आवश्यकता है और चूंकि इन सभी समस्याओं को रातोंरात हल नहीं किया जा सकता। इसलिये उनके हल के लिये सतत प्रायस करने होंगे।

सरकार कांग्रेस के उपर्युक्त निष्कर्षों से सहमत है और कोल इण्डिया लिमिटेड से जोर देकर कहा जा रहा है कि वे किस्म में सुधार के लिये तथा छट पुट चोरी की वारदातें रोकने के लिये तत्काल प्रभावी उपाय करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं को सप्लाई किये गये कोयले की किस्म और मात्रा के बारे में कोई शिकायत न हो।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों का कार्य

1013. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसे मंत्रालय के अन्तर्गत चलने वाले सभी सरकारी उपक्रमों ने घाटे को पूरा कर लिया है तथा क्या वे अब लाभ कमा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 की तुलना में वर्ष 1975 के उत्पादन की क्या स्थिति है ; और

(ग) इसमें आगे और सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौय) : (क) उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन 30 उद्योगों में से 31-3-75 को दो निर्माणाधीन थे। शेष 28 उद्योगों में से 12 ने अपनी हानि की स्थिति पार कर ली है तथा 15 ने 1974-75 में कराधान के उपरान्त शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

(ख) इन 28 उद्यमों ने अपना शुद्ध (कराधान के उपरान्त) लाभ 73-74 में 11.82 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 74-75 में 38.90 करोड़ कर लिया है।

(ग) अग्रेतर सुधार करने के लिये किये गये अभयुपायों में मंत्रालय द्वारा उपक्रमों के मुख्य प्रशासकों की बैठकें उत्पादन की सार्वधिक समीक्षा नये उत्पादों द्वारा विविधता लाना, आवश्यकतानुसार उपक्रमों के पूंजीगत और प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करना, जाब का स्टिंग, वस्तुओं की सूचो पर नियंत्रण शापल्कोर और संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिया जाना।

प्रेस परिषद के स्थान पर एक नई व्यवस्था

1014. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमजीवो पत्रकार संघ ने सरकार को प्रस परिषद् के स्थान पर, जिसे 1 जनवरी, 1976 को समाप्त कर दिया गया है, एक नया शक्ति प्राप्त ढांचा बनाने के लिये कहा है जो वांछित आचरण संहिता को लागू करने तथा पत्रकारिता का उच्च स्तर बनाये रखने के उपबन्धों से युक्त होगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के महामंत्री का एक वक्तव्य 17 दिसम्बर, 1975 को प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने प्रेस परिषद् को समाप्त करने के निर्णय से सहमति व्यक्त की थी, किन्तु इसके स्थान पर अन्य एक ऐसा निकाय बनाने की वकालात की थी जो समाचार पत्रों में स्वानुशासन ला सके। सरकार का विश्वास है कि किसी परिषद् के माध्यम से स्वअनुशासन की पद्धति को जिसका 9 वर्ष से अधिक अवधि तक बिना किसी सफलता के परीक्षण हो चुका है और आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उस नए निकाय का ब्यौरा भी नहीं दिया है जिसकी उन्होंने कल्पना की है।

उपग्रह कार्यक्रम के लिये भारतीय उपग्रह छोड़ना

1015. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह कार्यक्रम को जारी रखने के लिये सरकार की अपनी उपग्रह छोड़ने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय दूरदर्शन और दूर-संचार प्रयोजनों के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

मध्यम दर्जे के उद्योगों का लाइसेंस मुक्त किया जाना

1016. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में मध्यम दर्जे के 21 उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह लाइसेंसमुक्ति सभी मध्यम दर्जे के उद्यमियों पर लागू होगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) विशिष्ट 21 उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस से छूट की सुविधा उन औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध होगी जो एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की सीमा में नहीं आते हैं। यह सुविधा इन शर्तों के अधीन होगी कि औद्योगिक उपक्रमों को आयातित कच्चे माल, आयातित पूंजीगत वस्तुएं अथवा विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी और निर्माण की जाने वाली वस्तुएं संयुक्त क्षेत्र में विकास के लिये सुरक्षित न हो।

थीन बांध परियोजना

1017. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने हाल में स्थिति पर पुनः विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). थीन बांध के विकासक्रम के साथ सरकार ने सामान्य रूप से सम्बन्ध बनाये रखा है। पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारों के बीच इस परियोजना पर विपक्षीय विचार-विमर्श होता रहा है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश नगर आयोजन तथा विकास (संशोधन) अध्यादेश

निर्माण तथा आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं श्री एच० के० एल० भगत की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश नगर आयोजन तथा विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश के अध्यादेश संख्या 27) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 3 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था कि एक प्रति तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गई हैं। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10169/76]।

मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी सहायक उद्योग विकास परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन, व्यापार चिन्ह पंजीयन का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ (संशोधन अध्यादेश।

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा के अन्तर्गत मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ी सहायक उद्योग, परिवहन गाड़ी उद्योग ट्रैक्टर, मिट्टी हटाने के उपकरण तथा इन्टरनल कम्बस्चन इंजन विकास परिषद् के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10170/76]।

(2) व्यापार तथा वाणिज्यिक उत्पाद चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत व्यापार चिन्ह पंजीयन कार्यालय, बम्बई के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10171/76]।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 3 अक्तूबर,

1975 को प्रख्यापित किया गया था कि एक प्रति तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गयी हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10172/76] ।

भारतीय साँख्यिकीय संस्थान कलकत्ता, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1969–70 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1971–72 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(चार) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण को लोक सभा तथा राज्य सभा पटल पर रखे जाने की तारीखें दिखाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनके अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10173/76]

(3) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1973 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10174/76]

(4) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिष , नई दिल्ली के वर्ष 1974 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10175/76]

(5) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(6) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुये बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10176/76] ।

(7) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10177/76]

केला तथा फल विकास निगम मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत केला तथा फल विकास निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10178/76]

टायर और ट्यूब संशोधन आदेश, साम्भर साल्टस लिमिटेड जयपुर तथा हिन्दुस्तान साल्ट्स जयपुर के कार्यकरण की समीक्षा तथा प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ती मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं श्री बी० पी० मौर्य की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत टायर और ट्यूब (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2753 में प्रकाशित हुआ था।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10179/76]

(क) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड जयपुर के 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10180/76]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10181/76] ।

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच अध्यादेश 1976

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

1. अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 19वां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 3 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 1 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 7 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 1 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 8 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10182/76]

2. उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों की उपस्थिति तथा दस्तावेज पेश किया जाना सुनिश्चित करना) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 17 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था की एक प्रति तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गई हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10183/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सा० सां० नि० 22 (ङ) जो दिनांक 12 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 23 (ङ) जो दिनांक 12 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10184/76]

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया हैदराबाद के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिण्या लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10185/76]

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां), सभा पटल पर रखाता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10186/76]

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश दूसरा संशोधन) अध्यादेश

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 30 नवम्बर, 1975 की घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 27 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित किया गया था, की एक प्रति तथा एक ज्ञापन जिसमें अध्यादेश जारी किये जाने की परिस्थितियां स्पष्ट की गई हैं , सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10187 / 76]

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का अनुपूरक प्रतिवेदन (भाग 1) संघ सरकार (सिविल)

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के अनुपूरक प्रतिवेदन (भाग 1) संघ सरकार (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10188/76]

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा 19 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 जनवरी, 1976 को विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1975 में किये गये संशोधन से सहमत हुई है ।

(दो) कि राज्य सभा 19 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 जनवरी, 1976 को पास किये गये निर्वाचन विधि (सिक्किम पर विस्तार) विधेयक से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(तीन) कि राज्य सभा 20 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 जनवरी 1076 को पास किये गये आयात और निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(चार) कि राज्य सभा 20 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 16 जनवरी, 1976 को पास किये गये बरमा शेल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(पांच) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 16 जनवरी, 1976 को पास किये गये भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(छः) कि राज्य सभा ने 19 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है ।

मोटर गाड़ी संशोधन विधेयक
MOTOR VEHICLES AMENDMENT BILL

2. **महासचिव** : मैं मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक 1976 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति
(188 वाँ प्रतिवेदन)
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर–पूर्व) : मैं संपदा निदेशालय (निर्माण और आवास मंत्रालय) पर लोक लेखा समिति के 168वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 188 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समाचार एजेंसियों के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. STRUCTURING OF NEWS AGENCIES

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : देश में वर्तमान चार टेलीप्रिंटर समाचार अभिकरणों द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले समाचारों की पर्याप्तता उनके स्तर के सम्बन्ध में पिछले कुछ समय से अध्ययन किया जाता रहा है। समाचार-पत्र लोगों को शिक्षित करने और राष्ट्रीय चेतना पैदा करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समाचारों का क्षेत्र और स्वरूप बहुत बड़ी सीमा तक समाचार अभिकरणों से प्राप्त सेवाओं पर ही निर्भर करता है। भारत के समाचार-पत्र, विशेषकर भारतीय भाषाओं के पत्र और मझोले और छोटे पत्र, फ़िलहाल भारतीय जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और विकास तथा जनता की आकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि देश की वर्तमान समाचार पद्धति इस प्रकार की सेवा उपलब्ध नहीं कर सकी है। हमारी समाचार पद्धति विश्व के सामने भी देश का सही चित्र पेश नहीं कर सकी है। परिणामस्वरूप अनेक विदेशी समाचार अभिकरण या समाचार-पत्र, जो प्रायः अपनी अपनी सरकारों के राजनीतिक विचारों के अनुसार चलते हैं, स्वतन्त्रतापूर्वक भारत को बदनाम करते हैं।

समाचार सेवाओं द्वारा समाचार एकत्र किए जाने और उनके स्तर में सुधार न होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इन अभिकरणों के पास संसाधनों का अभाव है। पी०टी०आई० और यू० एन०आई० मुख्यतया बड़े समाचार-पत्रों से सम्बद्ध हैं, जिनमें से अनेकों पर कुछ व्यापार घरानों का नियंत्रण है। उन्होंने इन अभिकरणों को समाचारों को एकत्र करने और उन्हें प्रेषित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित संसाधन कभी उपलब्ध नहीं किए। अनेक अभिकरण होने के कारण, पहले ही सीमित संसाधनों में दोहरे प्रयास होते हैं। देश में उनके कार्यालयों की संख्या बहुत कम है और बाहर विदेशों में तो नगण्य है। पूर्णकालिक रिपोर्टरों का वेतन बहुत कम है और कुछ मामलों में भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है। समाचार पत्रों द्वारा जो कुल खर्च किया जाता है उसमें से समाचार अभिकरणों को केवल 1.5 प्रतिशत ही दिया जाता है।

अतः इन अभिकरणों की सार्वजनिक निधि से भारी सहायता की जाती है। इन अभिकरणों को 60 लाख पये से भी अधिक के ऋण दिए गए हैं और टेलीप्रिंटर और तार प्रभारों की किफायती दरों के रूप में भारी आवर्ती सहायता दी जाती है। एक अभिकरण के मामले में तो लगभग पूरी शेअरपूंजी राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, समाचार-सेवा का जो स्तर है वह इस पूंजी निवेश और सार्वजनिक निधि से व्यय का औचित्य सिद्ध नहीं करता।

जहां तक भारत से बाहर समाचारों को भेजने का सम्बन्ध है, प्रति दिन 1500 से 2000 शब्दों से अधिक बाहर नहीं भेजे जाते। जब कि विदेशी अभिकरण प्रति दिन 25 हजार से 50 हजार शब्द भारत में भेजते हैं। विश्व स्तर पर भी भारत में एक एक्ल और मजबूत समाचार अभिकरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, क्योंकि गुट निरपेक्ष और विकासशील देशों के मध्य एक विचार चल रहा है कि वे समाचारों के लेन देन में पश्चिमी और विकसित देशों की समाचार पद्धति पर प्रधानता का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे से सहयोग करें। इन प्रयासों में भारत प्रमुख भागीदार है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देश को एक एक्ल मजबुत राष्ट्रीय समाचार अभिकरण की आवश्यकता है जो सभी क्षेत्रों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को स्वीकृत राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप कवर करने में समर्थ हो। सरकार एक एकीकृत व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी जो इन उचित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह संगठन सही मानों में स्वतन्त्र होना चाहिए अर्थात् यह निहित हितों, जिनमें

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

एकाधिकार घरानों के हित भी शामिल हैं, के नियंत्रण से मुक्त हो । इसकी व्यवस्था मुख्य रूप से व्यवसाय में लगे लोगों के हाथों में होनी चाहिए । भाषायी समाचारों, विदेशी समाचारों और कार्यकारी क्षेत्रों जैसे विकास सम्बन्धी, सांस्कृतिक और खेल समाचारों के लिए इसका एक सुसज्जित विभाग होना चाहिए । इसको ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य-कलापों और मनोवृत्तियों का पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित करना चाहिए । इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों और मझोले तथा छोटे समाचारपत्रों को सुविधाजनक दरों पर पर्याप्त सेवा उपलब्ध करना होना चाहिए । यह अभिकरण आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए । सरकार इस बात के लिए भी उत्सुक है कि वर्तमान अभिकरणों जो नये ढांचों में विलय हों के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन व भत्तों को संरक्षण दिया जाय और जब आवश्यक हो उनमें सुधार किया जाय । वास्तव में दक्ष और अनुभवी कर्मचारियों का भविष्य इस प्रकार के संगठन में अधिक उज्ज्वल होगा, क्योंकि, इन संगठन का विस्तार होना संभावित है ।

सरकार ने यह बात सन्तोष के साथ नोट की है कि पी०टी०आई०, यू० एन० आई, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती के प्रबन्धकों और इनके कर्मचारियों की यूनियनों के एक एकल और मजबूत राष्ट्रीय समाचार अभिकरण के विचार के समर्थन में प्रस्ताव पास किये हैं । प्रबन्धक स्वयं एक एकल अभिकरण में विलय होना चाहते हैं । सरकार स प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों से उनकी सहायता करने को तत्पर रहेगी ।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक

REGIONAL RURAL BANKS BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री प्रणव कुमार मुखर्जी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे :—

"कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास प्रयोजनार्थ उधार तथा अन्य प्रसुविधाएं, विशिष्टतया छोटे और सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों, तथा छोटे उद्यमियों को प्रदान करके ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन का तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करना, भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों, कारीगरों आदि से ऋण वसूली स्थगित करने के लिये विधान बनाना 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का एक पहलू है । प्रकट रूप में यह विधेयक इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिये बनाया गया है ।

सरकार चाहती है कि इस कार्यक्रम को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाये । 6 नवम्बर, 1975 के हिन्दुस्तान टाइम्ज में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रशासनिक विलम्ब प्रक्रियायें बाधायें डाल रही हैं । पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हरियाणा में भिवानी जिले में खोले गये प्रादेशिक ग्रामीण बैंक से पूर्णत: स्पष्ट है । यद्यपि इस बैंक का 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया था लेकिन इसमें अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । इससे यही दिखाई देता है कि ये उपाय या 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम मजाक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।

इस विधेयक के खंड 18 के उपखंड (2) के मद (क) में ऐसे अनेक क्रियाकलापों का उल्लेख है जिनको न प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों से आशा है। लेकिन ग्रामीण ऋणग्रस्तता को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि मंत्री ने यह कहा है कि इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता का उन्मूलन करना है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के हाल के सर्वेक्षण के अनुसार 30 जून, 1971 तक 5 एकड़ तक भूमि वाले ग्रामीण निर्धन लोगों पर, जिनमे खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर सीमान्त किसान और छोटे किसान शामिल हैं 1901 करोड़ पये का ऋण था। तब से यह बढ़ कर दूना हो गया होगा और अब यह 3000 करोड़ रुपया होगा। इस मामूली से विधेयक से क्या होगा? इसमें केवल 6.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इतनी थोड़ी राशि से कोई यह कैसे दावा कर सकता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी गम्भीरता से लागू किया जा रहा है।

इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि किसान को कृषि ऋण के अलावा उपयोग के लिये भी ऋण चाहिये। परन्तु ग्रामीण बैंक में भूमिहीनों श्रमिकों, हरिजनों और सीमांत किसानों के उपयोग के लिये ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

20 सूत्री कार्यक्रम में आवास के लिये स्थान देने की बात को भी महत्व दिया गया है। यदि सरकार किसी बे घरबार व्यक्ति को आवासिक स्थान देती है तो उससे उस पर मकान बनाने के लिये पैसा चाहिये। क्या खंड 18 में ऐसे व्यक्तियों को ऋण देने की व्यवस्था की गई है।

बैंक राष्ट्रीयकरण के समय 1969 में कहा गया कि इससे एक नये युग की शुरूआत होगी परन्तु इससे अमीरों को ही मदद मिली। हम चाहते हैं कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक सफल हों। परन्तु सरकार ने से जिस तरह बनाया है वह मजाक के अलावा और कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य अपना भाषण संक्षेप में दें तो लगभग सभी माननीय सदस्यों को अवसर मिल सकता है।

श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी (चित्तूर) : मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि यह विधेयक उचित समय पर पेश किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगो के लिए ऋण की व्यवस्था करना हैं। यह विधेयक ग्रामीण ऋणग्रस्तता और ग्रामीण ऋण समस्या को सुलझाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का एक अंशमात्र है।

कृषकों को ऋण के वैकल्पिक स्थिति उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। यह सही है कि वाणिज्यिक बैंक इस सम्बन्ध में उतना सन्तोषजनक कार्य नहीं कर पाये जितनी कि हमने उनसे आशा की थी। इस त्रुटि को दूर करने के लिए ही देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा रही है।

सरकार को यह महसूस करना है कि कृषि ऋण के प्रश्न की बहत समय से उपेक्षा की जाती रही है। यहां तक कि पांचवी योजना में भी अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का प्रावधान अपर्याप्त अवास्तविक तथा देश की आवश्यकताओ और उसमें आर्थिक विकास में आवश्यकता के अनुरुप नहीं है। पांचवी योजना में कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान अभी भी उपलब्ध ऋण योग्य निधि का केवल 8 या 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस प्रावधान से यह सरकार इस कमी को दूर करने के लिए उत्सुक है या इस कमी को महसूस करती है।

[श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी]

विधेयक में कहा गया है कि ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंकों का लघु स्वरूप हैं और कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा भर्ती के सम्बन्ध में वे पांच वर्ष तक वाणिज्यिक बैंकों के अधीन कार्य करते रहेंगे। निस्संदेह ऐसा एक सीमित अवधी के लिए नहीं किया जा सकता किन्तु यदि सरकार इन बैंकों में प्रबन्ध प्रशिक्षण तथा कार्मिकों की नियुक्ति के लिए कोई वैकल्पिक तरीका नहीं निकालती तो मुझे संदेह है कि पुनः वही होगा जो वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में हुआ है।

अन्य बातों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंको के कार्यकारण में जो बाधा उत्पन्न हुई है उसका एक कारण यह भी था कि राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में समुचित विधान तथा अन्य उपाय नहीं किये। सहकारी समितियों के मामले में इन ग्रामीण बैंकों को राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक विधायी तथा अन्य प्रकार का समर्थन दिया जाना चाहिए। अन्यथा ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण बड़ा जटिल तथा खर्चीला हो जाएगा और समय की अपेक्षा को हम पूरा नहीं कर पायेंगे।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): I wholeheartedly support this Bill. Due to certain shortcomings in our plans in the past, we have not been able to do much for the poor people. In the present 20 point Economic Programme, an attempt has been made to ameliorate the condition of those people who have so far not been able to enjoy the fruits of freedom.

In the past long-term and medium term loans to the rural people were made available through the land mortgage banks and cooperative credit banks. But only a, limited number of people had been able to reap the benefit. With the setting up of these regional banks, it is hoped that a larger number of rural population will be benefited.

These banks will have a Capital of Rs. 1 crore. It is said that this amount is very insufficient. No doubt it is so. But we have to consider the laudable object of helping the small and the poor people of the village side. It takes time to set up an organisation, give training to the personnel and make out necessary arrangements.

A suggestion was made that the employees of these banks should be paid more and that urban people should be sent there. This will not be proper. The urban people will not be able to adjust themselves in the rural surroundings. The local people would, after some training be able to serve better.

To begin with, seven such banks have been set up and by April, 1977 we hope to set up 50 banks with the help of the service Cooperatives and Agricultural cooperatives, these banks will be able to cater to the needs of the entire rural popualation. These banks will give loans not only for agricultural purposes but also for meeting social obligations. The regulations to be framed by these banks will not only make provision for this, but also for giving loans to liquidate the old credit. Thus, these banks will go a long way in freeing the rural people from the exploitation of the money-lenders.

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार यह है कि 3 बजे मंत्री जी को उत्तर देने के लिए बुलाया जाए और एक घंटा खंडवार चर्चा तथा तृतीय वाचन के लिए छोड़ दिया जाए।

Shri R. V. Bade (Khargone): This Bill which provides for the setting up of rural banks is welcome. These banks will be of great help to the rural people. The Bill would have been more useful if provision had been made for the purchase of farmers' produce by these banks. The Minister said that such provision will be made in the rules. But it would have been better if the provision was included in the Bill itself.

It is said that on amount of Rs. 1 crore will be made available to these banks. This amount is very very insufficient, it should be increased.

A regional bank has been set up at Bhopal. What is the use of setting it up there. Since it will cover an area of only 10 miles, the people living in the interior will still have to go to the money lenders. This should be looked into.

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना का कार्य सराहनीय है क्योंकि इसका उदेश्य गरीबों और छोटे किसानों की सहायता करना है। इससे पहले भी सहकारी समितियां इसी उदेश्य को लेकर बनाई गई थी। किन्तु ये समितियां पिछडे वर्गों की सहायता नहीं कर पाई क्योंकि इनकी पूंजी बहुत कम थी और ये रिजर्व बैंक पर आश्रित थी। लेकिन सम्भवत: इस प्रादशिक बैंको की पूंजी काफी अधिक है और ये रिजर्व बैंक पर निर्भर नही रहेंगे।

आशा है इस तरह का एक बैंक जम्मू और काश्मीर में भी खोला जाएगा। यदि वहां एक ऐसा बैंक खोल दिया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह भूपतियों और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों की अपेक्षा निम्न वर्गों के लोगों की सहायता करे।

कारोगरों तथा दस्तकारों को इन बकों से दी जाने वाली सुविधा से वंचित नहीं रखा जाना जाहिए क्योकि इनकी स्थापना ऐसे ही वर्गों की सहायता के लिए की जा रही है। यह नहीं कहना चाहिए कि ये लोग ऋण देने योग्य नहीं हैं और ये ऋण की अदायगी नहीं कर सकेगे।

यह ठीक है कि इस दिशा में यह कदम उचित है किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है क्योकि कमजोर वर्गों का उत्थान कई अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। उदाहरणार्थ काश्मीर में बहुत से बाग हैं। बड़े बागों के मालिक मंडियों में जा सकते है, जहां वे अपने उत्पादन का विपणन कर सकते है। किन्तु छोटे छोटे बाग वाले ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें अपना उत्पादन कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये बैंक उनकी सहायता कर सकते है। ये बैंक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छोटे छोटे बाग वाले अपने उत्पादन का भण्डारण करें और फिर उसे उचित मूल्य पर बेचें।

कारीगरों और दस्तकारों का भी उल्लेख किया गया है। वे भी दूसरो पर निर्भर है। सरकार उन्हें बैंको द्वारा ऋण तथा अन्य सुविधाएं दे सकती है। वे तो यह चाहते है कि किसी तरह उनका माल बिके वे अपना माल कसे बेचें? सरकार उनसे खरीदती नहीं। वह तो केवल बड़े बड़े दुकानदारो से खरीदती है। यदि सरकार उनका माल खरीद कर उनकी सहायता नहीं करती तो यह उनके प्रति अन्याय है।

जब तक कोई ग्रामीण बैंक अपने आपको खाद्य संसाधित एककों से पृथक रखेगा तब तक वह कृषि क्षेत्र तथा दस्तकारों और छोटे छोटे कारीगरो द्वारा उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं के विपणन में सहायक सिद्ध नहीं होगा। आशा हैं कि सरकार ग्रामीण बैंको तथा अन्य मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ये बैंक वास्तविक रूप से निर्धन लोगों की सहायता करेंगे।

तत्पश्चात लोक सभा 2 बजे तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then Adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न पश्चात् 2 बजे पुन समवेत हुई ।

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : As the majority of the Indian people live in villages, our country can progress only if the villages develop. From this point of view, the present Bill is of great significance as it aims at setting up regional rural banks to help the rural people.

Our rural people are mostly poor. They have no land and even if they have land, they have no money to make use of it. For meeting their requirements, they have to go to the money-lenders who exploit them. Once they fall into the clutches of the money lender, their entire future becomes dark. This Bill will serve as a ray of hope for those people.

So far, five such banks have been set up and by March 1977 their number will be 50. But this number is very small and will be like a drop in the ocean. If we really want to help the poor rural people, the branches of these banks will have to be set up at block level.

As regards the employees for these banks, only such persons should be appointed who have sound knowledge of rural life and problems. Preference should be given to the local people.

A Board of Directors has been constituted to regulate the functioning of these banks. Unfortunately the representatives of farmers, artisans and small entrepreneurs have not been taken in the Board. This matter should be seriously looked into.

श्री अरविन्द बाल पजनौर (पांडिचेरी) : यह विधेयक भलीभांति तयार किया गया है । यद्यपि कुछ सदस्यो ने इस पर कुछ आशंकाए व्यक्त की हैं, तथापि मुझे कोई आशंका नही है क्योंकि इसका क्षेत्र बहत व्यापक है । इस विधेयक का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है । इससे 85 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहचने की आशा है । 1954 में रिजर्व बैंक द्वारा किए गए ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के अनुसार कुछ ग्रामीण ऋणग्रस्तता 2000 करोड़ रुपए से 3000 करोड़ रुपए तक थी ।

सभा में तथा सभा के बाहर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है । किन्तु प्रश्न यह है कि इसे कार्यन्वित कैसे किया जा रहा है । इस तरह के कानूनों द्वारा ही इसे कार्यान्वित किया जा सकता है ।

उल्लेख किया गया है कि इस विधेयक का उद्देश्य सीमान्त किसानों, छोटे किसानों, कारीगरों तथा गांवों में रहने वाले अन्य लोगों को सहायता करना है । सीमान्त किसानो की सहायता करने हेतु एक बैंक पहले भी है । कई बैंक खेतिहरों की सहायता कर रहे है किन्तु वे इस कार्य में असफल रहे हैं क्योंकि वाणिज्यिक बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक समस्या की जड़ तक पहुंचकर उनकी सहायता नहीं कर पाए । केवल ऋण देने मात्र से उनकी समस्या का हल नहीं हो सकता ।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के सम्बन्ध में यदि हम 1954 के प्रतिवेदन का अध्ययन करें तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि सीमांत किसानों या भूमिहीन श्रमिकों को ऋण देने का तब तक लाभ होगा जब तक कि उन्हें यह न समझाया जाये कि वह समय किस प्रकार बचा सकते हैं, अपनी अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने के लिए वह क्या कुछ कर सकते हैं। यदि उन लोगों को कुछ दान दिया जाये तो भी इस समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में पी० एल० 480 का हमारा अनुभव यही बताता है कि दान पा कर लोग बेकार हो जाते हैं। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि उन्हें विशेषज्ञ परामर्श दिलवाने के लिए भी कुछ करे।

विधेयक के अनुसार देश में 50 क्षेत्रीय बैंक खोले जायेंगे। अत क्या मंत्री महोदय का इरादा सम्पूर्ण देश को 50 हिस्सों में बांटने का है ? वित्तीय ज्ञापन के अनुसार इस कार्य के लिये 6.52 करोड़ रुपये की धनराशि अपेक्षित होगी। परन्तु मैं समझता हूं कि इस कार्य के लिए काफी अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। सरकार अधिक वित्त की व्यवस्था भी कर सकती है। परन्तु आवश्यक यह है कि उन्हें विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध कराई जाये। निदेशक मण्डलों में नौकरशाहों को नियुक्ति नहीं की जानी चाहिये क्योंकि वह लोग ग्रामीणों की समस्याओं को भली प्रकार नहीं सम्झ पाते हैं। इस कार्य के लिए हमें स्थानीय क्षेत्रो के लोगों को बोर्ड तथा समितियों में लेना चाहिये। प्रस्तावित बैंकों में नौकरशाहों के प्रभाव को कम करने तथा स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पांडिचेरी तथा अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों को भी इसी कानून के अन्तर्गत लाया जायेगा। मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 5 बैंको की स्थापना पहले हो की जा चुकी है तथा अन्य दो खोले जा रहे हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन 15 बैंकों में से एक बैंक पांडिचेरी में भी खोला जाये।

श्री बी० के० दास चौधरी : (कूच बिहार) : मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं। जनसाधारण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई सहकारी बैंकों को ग्रामों में अपनी शाखायें खोलने के लिए कहा परन्तु इन सब प्रयत्नों के उपरान्त भी गांवों की 20 प्रतिशत आम जनता को भी इसका लाभ नहीं हुआ। इसीलिये अब प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा रही है जो कि सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच का मार्ग लगता है। हमें आशा है कि इनसे ग्रामीण लोग अच्छा लाभ उठा सकेंगे। हमें आशा है कि हमारे गांवों की लगभग 70 प्रतिशत की गरीब आबादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि इन लोगों को ऋण या वित्तीय सहायता किस आधार पर दी जानी चाहिये। वह सम्पत्ति पर आधारित होनी चाहिये या उत्पादक श्रम पर ? मैं समझता हूं कि यदि इन बैंकों से ऋण और सहायता दे कर, उत्पादक श्रम को पूंजी में परिणत करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। बिना सम्पत्ति वाले लोगों को भी कुछ सीमा तक ऋण दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। ग्रामीण बैंकों को उन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिये। जिन्हें कि विशेष सहायता के लिए चुना गया है अपितु अन्य जिलों को लाभान्वित करने के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे जिलानुसार इनको 185 शाखायें खोली जानी चाहिये।

मैं एक और नया सुझाव देना चाहता हूं। हमारे टी बोर्ड तथा काफी बोर्ड हैं। क्या हम बागान बैंक की व्यवस्था कर, इस उद्योग को लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकते ? हम विभिन्न

[श्री बी० के० दास चौधरी]

प्रकार के बागानों के उत्पादकों से मिल कर तथा इस दिशा में अपेक्षित विचार विमर्श कर, एक नया रास्ता निकाल सकते हैं ?

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): I want to congratulate the hon. Minister for this revolutionary measure. It is true that commercial banks are functioning with great speed and efficiency, but there are no facilities for non-residents for opering their accounts in foreign exchange. The foreign exchange will be helpful in bringing about development of rural sector.

It is submitted that the rate of inerest on loans which are to be given to small and marginal farmers, should be nominal. A complex of cooperative services should be built up by the Government from where a farmer could get inputs, tractors and other requirements of agricultural production. In the case of small scale industries, artisians should be given financial help. Necessary steps should be taken by the Goverrment to ensure them a some definite income.

The Board of Directors should not be constituted of urban people only who are apathetic to the needs of rural people. The electric representatives of Panchayats should also be represented on the Board of Directors. The procedure for granting loans should be so simplified so that farmers can get loans within reasonable time.

श्री बसन्त साठे (अकोला) : मैं इस सम्बन्ध में केवल दो सुझाव देना चाहता हूं । प्रथम यह कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के बारे में जब हम विचार कर रहे हैं तो हमने ग्रामीण क्षेत्रों की विद्यमान बैंकिंग प्रणाली को समाप्त करने का निश्चय भी किया है । मेरा निवेदन यह है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र में कोई वैकल्पिक प्रणाली स्थापित नहीं की जाती, तब तक भला इसे कैसे किया जा सकता । हमें वर्तमान प्रणाली को सुसंगत और सुव्यवस्थित करने का भरसक प्रयास करना चाहिये ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंक खोले जाने चाहिये । मेरा एक सुझाव यह भी है कि लोगों को दी जाने वाली सहायता बिल के रूप में न होकर वस्तुओं के रूप में हो तो अधिक सहायक सिद्ध होगी । कृषि से सम्बद्ध वस्तुओं को उपलब्ध करवा कर कृषकों की सहायता की जा सकती है । अन्य मित्रों की तरह मेरा भी यही सुझाव है कि प्रबन्ध निदेशक उन्हीं लोगों में से होने चाहिये, जिनकी हम वास्तविक रूप में सहायता करना चाहते हैं ।

Shri Naval Kishore Sinha (Muzaffarpur): On the basis of my experience, I can say that after the nationalisation of banks, the bank employees and officials did not show any interest in the promotions of banking services. It is therefore suggested that a clause should be added in this Bill for making it obligatory for rural banks to maintain a promotional service or extension, service, it will yield better results.

The present Bill is mainly concerned with small and marginal farmers but the word particularly used in clause 18, is likely to create confusion. It is very likely that big farmers will approprite the benefits of this legislation and deprive the small farmers. It is therefore, suggested that this word would should be substituted by the word 'only'.

It has been laid down in cluase (8) that the Board of Management will act in public inteest and on business principles. But under the business principles, there is no provision for granting loans on personal security. But if artisans or landless labours are to be granted loans, a new systems for the grant of loans on the basis of personal security will have to be evolved.

So far as the questions of selection of places for opening rural banks is concerned it will be better if they are opened in areas which are covered under SFDA and MFL Schemes because the basic infrastructure for rural development is already there. If it is not done, the small farmers will not be in a position to have the full benefits of these banks.

Lastly I want to suggest that rural banks should be opened in the areas which have been indentified for rural development.

Shri Ram Deo Singh (Maharajganj) : Regarding rural banks, I am to submit that the functioning of existing banks in the rural areas is not very satsifactory. Under the scheme of regional rural banks, the branchs of such banks should be opened immediately in all rural areas of the country. At present, the rate of interest on the loans advanced by cooperatives is very high. An attempt should be made by the Government to fix the minimum rate of interest on the loans granted to farmers. At the same time steps should also be taken to ensure that the loan should be used for the purpose for which it is sanctioned.

It is also suggested that while giving loans to farmers or artisans for carrying on their vocations, their other needs should also be kept in view and adequate provision should be made to satisfy them. If it is not done, it is very likely that the amount of loan may be used by them for meeting their other urgent needs. The condition of security for loan should also be relaxed in compassionate cases.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं यद्यपि मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता अनुमानों के सन्दर्भ में यह अधिक सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधायें जुटाने की जो विभिन्न एजेंसियां हैं, उनमें अपेक्षित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये। प्रस्तुत विधेयक से पूर्व ग्रामीण लोग जिन माध्यमों से ऋण प्राप्त करते चले आ रहे थे, अब उनसे बन्धित हो गये हैं। अतः इस वैकल्पित व्यवस्था को शीघ्र आरम्भ कर दिया जाना चाहिये।

कृषि क्षेत्र के ऋण को राष्ट्रीय शक्ति से बड़े रूप के साथ जोड़ा जाना चाहिये। ग्रामीण बैंक इस दिशा में शुरुआत कर सकते हैं। हमें सीमान्त तथा छोटे किसानों को ऋण आसान किश्तों तथा दरों पर देने की व्यवस्था करनी चाहिये। इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नारायणचंद पराशर (हमीरपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं अन्य बैंकों के अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि बैंकों में भरती तथा नियुक्ति के लिए पक्षपात से काम लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इन बैंकों के लिये जिन भी व्यक्तियों की नियुक्ति हो उन्हें गांव की समस्याओं सम्बन्धी जानकारी अवश्यक होनी चाहिये। वे लोगों की सेवा करने योग्य हो सकें। अब तक जनसंख्या के आधार पर बैंकों की स्थापना की गयी है। लेकिन यह माप-दंड उचित नहीं है। इसके लिये हमें क्षेत्र और दूरी को भी ध्यान में रखना चाहिये। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों की कुल संख्या 181 है जिसका अर्थ यह है कि 19000 लोगों के लिए वहां एक ब्रांच है जब कि पंजाब में 14000 लोंगों के लिये बैंक की एक ब्रांच है।

एक माननीय सदस्य की इस बात से मैं सहमत हूं कि ऋण स्वीकृति सम्बन्धी नीति इस प्रकार बनायी जाये जिसे इस हेतु उन लोगों का सहयोग लिया जा सके जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अतः मेरा सुझाव है कि संसद सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों को ऋण स्वीकृति सम्बन्धी नीति से सम्बद्ध किया जाये।

अप्रैल, 1973 में 266 संसद सदस्यों ने ऋण नीति का कर्मचारियों की भर्ती के बारे में वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। मंत्री महोदय के उस ज्ञापन में की गई मांग को ध्यान में रखना चाहिये।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : इस चर्चा में जिन जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सरकार का ध्यान कुछ समय से गांव की ऋणग्रस्तता की ओर गया है और 1 जुलाई, 1975 से 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के बाद वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि गांव की कर्जदारी की समस्या को

[श्री प्रणव कुमार मुखर्जी]

हल करने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जायेंगे कुछ माननीय सदस्यों ने समस्या की जटिलता को ध्यान में रखते हुये कहा है कि इस दिशा में अब तक किये गये प्रयास अपर्याप्त ही है। मैं इस सम्बन्ध में अधिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 1978-79 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन ऋणों के लिए 3000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। वर्तमान सहकारी समितियों और व्यापारिक बैंकों की ग्रामीण शाखायों द्वारा 1700 से 1800 करोड़ रुपये का ही ऋण दिया जा सकता है। इस प्रकार एक बड़े अन्तर को पूरा करता है।

अब तक कृषि क्षेत्र की बड़ी उपेक्षा की गई है तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस क्षेत्र में निःसन्देह कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत करना शेष है।

हमने कुछ ऐसे सिद्धान्त निर्धारित किये हैं जिनके आधार पर ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को इस प्रकार के एक बैंक खोलने का काम सौंपा जाएगा। हम इस बात के लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ग्रामीण बैंक हो।

यह पूछा गया है कि हमने केवल 50 ही स्थान क्यों चुने हैं। इस संख्या में जरूरत पड़ने पर काफी वृद्धि की जा सकती है। आवश्यकता और स्थिति को देखते हुये ही ऐसा किया जाएगा।

एक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के अन्तर्गत हमने एक या दो जिले रखे हैं। यह कहा गया है कि 8 प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना पहले ही की जा चकी है तथा मार्च, 1976 के अन्त तक और कुछ स्थापित हो जायेंगे तथा हमें आशा है कि मार्च, 1977 के अन्त तक हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

इन बैंकों के निदेशक मंडल में स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। आरम्भ में हमने इस योजना पर आपत्ति की क्योंकि इन्हें कुशलता से चलाना है तथा प्रत्येक बैंक में कुछ व्यापारिक लोग होंगे ही और इसलिए निदेशक मंडल अथवा प्रबन्ध मंडल में पेशेवर लोग होने चाहिये। तथा इसमें विशेषज्ञ होने चाहिये। अब भी स्थानीय विशेषज्ञों को निदेशक मंडल में मनोनीत करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

ऐसा भी कहा गया है कि हमने जानबूझकर ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमान अन्य बैंकों से अलग क्यों रखे हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंकों के वेतनमान ऐसे होने चाहिये जिससे कुशल लोगों को आकर्षित किया जा सके।

बैंकों में हम राज्य सरकाररों को बड़ी सीमा तक सम्बद्ध करना चाहते हैं। इसलिये हमने उन्हे अंश पूंजी में भागीदार होने का सुझाव दिया है। निदेशक मंडल में उनका अपना प्रतिनिधि होगा इसलिये इन बैंकों को राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न विकास ऐजेंसियों के सहयोग से काम करना होगा।

श्री वसंत साठे (अकोला) : क्या ग्रामीण बैंकों के वेतनमान कुछ अधिक होंगे ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : कर्मचारियों का वेतनमान उस क्षेत्र की राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ही होगा। हमारा प्रयत्न यह होगा कि यथासम्भव स्थानीय लोग भरती किए जायें पर वरिष्ट अधिकारियों की भरती हम बैंककारी सेवा आयोग के द्वारा करेंगे।

कहा गया है कि 2 अक्तूबर, 1975 को हरियाणा में बैंक की एक ब्रांच खोली गई लेकिन इसमें कोई भी काम नहीं हुआ ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैंने यही कहा था कि इसे खोला तो 2 अक्तूबर, 1975 को गया था लेकिन इसने नवम्बर तक कोई भी कार्य नहीं किया ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह बैंक 2 अक्तूबर, 1975 को भिवानी में खोला गया था इसमें जमा राशि 48,424 रुपये की है तथा भुगतान 2,49,227 रुपये का है ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : कुल भुगतान 2,49,227 पये का है। ये आंकड़े कुछ दिन पहले के हैं । अतः यह बात स्पष्ट है कि इस बैंक का काम इतना बुरा नही है जितना श्री महन्ती ने पेश करने की कोशिश की है..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा के दौरान इतना विवाद नही होना चाहिये । इस प्रकार के व्यक्तिगत विवादों के लिय मैं समय की अनुमति नही दे सकता ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस बैंक के कार्यकरण की प्रक्रिया बहुत ही सरल होगी जिनकी व्यवस्था नियमों में की जा रही है ।

यह बात ठीक है कि इन बैंकों में भी किसी न किसी प्रकार की जमानत की आवश्यकता पड़ेगी । लेकिन इसकी प्रक्रिया आसान ही होगी । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करे ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि 50 प्रतिशत बैंक देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खोले जायेंगे ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : इस प्रकार का कोई भी आश्वासन नही दिया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि ग्रामीण क्षेत्रों कृषि, व्यपार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के प्रयोजनार्थ उधार तथा अन्य प्रसुविधाएं, विशिष्टतया छोटे और सीमान्त कृषकों कृषि -श्रमिकों, कारीगरों, तथा छोटे उद्यमियों को प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन का तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खंड 5

Clause 5

श्री कमला मिश्र "मधुकर" (केसरिफ) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 पेश करता हूं।

My amendment is based on the concensus of opinion of the house. I have suggested Rs. 5 crores in place of Rs. 1 crore.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रदत्त पूंजी अथवा अधिकृत पूंजी बैंक की अर्थ-क्षमता से सम्बन्धित नहीं है।

संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 10 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill.

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : मैं अपने संशोधन संख्या 11, 12 तथा 13 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 11 12 तथा 13 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

Amendment No. 11, 12 and 13 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill

खंड 7 तथा 8 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

खंड 9

Clause 9

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' : मैं अपना संशोधन संख्या 14 पेश करता हूं :

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : (उलुबेरिया) : मैं अपना संशोभन संख्या 1 पेश करता हूं :

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना संशोधन संख्या 19 पेश करता हूं।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : मेरे संशोधन का उद्देश्य कृषि श्रमिकों के गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुनने का है। अतः इसे स्वीकृत किया जाए।

Shri K. M. Madhukar: My amendment seeks representation of small farmers and Khet Mazdoors in the Board of Directors of these Banks. This amendment may be accepted.

Shri Ramavatar Shastri : My amendment aims at representation of organised Kisan movements on the Board of Directors of the Banks. This amendment may be accepted.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि छोटे किसानों, सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के प्रतिनिधित्व से काम नहीं चलेगा।

संशोधन संख्या 1, 14, तथा 19 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये
Amendment Nos. 1, 14 and 19 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 10 was added to the Bill

खंड 11
Clause 11

श्री कमला मिश्र मधुकर : मैं अपनी संशोधन संख्या 15 पेश करता हूं :

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 20 पेश करता हूं।

संशोधन संख्या 15 तथा 20 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।
Amendment Nos. 15 and 20 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 11 was added to the Bill.

खंड 12

Clause 12

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 2 तथा 3 पेश करता हूं।

संशोधन संख्या 2 तथा 3 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये
Amendment Nos. 2 and 3 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 12 was added to the Bill

खंड 13 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 13 and 16 was added to the Bill

खंड 17

Clause 17

Shri S.P.Battacharyya (Uluberia) : मैं अपने संशोधन संख्या 4, 5, 6, 15 और 21 पेश करता हूं।

बैंक कर्मचारियों को बैंकों के सामान्य नियमों तथा अपने कार्मिक संघों की शर्तों के अनुसार कार्य करना चाहिये। इस से बैंक अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The Co-operative Societies of milkmen, fishermen, agricultural labourers, marginal farmers and weavers should also be included in the provisions of the clause, so that they may also get loans from these banks and increase production.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The pay and allowances of the employees of these banks should be equal to the pay and allowances of the nationalised banks. Otherwise there would be dissatisfaction among the employees of these banks.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन ढांचों के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि इन के वेतन उस स्थान के राज्य कर्मचारियों के समान होंगे। इस से उन में असंतोष व्याप्त हो जायेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा कि श्री शास्त्री ने कहा है, क्योंकि हम जिन लोगों को भर्ती करेंगे उनको पहले स्पष्ट बता देंगे कि उन्हें अमुक वेतन मान दिये जायेंगे और यदि उन्हें वे वेतन मान स्वीकार्य होंगे, तभी वे सेवा में आयेंगे।

श्री मधुकर द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत सब प्रकार की सहकारी समितियां आती हैं तथा विभिन्न समितियों का अलग-अलग उल्लेख करना अपेक्षित नहीं है।

संशोधन संख्या 4, 5, 6, 16 और 21 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 4, 5, 6, 16 and 21 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 18

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 7 पेश करता हूं।

श्री के० एम० मधुकर : मैं अपना संशोधन संख्या 17 पेश करता हूं।

श्री एन० कतामुतु (नागपट्टिनम) : मैं अपना संशोधन संख्या 18 पेश करता हूं।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : मेरा सुझाव यह है कि ऋण विशेष दर पर और दीर्घकालिक अवधि के लिये होने चाहिये तथा नियमों में जमानत का प्रश्न नहीं होना चाहिये और यह सुस्पस्ट किया जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की शाखायें खेतीहर मजदूरों या कृषि श्रमिकों को बिना जमानत ऋण दें । अन्यथा इन नियमों का उन्हें कोई लाभ नहीं होगा ।

Shri K. M. Madhukar : My suggestion is that local people should be recruited in these banks, because they are well aware about the problems of their areas. This step will help these banks functioning better and will also go a long step towards solving the unemployment problem of the local people.

श्री एम० कतामुतु : विधेयक में केवल कृषि उद्देश्यों के लिये ऋण देने की व्यवस्था की गई है। मेरा संशोधन यह है कि उपभोक्ता उद्देश्यों के लिये भी ऋण दिये जाने चाहिये। बन्धित श्रम पद्धति तथा विनिमय व्यापार प्रणाली समाप्त हो गई हैं और जब तक कृषि श्रमिकों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जायेगी, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्यों ने दो बातें उठाई हैं। एक जमानत के बारे में है तथा दूसरी उपभोक्ता ऋण के बारे में। जहां तक ब्याज की दर का संबंध है, यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि इन बैंकों की ब्याज की दर सहकारी समितियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर के समान होगी। यदि हम इन की ब्याज की दर सहकारी समितियों के ब्याज की दर से कम रखते हैं, तो इसका समूचे सहकारी आन्दोलन पर प्रभाव पड़ेगा। इन बैंकों की ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों की दर से कम होगी ।

उपभोक्ता ऋण के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य की बात की तायीद करता हूं, परन्तु इस मामले में हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि किन किन चीजों के लिए ऋण दिया जाये, अन्यथा बैंक से प्राप्त अधिकांश ऋण गैर-उत्पादक कार्यों में खर्च हो जायेगा ।

संशोधन संख्या 7, 17 और 18 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 7, 17 and 18 were put and negatiued.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 18 was added to the Bill

खंड 19 से 34 विधेयक में जोड़े गये

Clauses 19 to 34 were added to the Bill

अनुसूची

The Sohedule

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 14,

19. पंक्ति 6 के बाद —

"हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये

दिनांक ....."

अन्तः स्थापित किया जाये।

(श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)

Page 14,—

after line 6, *in sert*—

"Signature"

Signed before me

Dated..... " (Shri Pranab Kumar Mukherjee)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ी गई

The Schedule, as amended, was added to the Bill

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़े गये

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्रवण कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : हम शीघ्र ही ऐसे विधेयक पास करने वाले हैं जिनसे पिछड़े वर्गों के लोगों को सामान गिरवी रख कर ऋण देने वाले छोटे मोटे साहूकार समाप्त हो जायेंगे । महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कानुन बना भी दिया है । ये साहूकार ग्रामों की अर्थ-व्यवस्था को खराब कर रहे थे तथा ग्रामीणों का शोषण कर रहे थे । अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे । परन्तु इनके स्थान पर ग्रामीणों को ऋण देने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वे लोग पूर्णतया ऋण पर ही निर्भर हैं । अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण बैंक उचित जमानत ले कर ऋण दे कर इन छोटे-मोटे साहूकारों के विकल्प के रूप में कार्य करेंगे अथवा नहीं ।

खण्ड 22 के अनुसार प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को आयकर अधिनियम, 1961 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत सहकारी समिति समझा जायेगा । इन बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों की ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा । सहकारी बैंकों पर आय कर नहीं लगता, क्योंकि वे केवल अपने सदस्यों को ऋण देते हैं । परन्तु इन बैंकों के बारे में ऐसी स्थिति नहीं है । मुझे भय है कि इन बैंकों को अपने लाभ पर भारी कर देना पड़ेगा । इस से इन के विकास पर कुप्रभाव पड़ेगा । इस लिए सरकार को इस पहलू पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुरा) : यह दावा किया गया है कि इन बैंकों की स्थापना से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया जायेगा । परन्तु हमारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अनुभव क्या है ? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद किस को लाभ हुआ है ? आंकड़ों से यह पता चला है कि बैंकों से 70 प्रतिशत सहायता बड़े बड़े गृहों अथवा एकाधिकारी गृहों को ही प्राप्त हुई है । छोटे तथा मध्यम उद्यमियों को, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं, कोई लाभ नहीं हुआ है । इस प्रकार इस योजना से भी गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा । यह योजना "गरीबी हटाओ" कार्यक्रम के ढोंग के समान ही है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निहित स्वार्थों को और प्रोत्साहन मिलेगा ।

यह व्यवस्था की गई है कि ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत की जरूरत होगी । जब खेतिहर मजदूर को वर्ष में छ: महीने काम ही नहीं मिलता, तो उसे जमानत कहां से मिलेगी । इसी भांति साधारण कारीगर को जमानत कहां से मिलेगी ?

विधेयक में यह व्यवस्था भी है कि सामुहिक ऋण मिल सकेगा । परन्तु इस से गरीब खेतिहर मजदूरों का शोषण ही होगा, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा । यदि सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेतिहर मजदूरों को भुमि का स्वामित्व मिले । इस कार्य के लिए आमूल सुधार करने की आवश्यकता है । ऐसा होने पर ही हम यह आशा कर सकते हैं कि इस बैंककारी व्यवस्था से निर्धन ग्रामीणों को लाभ होगा ।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria) : It is good that the present Bill has been brought in the House, but the existing provisions of the bill are too in adequate to serve the purpose in view and I fear that the hon. Minister will be Compelled to bring amendments in the present bill during the next session. If you want to solve the problems of the rural poor. Then a more detailed and comprehensive measure is called for.

[Shri K. M. Madhukar]

The problems of the rural people are very difficult. One bank in one region is not going to solve this problem. Every block in each State should have at least one branch of the bank. Only then the needs of the poor people of the rural areas would be met.

The implementation of this scheme has been left to bureaucracy which is indifferent to the needs of the weaker sections of society. I have, therefore, sericus doubts about the success of this Scheme.

As these banks will Cater to the needs of the poor and vulnerable sections of the society, arrangements should be made whereby these people may get loans without offering any security. Otherwise, the very purpose of the Bill will be defeated.

श्री सुरेन्द्र महन्ती : विधेयक स्थापित करते समय मंत्री महोदय ने कहा कि अभी तक आठ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक खोले जा चुके हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि अभी तक पांच बैंक खोले गये हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि सरकार 1 अप्रैल, 1976 तक 77 प्रादेशिक बैंक खोलने का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लेगी।

मैं मंत्री महोदय के इस उत्तर को नहीं समझ पाया हूं कि प्रस्तावित बैंक कम बैंकों वाले राज्यों में खोले जायेंगे। कम बैंकों वाले राज्य कौन कौन से हैं और ये बैंक कहां कहां खोले जायेंगे, यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए थी।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह उपाय एक मजाक है और इससे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उपाय न तो मजाक है और न ही लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जो विपुल खाई है, उसे पाटने के लिए यह विधेयक लाया गया है। जब तक इन बैंकों को किसान सेवा समितियों तथा प्राथमिक ऋणदाता समितियों आदि जैसी ऐजेंसियों का समर्थन नहीं मिलेगा, इन प्रस्तावित बैंकों की शाखायें खोलने मात्र से ग्रामीण क्षेत्र की समस्यायें दूर नहीं होंगी। अतः ऐसी अनेक कृषक सहकारी समितियां होनी चाहियें, जिन के माध्यम से मूल उपभोक्ताओं तथा मूल लाभग्राहियों को धन दिया जा सके।

सहकारी समितियों को आयकर के मामले में कुछ सीमा तक छूट दी गई है। यह छूट इन बैंको को भी दी जायेगी।

वर्तमान सहकारी अधिनियम में बैंकों को जमानत लेकर ऋण देने का अधिकार है ऐसा करने से इन बैंकों को रोका नहीं जा सकता। वे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY ORDINANCE AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : अब हम अगली मद संख्या 18 लेते हैं। इससे पहले मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर चर्चा के लिए कितना समय नियत किया गया है।

श्री के० रघुरामैया : महोदय, मेरा सुझाव है कि चार घंटे विचार के लिए और एक घंटा खंडवार विचार और तीसरे पाठ के लिये रखे जायें।

सभापति महोदय : मैं आपके इस सुझाव से सहमत हूं। इस समय हमारे पास 5 घंटे का समय है चार घंटे सांविधिक संकल्प के लिये और एक घंटा खण्डवार विचार तथा तीसरे पाठ के लिए। पहले हम मद संख्या 18—सांविधिक संकल्प को लेते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 16) का निरनुमोदन करती है।"

चर्चा के दौरान दोनों अध्यादेश आ जायेंगे। इसलिए मैं यहां प्रश्न के सभी पहलुओं पर अपने विचार रखता हूं। मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। आपको याद होगा पिछले सत्र के दौरान जुलाई में आप आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का संशोधन करने वाला विधेयक लाये थे। हमने उसमें भी उन संशोधनों की आलोचना की थी।

25 जुलाई को गृह मन्त्री जी ने जो विवरण दिया उससे स्पष्ट है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आन्तरिक सुरक्षा विधेयक के उपबन्धों को त्रुटिरहित बनाना है ताकि ऐसी कोई त्रुटि न रह जाये जिससे इस अधिनियम के अधीन नजरबन्द कोई व्यक्ति मुकदमा न चला पाये और वह न्यायालय को बीच में न ला सके। मन्त्री जी स्पष्टवादी है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता रहता है तो हमारा सारा शासनिक तन्त्र मुकदमेबाजी में ही लगा रहेगा। इसलिये प्रशासन को इस कठिनाई से बचाने और विघटनवादी तत्वों से ठीक ढंग से निपटने के लिए ही राष्ट्रपति का यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। इसके बाद उस समय भी जुलाई में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 का संशोधन किया गया था। विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि नजरबन्दी की अवधि समाप्त होने पर किसी नजरबन्द व्यक्ति को सरकार के ध्यान में नये तथ्य आये बिना पुनः नजरबन्द किया जा सकता है। उस समय भी ऐसा किया गया और अधिनियम में एक नई धारा 18 जोड़ी गई ताकि नजरबन्द व्यक्ति प्राकृतिक कानून के आधार पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता का दावा न कर सकें।

इस अन्तरसत्रावधि का उपयोग अध्यादेश जारी करने के लिए किया गया और अब संशोधनों को समेकित रूप में एक संशोधी विधेयक बना कर लाया गया है। इन संशोधनों का आशय यह है कि यदि किसी व्यक्ति का नजरबन्दी आदेश समाप्त हो गया हो तो एक नया नजरबन्दी आदेश जारी किया जा सकता है, भले ही ऐसा करने के लिए कोई अधिनियम न हो। गत वर्ष जुलाई में पास किये गये संशोधन के परिणाम स्वरूप यह उपबन्ध वहां पहले से ही है। मंत्री जी को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि यह आदेश कब रद्द किया गया और सरकार ने यह तत्काल निर्णय क्योंकर किया कि किसी व्यक्ति को पुनः नजरबन्द करना होगा।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

दूसरा संशोधन यह है कि राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने की घोषणा मात्र से यह समझ लिया जायेगा कि राज्य सरकार ने उसकी नजरबन्दी का अनुमोदन कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को कहीं नजरबन्द किया है तो फिर राज्य सरकार के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आशय की घोषणा का कि फलां-फलां व्यक्ति को नजरबन्द किया गया है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन करना आवश्यक है।

तीसरे निस्सन्देह इस बात की सूचना नहीं दी जायेगी कि नजरबन्दी किन कारणों से की गई है और न ही नजरबन्द व्यक्ति को नजरबन्दी के विरुद्ध अभ्यावेदन पेश करने का अवसर दिया जायेगा। जब सरकार किसी व्यक्ति को नजरबन्द करती है तो भी उसे कारण नहीं बताती। जब वह अभ्यावेदन पेश करना चाहता है तो सरकार उसे अनुमति क्यों नहीं देती ?

असंशोधित अधिनियम में चौथी बात यह है कि किसी व्यक्ति की नजरबन्दी संबंधी आदेश के बारे में राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार को सूचना पहुंचनी आवश्यक है। इसके बजाय अब उनके स्थान पर "तथ्य की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी जाय" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। न्यायालयों तथा परामर्शदात्री बोर्डों को ताक पर रख देने की बात अब दूर की हो चुकी। अब तो कुछ और ही किया जा रहा है। यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में भी राज्य सरकारें तथा अधिकारी जिन्हें कार्यपालिका की शक्तियां सौंपी गई हैं, यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह की सूचना न दी जाये या कारण न बताये जायें। न तो अभ्यावेदन लिया जाये और न ही कोई सुविधा प्रदान की जाये।

अन्तिम बात यह है कि सरकार की स्वीकृति से 25 जून तथा 29 जून के दौरान जो कुछ नजरबन्दी के आदेश पास किये गये थे और अब जो प्रबंध प्रतीत होते थे, उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से बंध किया जा रहा है। सरकार राजनीतिक तौर पर क्या करने का प्रयास कर रही है ? क्या आप उन देशों को और अधिक अवसर देना चाहते हैं जो हमारे देश के विरुद्ध लगातार प्रचार कर रहे हैं ?

हाल के ये संशोधन जो संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 के अन्तर्गत पास किये गये हैं, कुछ राष्ट्रपतीय आदेशों के सन्दर्भ में थे। इनके फलस्वरूप अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा 22 आपातस्थिति के दौरान आस्थगित रहेंगे। राष्ट्रपतीय आदेश केवल आपातस्थिति की अवधि के लिए था। किन्तु अब हम उन संशोधनों पर चर्चा कर रहे हैं जिन्हें स्थायी रूप से कानून का रूप दिया जाना है न कि केवल आपातस्थिति की अवधि के लिए। यदि आपातस्थिति समाप्त भी की जाती है तो ये संशोधन स्थायी रूप से बने रहेंगे। यह बहुत गम्भीर बात है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इन संशोधनों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान ये राष्ट्रपतीय आदेश, जिनसे अनुच्छेद 19, 21 और 22 निलम्बित किये गये हैं, गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी से संबंधित है। यह मामला उच्चत्तम न्यायालय के विचाराधीन है और वहां पर तर्क-वितर्क चल रहे हैं। सरकार की ओर से महान्यायवादी तथा उप महान्यायवादी ने न्यायालय में तर्क दिये हैं कि किसी व्यक्ति को बिना किसी कानून या बिना किसी आदेश के बन्द किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि किसी को गोली मारी जा सकती है और वह प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं कर सकता। यदि सरकारी परामर्शदाता के तर्क को मान लिया जाये तो फिर आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम में और अधिक संशोधन करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। कम से कम सरकार को इतना तो चाहिये था कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आने देती। अतिरिक्त महान्यायवादी ने यह तर्क दिया है कि न्यायालय को नजरबन्दी आदेश

पर विचार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है । न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ के यह पूछने पर, कि मान लिया जाये कि एक व्यक्ति का राजनीति से कोई सम्बंध नहीं है और वह प्रातः एवं सायं मन्दिर जाता है परन्तु झूठी सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कानून के अन्तर्गत वह वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है ? उनका उत्तर था : " उसे अपनी नजरबन्दी के बारे में किसी प्रकार के कारण, सूचना या सामग्री जानने का कोई अधिकार नहीं है। उसके अधिकार अनुच्छेद 21 और 22 के निलम्बन के साथ ही निलम्बित हो गये हैं।"

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

मैं इस समय आंसुका के दुरुपयोग किए जा सकने के बारे में तर्क नहीं दे रहा हूं यद्यपि हम निश्चित रूप से इसके दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना के प्रति चिन्तित हैं। इस समय मैं यह कहना चाहता हुं कि आंसुका तथा इसके संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है और वास्तव में सरकार उच्चतम न्यायलय के निर्णय का जिसके समक्ष इस समय वे विचाराधीन हैं। पूर्व आभास ले रही है। यदि श्री नीरेन डे के तर्क मान लिये जाते हैं तो सरकार आंसुका को भी निलम्बित कर सकती है। आपातस्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों को निलम्बित करने के बजाय सरकार राष्ट्रपतीय आदेश से पूर्णतया काम चला सकती है। नजरबन्द व्यक्ति के पास एक ही रास्ता है वह कार्यकारी को आभ्यावेदन भेज सकता है।

राष्ट्रपतीय आदेश का व्यावहारिक प्रभाव यह हुआ है कि इससे गैर जिम्मेदार तथा बदले की भावना वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन मिला है। सरकार का नौकरशाही में जो विश्वास है हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते।

यदि इस तरह की नौकरशाही को इस प्रकार कार्य करने दिया जायेगा तो इससे ऐसे परिणाम निकलेंगे तो आपातस्थिति में निर्धारित लक्ष्यों के प्रतिकूल होंगे और यहां तक अधिकारों के दुरूपयोग की बात है कई अधिकारी आंसुका के अन्तर्गत अपनी शाक्ति का उपयोग भूपतियों तथा नियोजकों के हित में कर रहे हैं।

जिन लोगों का दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी या साम्राज्यवादी समर्थक या साम्प्रदायिक ताकतों से कोई सम्बन्ध नहीं है उन्हें आंसुका के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है। क्या आपातस्थिति का यही उदेश्य है क्या सरकार इन शाक्तियों का प्रयोग किन्हीं राजनीतिक दिशाओं में करना चाहती है या क्या वह यह सब कुछ नौकरशाही पर छोड़ देना चाहती है कि वे जो चाहें करें।

बिहार में भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के अतिरिक्त हमारे 17 लोगों को गिरफतार किया गया है। इसके अतिरिक्त पाण्डिचेरी तथा अमरनाथ डिफेन्स फैक्टरी में कार्मिक संघ के कुछ कार्यकर्त्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। त्रिपुरा में 9 गैर–राजपत्रित अधिकारियों, उत्तर प्रदेश में दो सफाई कर्मचारियों तथा दिल्ली में दो युवा महिलाओं को, जो कार्मिक संघ की कार्यकर्त्ता थीं, गिरफ्तार किया गया है।

कहा गया है कि बंदियों के मामलों पर हर चार महीने के बाद पुनः विचार करने की व्यवस्था है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन मामलों पर कौन पुनः विचार करता है ?

मंत्री महोदय कहते हैं कि यदि उनकी जानकारी में कोई विशेष मामले लाये जायें तो वह उन पर विचार करेंगे। आपात्तकालीन शक्तियों का उन ताकतों के विरुद्ध उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है जिनके विरुद्ध इन शक्तियों का उपयोग किया जाना है। राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 19, 21 तथा 22 को निलम्बित करने के बाद "आंसुका"

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

में इस प्रकार और अधिक संशोधन करने तथा प्रशासन को मज़बूत करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे कि कोई आसानी से सांस तक न ले सके। आप लोगों को अदालतों तक भी नहीं जाने देना चाहते। आप बन्दी को उसे नज़रबन्द करने का कारण भी नहीं बताना चाहते। आपने सलाहकार बोर्ड भी समाप्त कर दिया है। इस प्रकार आप एक ऐसा जनमत तैयार कर रहे हैं जिससे केवल आपके शत्रुओं को ही लाभ पहुंचेगा। आप यह सब क्या करने जा रहे हैं। इन बातों पर आप ज़रा कुछ गम्भीरता से विचार कीजिये। सरकार को अभी इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करना चाहिये। जब तक इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न आये—कम से कम उस समय तक तो इन्तजार करना ही चाहिए। अतः हमारा दल इन संशोधनों का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि ये संशोधन अनावश्यक हैं। मेरे विचार में अब न तो न्यायालय और न ही कोई स्वतन्त्र निकाय किसी व्यक्ति को रिहा कर सकती है। मेरे अपने दल के लोगों के विरुद्ध भी इन शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है।

हमारा दल सरकार का समर्थन विदेशी खतरों तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरुद्ध ही करेगा। देशवासियों के अहित में आपात्तकालीन शक्तियों के उपयोग को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को अपने विरुद्ध करके जनसंघ की शरण में जाने का वातावरण तैयार कर रहे हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इन्तजार किया जाये। इस बारे में आप जल्दबाजी से काम न लें।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 नवम्बर, 1975 को प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा (चौथा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 22) का निरनुमोदन करती है।"

सी० पी० आई० के नेता ने इस संशोधन के विरोध में एक अच्छा भाषण दिया है। मुझे प्रतीत हुआ है कि वह मीसा के इन सभी संशोधनों का समर्थन कर रहे थे लेकिन उनकी शिकायत केवल इतनी ही थी कि इसका उपयोग उनके दल के विरुद्ध भी किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या मेरी केवल मात्र यही शिकायत थी?

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मैंने व्यवस्था का नहीं औचित्य का प्रश्न उठाया था पहली संसद में जब निवारक नज़रबन्दी अधिनियम पर चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और उनके सभी सहयोगी यहां उपस्थित रहते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री सदन में बुधवार के प्रश्न काल को छोड़ कर कभी भी उपस्थित नहीं होतीं। विधि मंत्री भी यहां नहीं हैं ..... (**व्यवधान**)।

आप संसद् की प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं। आप मंत्रियों को उपस्थित रहने के लिए कहें।

श्री एच० आर० गोखले: मैं तो यहीं था।

श्री सुरेन्द्र महन्ती: मैं इस संशोधन का तब भी विरोध करूंगा जब इसका उपयोग मेरे विरुद्ध भी न किया जाये क्योंकि यह संशोधन निरंकुश है।

स्मरण रहे कि 7 मई, 1975 को, जब 'मीसा' का दूसरा संशोधन विधेयक लाया गया था, तो गृहमंत्री ने कहा था कि 'मीसा' का उपयोग केवल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए किया जायेगा। वह इस बारे में सदन को संतुष्ट न कर सके। अतः उन्हें विधेयक वापिस लेना पड़ा था।

1971 के बाद 'मीसा' का संशोधन चौथी बार किया जा रहा है।

इन संशोधनों द्वारा मुझे मुसोलिनी तथा हिटलर द्वारा जारी की गई उद्घोषणाओं की याद आती है। हमें फासिस्ट कहा जाता है **(व्यवधान)** इस प्रकार की उद्घोषणाओं द्वारा केवल फासिस्ट ही राज करते हैं। फासिस्ट हम नहीं, बल्कि ये हैं। मुसोलिनी और हिटलर ने भी विपक्ष को इसी प्रकार समाप्त किया था। यह निश्चित है कि इस प्रकार के निरंकुश कानूनों द्वारा आप विपक्ष को समाप्त नहीं कर सकते।

आखिर इन संशोधनों का उद्देश्य क्या है? पहली बार आपने यह व्यवस्था की थी कि पांच दिनों के अन्दर बंदियों को नजरबन्दी के कारण बताये जायेंगे। इन संशोधनों के अनुसार नजरबन्दी के कारणों को प्रकट नहीं किया जाएगा। एक विशेष मामले में मेरे विचार में कुलदीप नायर के मामले में जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने नजरबन्दी आदेश के कारणों को जानना चाहा तो सरकार ने तत्काल संशोधन कर दिए कि न्यायालयों को भी नजरबन्दी के कारण, आदेश या तत्सम्बन्धी जानकारी नहीं बताई जा सकती। इस प्रकार न्यायालय के दरवाजे बंद करने के लिए अध्यादेश पारित किया गया ताकि नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का सहारा न ले सकें।

जहां तक "अधिकारी" शब्द की परिभाषा का प्रश्न है पुलिस का उपनिरीक्षक या एक जमादार भी इस श्रेणी में आ जाता है। मीसा के अनुसार नजरबन्दी करने वाला अधिकरी राज्य सरकार को नजरबन्दी के कारणों से अवगत कराएगा और तत्पश्चात राज्य सरकार ने यह विचार करना है कि क्या नजरबन्दी पर्याप्त रूप से उचित है। किन्तु अब यदि यह लोकहित में समझा जाएगा तो अधिकारी न्यायालय को भी इस बारे में सूचना नहीं देगा। इस संशोधन के द्वारा नजरबन्दी के कारण एक पर्दानशीन औरत की तरह है जिसका नकाब न तो कचहरी में और न कहीं और उठाया जा सकता है। सरकार ने गलतफहमी शब्द का प्रयोग किया है। यदि कोई अधिकारी गलतफहमी में 'क' नामक व्यक्ति की जगह 'ख' नामक व्यक्ति को नजरबन्दी कर दे तो उसके पास अपने आपको मुक्त करने का कोई साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कई अधिकारियों ने गलतफहमी में कुछ व्यक्तियों को नजरबन्दी कर दिया है और वे उसकी नजरबन्दी का कोई कारण नहीं बता रहे हैं। अब राज्य सरकार को उनकी नजरबन्दी को रद्द करना है। आखिर आप चाहते क्या हैं। आप संसदीय प्रजातंत्र का छलावा क्यों कर रहे हो।

कटक में एक करोड़पति को आर्थिक अपराध में गिरफ्तार किया गया और जब उसके मित्रों ने उसे वकील करने की सलाह दी तो उसने कहा मैं छाता दल का हूं जो भी दल सत्ता में आएगा मेरा छाता उसी के प्रति झुक जाएगा मैं इधर उधर भाग दौड़ कर अपना समय क्यों व्यर्थ करूं आश्चर्य की बात है कि बाद में उसे मुक्त कर दिया गया। एक आर्थिक अपराधी को एक ही शर्त में छोड़ दिया गया जब कि नाना कृष्ण चौधरी जैसे स्वतन्त्रता सेनानी जेल में सड़ रहे हैं। उन्हें पैरोल पर छूटने से पहले बीमारी के दौरे पड़े। जयप्रकाश नारायण जैसे देशभक्तों को छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसा मैं क्रोध में नहीं अपितु दुखी हो कर कह रहा हूं। इन संशोधनों के द्वारा सभ्य नागरिकता के सिद्धान्तों की, हमारे देश में जो आखिरी लौ जल रही थी

[श्री सुरेन्द्र महन्ती]

वह भी बुझ गई है। आज हमारे देश में नागरिकता स्वतन्त्रता आदि का कोई अर्थ नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं :

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए]।

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the chair.*]

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

वर्तमान विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पहले किए गए संशोधनों के परिणाम हैं और इनका उद्देश्य उन कानूनी कठिनाइयों को दूर करना है जो कि इस अधिनियम को लागू करने में सामने आ रही थी।

आपात स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने यह महसूस किया है कि आपातस्थिति को कारगर ढंग से लागू कर ने के लिए तथा नज़रबन्द व्यक्ति, जिसे कि प्रतिकूल गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए ही नज़रबन्द किया गया है, की नज़रबन्दी के बारे में कारण बताना या तत्सम्बन्धी जानकारी नहीं देनी चाहिए क्योंकि राज्य की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के पास नज़रबंद व्यक्तियों या दलों, जिनके कारण देश में आपातस्थिति लागू करनी पड़ी है की योजनाओं और गतिविधियों के सम्बन्ध में जो सूचना उपलब्ध है उसे प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। अतः स्थिति को ध्यान में रख कर धारा 16 क के उपखण्डों, विशेषकर (5), (6) और 7 को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम 1975 में सम्मिलित किया गया है।

विषयों को अधिक स्पष्ट करने के लिए धारा 16 क के उपखण्ड 5 को प्रतिस्थापित करने तथा अधिनियम में एक नए उपखण्ड 9 में प्रत्येक प्राधिकारी पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसके पास नज़रबन्द व्यक्ति से सम्बन्धित जो कोई भी जानकारी है वह उसे अन्य किसी को न दे अर्थात् वह नज़रबन्द व्यक्ति की नज़बन्दी के कारण तथा तत्सम्बन्धी जानकारी किसी पर न प्रकट करे। यह जानकारी गुप्त समझी जाएगी और यह सरकार का मामला है तथा इसका प्रकटन जनहित के विरुद्ध है। यह एक प्रस्तावित नया संशोधन है।

दूसरे यह कहा गया है कि नजरबन्द व्यक्ति को भी किसी को अपनी नजरबन्दी के कारण तथा तत्संबंधी जानकारी प्रकट करने पर लगा प्रतिबंध सरकार द्वारा नज़रबंदी के आदेश को रद्द करने के लिए प्रभावशाली ढंग से अपनी शक्ति का उपयोग करने के मार्ग में बाधक न बने इसी उद्देश्य से धारा 16 क (7) में परिवर्तन किए गए हैं तथा विधेयक में एक नया उपखंड 16 (8) को पुरःस्थापित किया गया है। इससे केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों से उन कारणों तथा तत्संबंधी जानकारी को मंगा सकती है जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा नजरबंदी के आदेश दिए गए हैं।

आपात स्थिति को कारगर ढंग से लागु करने के लिए 25 जुन 1975 से 29 जून 1975 के बीच की गई नज़रबंदियों के लिए दो बातों का अनुपालन आवश्यक था पहली यह कि मूल अधिनियम

की धारा 3 के उपखंड (3) के अंतर्गत राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को सरकार द्वारा 12 दिन के भीतर अनुमोदित किया जाना था और दूसरा यह कि धारा 16 क (2) के अंतर्गत राज्य सरकार को यह घोषणा करनी आवश्यक थी कि आपात स्थिति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए नजरबंदी आवश्यक थी। यह घोषणा प्रथम संशोधन अध्यादेश की मुख्यापित तिथि अर्थात् 29 जुन 1975 से 15 दिन के भीतर करनी आवश्यक थी कि कुछ राज्य सरकारों को यह गलतफहमी थी कि धारा 16क (7) के अंतर्गत की गई घोषणा स्वयं काफी थी और उन्होंने 25 जून से 29 जुन 1975 तक नजरबंद किए गए व्यक्तियों के बारे में मूल अधिनियम की धारा 3 के उप-ण्ड 3 के अंतर्गत अनुमोदन आदेश जारी नहीं किए यद्यपि उन्होंने धारा 16 क (2) के अंतर्गत घोषणा जारी कर दी थी। कानून की व्याख्या के रूप में गलतफहमी के कारण एक तकनीकी त्रुटि उत्पन्न हो गई। चूंकि इस तकनीकि त्रुटि के आधार कई नजरबंदियोंकी रिहाई से आपातस्थिति के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाता था अतः यह आवश्यक समझा गया कि आदेश को सुधार करके उन्हें वैध करार किया जाए। तदनुसार 16 नवम्बर 1975 को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना (चौथा संशोधन) अध्यादेश 1975 को प्रख्यापित किया गया और धारा 16 क में उपधारा 2 (क) और संशोधनकारी धारा 3 (3) को पुरःस्थापित करके विधेयक में आवश्यक उपबंध नियमित किए गए हैं।

मूल अधिनियम की धारा 14 (2) में यह उपबन्ध है कि एक बार किसी व्यक्ति के नजरबंदी आदेश को रद्द कर देने पर उसे पुनः धारा 3 के उपबंध नजरबंद किया जा सकता है। यह आवश्यक समझा गया कि जब नजरबंदी आदेश रद्द करने अथवा उसकी अवधि समाप्त होने पर नया आदेश जारी किया जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रक्रिया से अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत उस व्यक्ति की नजरबंदी की अधिकतम स्वीकृति अवधि का विस्तार किया जा सकता है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम की धारा 14 (2) को चौथे संशोधन द्वारा संशोधन किया गया और वर्तमान विधेयक का उद्देश्य भी इसका संशोधन करना है।

माननीय सदस्य अच्छी तरह जानतेहै कि किन परियतियों में सरकार को आपातस्थिति की घोषणा करनी पड़ी है। उच्च न्यायलय के न्यायधीश श्री जैकसन ने कहा है कि विकट आपातस्थिति के दौरान लोकहित हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने ही पड़ते हैं।

यह कहा गया है कि पुलिस का उपनिरीक्षक या कांस्टेबल किसी व्यक्ति को नजरबंद कर सकता है लेकिन यह गलत धारणा है। नजरबंदी के आदेश केवल जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ही दे सकता है।

यह भी पूछा गया है कि क्या ये संशोधन संविधिक पुस्तक में स्थायी रूप से रहेगें। संशोधित अधिनियम की धारा 16क का संशोधन 1975 में किया गया और स्वयं 16 क की अवधि केवल 12 महीने की हैं अतः यह नही कहा जा सकता कि धारा 16 क में किए गए संशोधन या इस तरह की अन्य बातें स्थायी तौर पर रहेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान): मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं। यह घातक विधेयक हैं यह देश के विधायी ढ़ांचे पर पड़ने वाला चिरस्थायी धब्बा है। आप सविधान को स्थायी रूप

से विकृत कर रहे हैं। और नृशंस विधेयक इस देश के लोगों न्यायपालिका और विपक्ष के विरूद्ध युद्ध की घोषणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

'आंसुका' शब्द से देश में हर कोई नफ़रत करता है। आंसुका के दुरूपयोग द्वारा आप राजनीतिक दलों की उचित और वैध गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। आपने इसका प्रयोग सभी राजनीतिक कर्मचारियों के विरुद्ध किया है। आंतरिक आपातस्थिति का कारगर ढ़ंग से सामना करने के नाम पर आपने इसका प्रयोग पत्रकारों और अध्यापकों के विरूद्ध किया। यहां तक कि सतारूढ़ दल के कुछ सदस्यों को भी नहीं छोड़ा गया है। सत्तारूढ़ दल के जिन सदस्यों ने दल की नीति के विरुद्ध आवाज उठाई उन्हे भी जेलों में डाल दिया गया जैसे कि असहमति प्रकट करना कोई अपराध हो। आंसुका के प्रयोग का क्या औचित्य है सामान्य कानून सतारूढ़ दल को पसन्द नहीं। जब प्रजातंत्र कुछ वर्गों के राजनीतिक हितों की रक्षा करने लगता है तो देश का वही हाल होता है। जो आज हमारे देश का है। वह आलोचना को सहार नही सकता।

पश्चिम बंगाल में क्युमिस्ट दल (मोक्स) की सभी बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहा तक कि चीनी प्रधानमंत्री की मत्यु पर को जाने वाली शोक सभा को भी बुलाने की अनुमति नही दी गई लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री चीनी दूतावास में शोक प्रकट करण के लिए गई। आप आपातस्थिति का प्रयोग किसके हित के लिए कर रहे हो यह हम अच्छी तरह जानते हैं।

इस वर्तमान अध्यादेश और विधयक का आधार क्या है। जब 1971 मे आंसुका पुरःस्थापित किया गया था तो आश्वासल दिए गए थे कि कि इसका उपयोग राजनीतिक विपक्षियों के विरूद्ध और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा सरकार ने अपना वंचन नही निभाया और जनता का सरकार में विश्वास नही रहा।

1971 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तब भी 'आंसुका' का प्रयोग किया लेकिन तब वह इतना कठोर नहीं था जितना कि अब तथाकथित आन्तरिक आपातस्थिति के दौरान बनाया जा रहा है। सरकार ने आंसुका को प्रकट रूप से आपात स्थिति को उचित बताने के उद्देश्य से उपयोग किया है। इसके बाद यह संशोधन लाया गया है जिससे नजरबन्द व्यक्ति का यह अधिकार छीन लिया गया है ताकि वह अपनी नजरबन्दी का कारण न पूछे और अभ्यावेदन करने तथा परामर्शदात्री बोर्ड के समक्ष अपना मामला पेश करने के अधिकार छीन लिए गए हैं। मनमानी कार्यवाही पर ऐसे छोटे मोटे प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार ने अपने हलफनामे में यह कहा है कि उनको यह ज्ञात नहीं थी कि श्री कुलदीप नैयर एक पत्रकार हैं सरकार तो केवल इतना जानती है कि वह तीन पुस्तकों के लेखक हैं हालांकि श्री कुलदीप नैयर ने अपनी याचिका में स्पष्ट कर दिया था कि वे न तो राजनीतिज्ञ ही हैं और न ही किसी राजनीतिक दल से उनका सम्बन्ध है और वे केवल पत्रकार हैं। फिर भी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उनके बारे में जाने बिना आर्डर पास कर दिया।

अगर दोषी व्यक्ति की जगह गलतफहमी में कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ लिया जाता है तो उसे यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि यह अपने बारे में सफाई पेश कर सके परन्तु इस मामले में उसको यह अवसर भी नहीं दिया गया।

न्यायधीश रंगाराजन ने स्वयं अपने अभिनिर्णय में कहा है कि कानून की सर्वोच्चता स्वेच्छाचारी कार्यकारी कार्यवाही को अनुमति नहीं दे सकती जब श्री कुलदीप नैयर रिहा कर दिए गए तो सरकार ने यह सोचा कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार करना ठीक नहीं होगा। यही कारण है कि सरकार ने यह संशोधन पेश किया है। विधेयक में किये जाने वाले इस संशोधन से न्यायालय गुणदोषों के आधार पर किसी मामले पर विचार नहीं कर सकते। यदि न्यायालय यह जानना चाहे कि क्या कार्यपालिका, सब-इन्स्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त सचिव या मंत्री सही काम करते हैं अथवा नहीं, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप इससे अधिक घृणित और घातक विधान की कल्पना कर सकते हैं ? इसमें यह उपबन्ध है कि सरकार के कब्जे में प्रत्येक चीज को गोपनीय समझा जायेगा और उसे राज्य का मामला समझा जायेगा और उसे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा। यह जनता का दमन करने और जनता को नाम मात्र के उपचार के अन्तिम अवसर से वंचित करने का जानबूझ कर प्रयास है।

अतः आज स्थिति यह है कि यदि यह अध्यादेश कानून बन जाता है तो युद्ध के समय जब पहले आंसुका था और ब्रिटिश राज में हम कुछ स्वतंत्र थे परन्तु अब शान्ति के समय हम कार्यपालिका के गुलाम बन गये हैं। मेरा आरोप यह है कि इस संशोधन का उद्देश्य सभी गलत ढंग से की गई नजरबन्दियों के विरुद्ध उपचार करने के प्रयासों को समाप्त करना है। अब कार्यपालिका तथा नौकरशाही को कानून से ऊपर रखा गया है। एक दिन आप भी इस नौकरशाही के शिकार होंगे। आज आप जो शक्ति नौकरशाही को देते जा रहे हैं वही शक्ति एक दिन आपके विरुद्ध उपयोग की जायेगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह राष्ट्रहित और लोक हित में है कि एक स्वतन्त्र देश के लोगों को कानून के अनुसार स्वतन्त्रता प्राप्त न हो ? जब तक आपातस्थिति बनी रहेगी, बिना मुकदमा चलाये नजरबन्दी चलती रहेगी क्योंकि जब तक भारत रक्षा नियमों को रद्द नहीं किया जाता तब तक लोगों को नजरबन्द किया जाता रहेगा। एक बार जेल जाने पर रिहाई का अधिकार तब तक छिन जाता है जब तक आपात-स्थिति रहती है। हजारों ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किये गये हैं। संसद् सदस्य, विधान सभा सदस्य, कालेज अध्यापक, वकील और पत्रकार भी गिरफ्तार किये गये हैं। 81 वर्ष की आयु के श्री भीससेन सच्चर को भी एक पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जेलों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी श्री भारत भारतीय को इस आरोप पर नजरबन्द किया गया कि उसने 27 जून को हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लिया था। परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया गया और 27 जून को वह जेल में थे। उनके पुत्र को उनसे जेल में मिलने नहीं दिया। अन्त में वह जेल में मर गये। पिता जेल में मर रहा है परन्तु पुत्र को देखने की अनुमति नहीं दी गई। श्री ज्योतिर्मय बसु को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामला आने पर सरकार ने उठाई गई आपत्तियों का उत्तर नहीं दिया और आर्डर वापस ले लिया। फिर एक अधिकारी ने एक नया आर्डर जारी किया गया उसको चुनौती दी गई तो एक तीसरा आर्डर जारी किया गया। अतः जुलाई से सितम्बर तक यह पब्लिक आर्डर था और रातोंरात यह राज्य की सुरक्षा बन गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

जुलाई, 1972 से जून 1973 के दौरान लागू किये गये आंसुका के अन्तर्गत 3152 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था जिनमें से केवल 690 को अदालत ने छोड़ा तब सरकार अदालत से क्यों डरती है ; सरकार नजर बन्दी के कारण इस लिए नहीं बताना चाहती कि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं है। यदि सरकार के पास ऐसा करने का कारण हैं तो उसे उन्हें सहर्ष बताना चाहिए और यदि सरकार इस कानून को लागू करने में ईमानदार है तो इसके लिए न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

Shri Muhammad Jamilurehman (Kiahangarj) : Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me a chance to speak on this Bill.

Mr. Chairman : you may continue your speech tomorrow.

सभा पटल पर रखा गया पत्र—जारी

PAPER LAID ON THE TABLE — *Contd.*

उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में उदघोषणा

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 21 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में 30 नवम्बर, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा का निरसत किया गया है तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी, 1976 में अधिसूचना संख्या स० सां० नि० 30 (5) में प्रकाशित हुई थी।

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार 22 जनवरी, 1976/2 माघ, 1897 (शक) के 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, January 22, 1976/ Magha 2, 1897 (Saka).

GMGIPND—L—2463 LS—28-5-76—200.